शुक्रवार,
२६ फरवरी, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, २६ फरवरी, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत इलेक्ट्रोनिक्स फैक्टरी

*४०६. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात की जांच की गई है कि रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिकल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड तथा भारत इलेक्ट्रोनिक्स फैक्टरी, जिसे बंगलौर में स्थापित करने का विचार है, के बीच सहयोग स्थापित किया जा सकता है ?

(ख) क्या रैमको तथा प्रस्तावित इलेक्ट्रोनिक्स फैक्टरी के कार्य एक से होंगे या प्रत्येक भिन्न प्रकार की चीज़ें बनायेंगी ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी हां। सरकार यह चाहती है कि देश में रेडियो तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरण बनाने के लिये रेमको या अन्य फैक्टरियों में जो भी सुविधायें उपलब्ध हों उनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाय।

(ख) बी० ई० आई० के कार्य रेमको तथा अन्य वाणिज्यक फर्मों से भिन्न होंगे। जब कि बी० ई० आई० मुख्य इलेक्ट्रोनिक

उपकरण बनायेगी, रेमको मकानों के मीटर, इनसुलेटेड तार तथा केबल, प्लास्टिक का सामान बनाती है और घरेलू रेडियों के पुर्ज़ों को जोड़ती है जो बी० ई० आई० द्वारा नहीं बनाए जायेंगे।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों फैक्ट्रियों के सम्मिलित कार्य के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार कर ली है ? और यदि तैयार कर ली है तो जिन पार्टियों के साथ काम होने वाला है उन के डाइरेक्टरों से राज़ीनामा ले लिया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : राज़ीनामे का कोई प्रश्न नहीं है। यह सरकार की अपनी अलग फैक्टरी है। सरकार ने इस बात की जानकारी प्राप्त कर ली है कि आज कल दूसरी फैक्टरीज़ में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। उन चीज़ों का इस फैक्टरी में बनाने का कोई विचार नहीं है। रेडियो मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने एक रिप्रेज़ेन्टेशन भी भेजा है और गवर्नमेंट इस बात का बराबर ख्याल रक्खेगी कि कोई डुप्लिकेशन न हो।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि विदेशी विशेषज्ञों के इन कम्पनियों में कितने शेअर हैं और क्या उन से भी इस बात की स्वीकृति ले ली गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : भारत एलेक्ट्रोनिक्स इन्डस्ट्रीज़ में किसी का शेअर नहीं है, यह केवल गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, सारी पूंजी

गवर्नमेन्ट अपने पास से लगा रही है। फारेन एक्सपर्ट्स तो सिर्फ सलाह के लिये हैं।

केन्द्रीय अधिनियम

*४०७. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५० से १९५३ के अन्त तक उच्चतम न्यायालय में किन किन केन्द्रीय अधिनियमों पर आपत्ति उठाई गई है ?

(ख) उनमें से कितनों को शून्य घोषित किया गया है और कितने संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध हैं ?

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १९५० तथा १९५३ के बीच निम्नलिखित केन्द्रीय अधिनियमों के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई थी :—

१. भारतीय दंडविधि संशोधन अधिनियम, १९०८ भारतीय दंडविधि संशोधन (मद्रास) अधिनियम, १९५० द्वारा संशोधित रूप में।

२. अत्यावश्यक प्रदाय (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, १९४६।

३. शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी (आपातकालीन उपबन्ध) अधिनियम, १९५०।

४. निवारक निरोध अधिनियम, १९५०।

५. निवारक निरोध (संशोधन) अधिनियम, १९५१।

६. निवारक निरोध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५२।

७. औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५०।

८. अजमेर राजस्व तथा भू-अभिलेख अधिनियम, १९५०; तथा

९. संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१।

इनके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिल्ली विधियां अधिनियम, १९१२; अजमेर-मेरवाड़ा (विधियों का विस्तार) अधिनियम, १९४७, तथा भाग 'ग' राज्य (विधियां) अधिनियम, १९५० के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया था।

(ख) संविधान के विरुद्ध होने के कारण केवल निम्नलिखित उपबन्धों को शून्य घोषित किया गया था :—

(१) भारतीय दंडविधि संशोधन अधिनियम, १९०८-मद्रास अधिनियम द्वारा संशोधित रूप की धारा १५ (२) (ख);

(२) शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी (आपात कालीन उपबन्ध) अधिनियम १९५०;

(३) निवारक निरोध अधिनियम, १९५० की धारा १४; तथा

(४) अजमेर राजस्व तथा भू-अभिलेख-अधिनियम, १९५० की धारा ११२।

भाग 'ग' राज्य (विधियां) अधिनियम, १९५० की धारा २ के उपबन्ध को भी, जिससे केन्द्रीय सरकार को किसी अधिनियम को किसी भाग 'ग' राज्य पर लागू करने के लिये तत्संबंधी कानून में संशोधन करने का अधिकार था, उक्त न्यायालय की परामर्शक सम्मति में अमान्य माना गया।

(ग) निवारक निरोध अधिनियम की धारा १४ तथा भाग 'ग' राज्य (विधियां)

अधिनियम की धारा २ के अमान्य भाग को बहुत पहिले निरसित कर दिया गया था। अन्य दो शून्य धारायें वार्षिक निरसन तथा संशोधन विधेयक द्वारा औपचारिक रूप से निरसित कर दी जायेंगी। शोलापुर अधिनियम अभी विचाराधीन है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : दिये गये उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार विशेषज्ञों के एक स्थायी निकाय को नियुक्त करने की वांछनीयता पर विचार करेंगी, जो निकाय सभी विधानों की, उनके संसद् या राज्य विधान मण्डलों में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व जांच करेगा ?

श्री दातार : यह एक अधिक व्यापक प्रश्न है। सरकार माननीय सदस्य के सुझाव का ध्यान रखेगी।

श्री आर० के० चौधरी : क्या निवारक निरोध अधिनियम की धारा १४ में, जिसके बारे में अभी निर्देश किया गया था, इसको वैध उपबन्ध बनाने के हेतु बाद में संशोधन किया गया है ?

श्री दातार : हमने जो कानूनी सलाह ली है, उसके अनुसार हमने ठीक कार्य किया है। हो सकता है कि इस मामले पर फिर आपत्ति उठाई जाय और यह उच्चतम न्यायालय में जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस मामले में कुछ भ्रान्ति है। वह विशेष अधिनियम, जिसकी धारा १४ निरसित कर दी गई थी पहले ही निरसित कर दिया गया है और एक दूसरा अधिनियम पारित कर दिया गया है यदि मुझे सम्यक् प्रकार से स्मरण है, तो सदन ने नये अधिनियम को दो दिन में पारित कर दिया था।

श्री आर० के० चौधरी : क्या पश्चाद्वर्ती अधिनियम पर न्यायालय में आपत्ति उठाई गई है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह सूची में सम्मिलित नहीं है।

श्री वल्लाथरास : क्या विधेयकों के बनाने में, और उन्हें विधान बनाने के लिये सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बद्ध राज्यों के महान्यायवादी या महाधिवक्ता से परामर्श लिया जाता है ?

श्री दातार : जब कभी आवश्यक होता है तो हम राज्य सरकारों से परामर्श लेते हैं।

श्री वल्लाथरास : इसके अतिरिक्त क्या सदन में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व महत्वपूर्ण विधेयकों पर महान्यायवादी से परामर्श लिया जाता है ?

श्री दातार : जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हम महान्यायवादी की सम्मति का भी ध्यान रखते हैं।

स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिये छात्रवृत्तियां

*४०९. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिये छात्रवृत्तियां देने के लिये सरकार ने विदेशों से पारस्परिक व्यवस्था की है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ; तथा

(ग) क्या कोई ऐसे विषय निर्धारित हैं जिनका विदेशी विद्यार्थी भारत में अध्ययन करेंगे ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख)। इस प्रकार की कोई पारस्परिक व्यवस्था नहीं की गई है किन्तु सरकार ने बेल्जियम, इटली, मैक्सिको, नार्वे, नीदरलैण्ड्स, स्वीडन तथा यूगोस्लाविया को छात्रवृत्तियां देने के लिये

प्रस्ताव किया है, जोकि हमारे राष्ट्रजनों को छात्रवृत्तियां या अन्य उसी प्रकार की सुविधायें दे रहे हैं।

(ग) वे सभी विषय जिन पर यहां अध्ययन किया जा सकता है और विशेषकर भारतीय इतिहास, दर्शन शास्त्र तथा संस्कृति।

श्री बहादुर सिंह: जिन विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनको चुनने की क्या प्रक्रिया है ?

डा० एम० एम० दास : इसके लिये एक चुनाव समिति है, जिसमें केन्द्रीय सरकार के वरिष्ट अधिकारी, सम्बद्ध विदेशी दूतावासों के कुछ अधिकारी, और विषय के, जिनमें उम्मीदवार स्नातकोत्तर अध्ययन करना चाहता है, कुछ विशेषज्ञ सदस्य होते हैं।

श्री बहादुर सिंह: इस योजना के अन्तर्गत कितने विद्यार्थी विदेश गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : विदेशी विद्यार्थियों को भारत सरकार ने बीस छात्रवृत्तियां दी हैं, किन्तु अभी इनके लिये उम्मीदवार चुने नहीं गये हैं।

श्री के० के० बसु: क्या जिन विषयों के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उन्हें छात्रवृत्ति देने वाला देश निर्धारित करता है ?

डा० एम० एम० दास : भारतीय राष्ट्रजनों को छात्रवृत्तियां देने वाला देश उन विषयों को निर्धारित करता है।

पाकिस्तान में निष्क्रमणार्थियों का सोना

*४१०. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि निष्क्रमणार्थियों का जो सोना विभाजन के बाद पाकिस्तान में भारतीय बैंकों में रह गया था, उसका कुछ भाग वास्तविक मूल्य से बहुत कम दर पर बेच दिया गया ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

सेठ गोविन्द दास : क्या इसके सम्बन्ध में अब तक कोई रिपोर्ट आई है ?

श्री ए० सी० गुहा: यह एक ऐसा मामला है जिस पर पाकिस्तान सरकार से अभी तक कुछ तय नहीं हुआ। उसके साथ इस पर कई बार विचार विमर्श किया गया, किन्तु कोई बात तय नहीं की जा सकी है।

सेठ गोविन्द दास : हमारे पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उनसे इस सम्बन्ध में क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई लिखा पढ़ी की है, और क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई खबर भेजी है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं यह नहीं बता सकता कि हमने अपने प्रधान प्रदेष्टा के द्वारा कोई विशेष प्रयत्न किया है। बहुत बार प्रयत्न किये गये हैं, किन्तु सूचना उपलब्ध नहीं की जा सकी है। हमने बैंकों के द्वारा सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु वे पाकिस्तान सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सूचना नहीं देते।

भारतीय भूपरिमाप विभाग के कर्मचारी

*४११. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** (क) **शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान भारतीय भूपरिमाप विभाग के कर्मचारियों के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में अंगीकृत प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने अपने वेतन तथा भत्तों के पुनरीक्षण की मांग की ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्य करने का विचार है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख)। जी नहीं, बिना किसी

अभ्यावेदन का विचार करते हुए, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ने भारतीय भूपरिमाप विभाग के कर्मचारियों की, विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नौकरी की बहुत सी दशाओं की जांच की है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सत्य है कि भारत भूपरिमाप विभाग के कर्मचारियों के मामले में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, श्रीमान्, क्रियान्वित नहीं किया गया ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सरकार का नई या संशोधित वेतन श्रेणियां कब निर्धारित करने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैं ने कहा है, भारत भूपरिमाप विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए नई वेतन-श्रेणी का मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है और निर्णय शीघ्र किया जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पहली श्रेणी के पदाधिकारियों का वेतन समस्त वेतन बिल का कितना प्रतिशत है और उन की संख्या क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

पुस्तकालय

*४१२. **श्री झूलन सिन्हा** : **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विहार की राज्य सरकार को वहां के पुस्तकालयों के विकास के लिए किसी राशि की मंजूरी दी गई है और क्या राज्य सरकार ने किसी राशि का उपयोग किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७**]

श्री झूलन सिन्हा : बिहार राज्य ने कितनी राशि मांगी थी ?

डा० एम० एम० दास : १९५२-५३ के वर्ष के लिए बिहार को ६६०० रुपये की मंजूरी दी गई थी और इस राशि का उस राज्य ने उपयोग किया था । मैं यह नहीं कह सकता कि बिहार सरकार ने कितना रुपया मांगा था ।

श्री झूलन सिन्हा : यह इस मंजूरी का आधार क्या था ?

डा० एम० एम० दास : यह राज्य सरकार द्वारा भेजी गई योजना पर निर्भर है ।

श्री झूलन सिन्हा : बिहार राज्य की जिस योजना के लिये ६६०० रुपये की मंजूरी दी गई थी वह कितने रुपये की योजना थी ?

डा० एम० एम० दास : यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सब राज्यों के लिए एकरूप योजनाएं हैं, या विभिन्न राज्यों को अपनी अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने के लिये कहा जाता है?

डा० एम० एम० दास : योजनाओं की रूप रेखा विभिन्न राज्यों को भेजी गई है और उन से अपनी योजनाएं भेजने के लिए प्रार्थना की गई है । इस के बाद अनुदान दिये जायेंगे ।

माध्यमिक शिक्षा

*४१३. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने "माध्यमिक शिक्षा के प्रति नया व्यवहार"

पुस्तिका की प्रतियां भारत के सब माध्यमिक स्कूलों में भेजी हैं;

(ख) इस पुस्तिका की कितनी प्रतियां छापी गई हैं ;

(ग) क्या प्रादेशिक भाषाओं में संस्करण प्रकाशित किये गये थे ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्य प्रकाशन राज्यों को भेजे गये थे ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां, माध्यमिक स्कूलों में वितरित करने के लिये सब राज्य-सरकारों को प्रतियां भेजी गई हैं ।

(ख) १५,००० ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) माध्यमिक शिक्षा समिति की रिपोर्ट पहले राज्य सरकारों को भेजी गई थी ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि ये पुस्तिकायें शिक्षा की किस योजना के अन्तर्गत वितरित की गई थी ?

डा० एम० एम० दास : इस नई पुस्तिका में माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के तीन अध्याय दिये गये हैं। इसे माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों में वितरित करने के लिये राज्य सरकारों को भेजा जा रहा है, ताकि वे रिपोर्ट के मूल सिद्धान्तों को, जहां तक ये उनके दिन प्रतिदिन के पढ़ाने के कार्य पर लागू होते हैं, जान सकें ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रादेशिक भाषाओं में प्रतियां देने का कोई विचार है ?

डा० एम० एम० दास : इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस "नये व्यवहार" में इस बात का उल्लेख किया गया है कि माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन कम हैं ?

डा० एम० एम० दास : संभव है कि आयोग की रिपोर्ट में इस का उल्लेख किया गया है, किन्तु जहां तक इस पुस्तिका का सम्बन्ध है, इस में उस रिपोर्ट के तीन अध्याय हैं और मैं नहीं कह सकता कि यह विशेष चीज़ उसमें है या नहीं :

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सत्य नहीं है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की जांच के लिये अपने आयोग नियुक्त किये हैं ? यदि है, तो मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा वितरित की गई यह पुस्तिका उन आयोगों की सिफारिशों के प्रतिकूल नहीं होगी ?

डा० एम० एम० दास : इस समय मेरे पास इस विषय में जानकारी नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों की पोशाक

***४१४. श्री एस० एन० दास** : **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की पोशाक के बारे में कोई हिदायत जारी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह हिदायत किस प्रकार की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : कोई विशेष प्रकार की पोशाक निश्चित नहीं की गई । कुछ सुझाव दिये गये हैं, जिन से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारीयों को उचित प्रकार की पोशाक रखने में सहायता मिलेगी । एक विवरण जिस में ये सिफ़ारिशें बताई गई हैं सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८]**

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इन सुझावों के परिणाम स्वरूप, विभिन्न सरकारी विभागों से उन की प्रतिक्रिया

प्राप्त हुई है या उन से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ?

श्री दातार : ये अभी हाल में जारी की गई है। इतने थोड़े समय में उन से अपनी प्रतिक्रिया देने की आशा नहीं की जा सकती। यथा समय हमें ज्ञात हो जायेगा कि इन का पालन कैसे किया जा रहा है।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि ये सुझाव विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जाने के लिये भी किये गये हैं ?

श्री दातार : राज्य सरकारों से सिफ़ारिशें करना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है--कार्यवाही करना उन का काम है; वे भी ये चीजें अपना सकती हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या ये हिदायतें अनुमतिक प्रकार की हैं या अनिवार्य हैं ?

श्री दातार : ये सिफ़ारिश के रूप में हैं।

संगीत नाटक अकाडमी

*४१७. **श्री केशवैयंगार** : क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्हें संगति नाटक अकाडमी ने अभिज्ञात किया है और सुविधायें दी हैं ;

(ख) उन में से कितनी कलाप्रेमी नाट्य सभायें हैं; और

(ग) उनमें कितनों का सम्बन्ध नृत्य से है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) संगीत नाटक अकाडमी ने किसी संस्था को अभिज्ञात नहीं किया।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री केशवैयंगार : मैं जान सकता हूं कि क्या अकाडमी ने संस्थाओं को अभिज्ञात करने के लिये प्रार्थना पत्र मांगे हैं ?

डा० एम० एम० दास : यह एक स्वायत-शासी निकाय है और हमारी जानकारी यह है कि इस प्रयोजन के लिये संगीत नाटक अकाडमी ने बहुत से सदस्यों की एक उपसमिति बनाई है और वह उपसमिति इस मामले पर मार्च में विचार करेगी।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या अकैडमी शब्द का संस्कृत या हिन्दी में कोई पर्याय नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री एम० डी० रामस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह अकाडमी सम्बन्धित अभिज्ञात संस्थाओं को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देती है ?

डा० एम० एम० दास : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता किन्तु स्पष्ट है कि अभिज्ञात करने का अर्थ यह है कि वे वित्तीय सहायता ले सकती है।

कांडला भ्रष्टाचार केस

*४१८. **श्री दाभी** : क्या गृह-कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय पुलिस की भ्रष्टाचार-निरोधक शाखा ने कांडला पत्तन में एक ऐसे षड़यंत्र का पता चलाया है जिस का उद्देश्य मिट्टी सम्बन्धी कार्य के उन मापों को झूठा रूप देना था जिनके आधार पर ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो उस षड़यंत्र का ब्योरा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) हां। इस प्रकार के षड़यंत्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो चुकी है और इस समय उसकी जांच की जा रही है।

(ख) इस केस की जांच पड़ताल चल रही है। विस्तृत तथ्य अभी प्राप्य नहीं हैं।

श्री दाभी : क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री दातार : प्रारम्भिक जांच जारी है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

श्री दाभी : इस षड़यंत्र का पता किस स्थिति पर लगाया गया था ।

श्री दातार : षड़यंत्र का पता उस समय चला जब यह मालूम हुआ कि स्वीकृत राशि से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

श्री दाभी : वह अधिक राशि कितनी थी ?

श्री दातार : जिस राशि की प्रारम्भ में स्वीकृति दी गई थी वह २,४०,००० रुपये थी और भुगतान ४,०८,००० रुपये का किया गया था ।

श्री वल्लाथरास : षड़यंत्र के अतिरिक्त क्या इस बारे में भी कोई साक्ष्य है कि यह अपराध हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मामला विचाराधीन है । अभी से इस पर चर्चा करना अनुचित होगा ।

श्री वल्लाथरास : प्रारंभिक अपराध-सूचना में हो सकता है कि षड़यंत्र .....

अध्यक्ष महोदय : यह जांच करने वालों पर छोड़ा जाय ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या जांच के दौरान में किसी को पदच्युत किया गया है ?

श्री दातार : इस पर भी विचार किया जाना है । जांच अभी प्रारंभिक अवस्था में है ।

बाल साहित्य

***४१९. श्री राधा रमण** : क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार बाल साहित्य निर्माण सम्बन्धी किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि ऐसा है तो इस योजना को अन्तिम रूप कौन दे रहा है ; तथा

(ग) इस साहित्य का निर्माण किस भाषा में किये जाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां ।

(ख) यह योजना भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय) द्वारा सूत्रित की गई है ।

(ग) हिन्दी ।

श्री राधा रमण : क्या इस प्रकार की योजनाओं को बनाते समय उन कुछ एक असरकारी अभिकरणों से भी परामर्श लिया जाता है जो पहले से इस काम में लगे हुये हैं ?

डा० एम० एम० दास : यह काम मकतवा जामिआ ने सम्भाल लिया है ।

श्री एस० एन० दास : इस योजना की कार्यन्विति के लिये इस समय कितनी धन राशि की आवश्यकता है ?

डा० एम० एम० दास : इस के लिये ढाई लाख रुपया रक्षित किया गया है ।

डा० रामा राव : सरकार ऐसे साहित्य का निर्माण हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में क्यों नहीं करवा रही है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार को आशा है कि अन्य भाषाओं में ऐसे साहित्य के निर्माण का कार्य राज्य सरकारों द्वारा हाथ में लिया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या उस संस्था को जिसे यह काम सौंपा गया है इसका कोई अनुमान प्राप्त है ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, इस विषय में तो कुछ भी संदेह नहीं हो सकता ।

सेठ गोविन्द दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जिस संस्था को यह काम सौंपा गया

है, उस संस्था को किस की सिफारिश से सौंपा गया है और उसके लिये क्या और भी संस्थाओं से बातचीत की गई थी और उसके बाद उसको सौंपा गया है या केवल इसी संस्था को सौंपा गया है ?

डा० एम० एम० दास : इस संस्था, मकतबा जामिआ, ने सम्पूर्ण काम को अपने हाथ में ले लिया है, अर्थात् बच्चों के लिये एक सौ पुस्तकों का बनाया जाना ।

सेठ गोविन्द दास : यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि इस संस्था को यह काम किस की सिफारिश पर सौंपा गया है, क्या ऐसा करने से पहले अन्य संस्थाओं से परामर्श लिया गया था कि क्या वे इस काम को करने के लिये तय्यार होंगी ।

डा० एम० एम० दास : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

निकोबार द्वीप हवाई अड्डा

***४२०. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि, निकोबार द्वीप में एक हवाई अड्डा है; तथा

(ख) यदि हां, तो आज कल इस हवाई अड्डे का प्रयोग किस कार्य के लिये किया जा रहा है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) हां । यह वास्तव में केवल एक विमान पट्टी (विमान उतरने का स्थान) है, पूरा हवाई अड्डा नहीं है ।

(ख) आर० ए० एफ० को बंगाल की खाड़ी तथा भारतीय महासागर पार करने वाले अपने विमानों को उड्डयन की सुविधायें देने तथा तेल भरने का प्रबन्ध करने के सीमित कार्य के लिये, इस विमान पट्टी में एक चौकी बनाने की आज्ञा दी गई है ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि, इस विमान पट्टी में, आर० ए० एफ० को, एक चौकी बनाने की आज्ञा दी गई है ।

उनको आज्ञा दी गई है या यह विमान पट्टी उन के अधिकार में है तथा क्या भारत सरकार ने इंगलैण्ड की सरकार से कहा है कि वह इस विमान पट्टी का नियंत्रण भारत सरकार को सौंप दे ?

श्री त्यागी : यह प्रश्न एक बार और भी पूछा जा चुका है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि, आर० ए० एफ० को अपने विमानों के लिये उड्डयन की सुविधायें उपलब्ध करने तथा तेल भरने का प्रबन्ध करने के सीमित कार्य के लिये, इस विमान पट्टी में एक चौकी बनाने की आज्ञा दी गई है । प्रति मास, आठ दस बार, विमानों के उतरने का औसत है । इस चौकी में कोई साज़-सामान नहीं रखा जाता है । आर० ए० एफ० के अधिकारी तथा कर्मचारी, सब मिला कर, लगभग बीस व्यक्ति यहां रहते हैं । यह पूरा हवाई अड्डा नहीं है । इस प्रकार की विमान उतरने की चौकी में कुछ ही सुविधायें होती हैं । यह एक पारस्परिक प्रबन्ध है और इस शर्त पर किया गया है कि जब हम चाहें इस प्रबन्ध को समाप्त कर सकते हैं तथा अल्प सूचना दे कर अपने अधिकार में ले सकते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : : क्या भारत सरकार का उस विमान पट्टी पर कोई भी नियंत्रण है तथा क्या इंगलैण्ड की सरकार ने भारत सरकार को इस विमान पट्टी पर कभी पैर भी रखने दिया है ?

श्री त्यागी : भारत सरकार को पैर रखने देने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है । यह हमारा प्रदेश है । वास्तव में हमीं ने इंग-लैण्ड की सरकार को इस विमान पट्टी के

प्रयोग करने का अधिकार दिया है। यह हमारी सम्पत्ति है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार ने कभी इस पर भी विचार किया है कि एक बड़ी भयानक संभावना इस बात की है कि आर० ए० एफ० वाले मलाया के स्वतन्त्रता संग्राम के निर्दोष सैनिकों पर बम वर्षा करने के लिये निकोबार द्वीप का प्रयोग कर सकते हैं ?

श्री त्यागी : सुविधाओं के आदान प्रदान के रूप में, इंगलैण्ड, हमको, अपनी विमान पट्टियों तथा हवाई अड्डों के प्रयोग करने की सुविधा देता है, इसीलिये हमने भी उन को इस विमान पट्टी में इसी प्रकार की सुविधायें दी हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को ऐसी सुविधायें प्राप्त हैं कि सरकार इस बात का विश्वास कर सके कि आर० ए० एफ० अथवा किसी अन्य विदेशी शक्ति द्वारा, इस स्थान का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या, जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, आर० ए० एफ० को उस स्थान का स्थायी पट्टा देने की कोई योजना है, जहां उनका अभी नियंत्रण है ?

श्री त्यागी : शंका समाधान करने के लिये मेरा विचार है कि यह अच्छा होगा कि जिन शर्तों पर यह सुविधायें दी गई हैं उनको मैं फिर से बता दूं । शर्तें हैं : (१) कि जैसा कि अभी है, इस द्वीप का प्रयोग केवल उड्डयन की सुविधाओं के लिये तथा तेल भरने के लिये ही किया जायेगा ; (२) हो सकता है कि कभी भारत सरकार को अपने कार्य के लिये इस विमान पट्टी की आवश्यकता पड़े, इसलिये भारत सरकार को अधिकार होगा कि वह एच० एम० जी० को उचित सूचना देने के पश्चात् इस विमान पट्टी पर अधिकार करले—एच० एम० जी० से तात्पर्य है ब्रिटिश सरकार ; (३) जब भारत सरकार इस विमान पट्टी पर तथा एच० एम० जी० द्वारा बनाये गये भवनों तथा संस्थापनों पर अधिकार करेगी, तो सरकार पर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अदा करने का भार न होगा ।

इन शर्तों के साथ उन्हें यह भूमि दी गई है । इस द्वीप पर सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न अधिकार अब भी हमारे पास हैं । इस विमान पट्टी के उपयोग करने के अतिरिक्त उन को इस द्वीप पर और कोई भी प्राधिकार नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या वहां कोई प्रशासनीय.....

अध्यक्ष महोदय : शान्तिं, शान्ति ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं एक प्रश्न पूछना चाहतां हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आज्ञा नहीं देता । बात केवल यही थी । माननीय मंत्री ने बताया कि सुविधाओं का प्रबन्ध पारस्परिक है । प्रश्न यह था कि भारत सरकार को इंगलैण्ड के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्री त्यागी : वही, तेल लेने की, विमान उतारने की तथा उड्डयन की सुविधायें ।

अध्यक्ष महोदय : किन स्थानों में ?

श्री त्यागी : हमारे भारतीय विमान बल के विमान प्रतिमास लगभग एक बार इंगलैण्ड जाते हैं । रास्ते में जहां कहीं इंगलैण्ड की विमान पट्टियां तथा हवाई अड्डे मिलते हैं, हम उन से पूरा लाभ उठाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

आय-कर अधिकारी

***४२१. श्री गिडवानी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने, द्वितीय श्रेणी के आय-कर अधिकारियों के स्थानों

की पूर्ति करने के लिये, दिसम्बर १९५२ में, कोई विज्ञापन जारी किया था ;

(ख) क्या उन्होंने उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा, सितम्बर, १९५३ में आरम्भ की ;

(ग) यह मौखिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है या अब भी जारी है ; तथा

(घ) नियुक्तियां कब की जायेंगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां ।

(ख) हां । संघ लोक सेवा आयोग को ८,००० प्रार्थना पत्रों की जांच करनी थी । जो चुनाव बोर्ड उन्होंने नियुक्त किया था, वह २८ सितम्बर, १९५३ को ही उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा का कार्य आरम्भ कर सका ।

(ग) मौखिक परीक्षा अभी हो रही है ।

(घ) आशा यह की जाती है कि मार्च, १९५४ के मध्य तक मौखिक परीक्षा समाप्त हो जायेगी । जैसे ही, आयोग चुनावों के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय कर चुकेगा, नियुक्ति सम्बन्धी पत्र जारी कर दिये जायेंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा लेने में तथा उन की नियुक्ति में इतना विलम्ब होने का कारण क्या है ?

श्री एम० सी० शाह : यह तो लोक सेवा आयोग के हाथ की बात है । उन को ८,००० उम्मीदवारों में, एक बहुत बड़ी संख्या की मौखिक परीक्षा लेनी थी ।

आदिम जातीय कल्याण कार्य

*४२२. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि आदिम जाति के व्यक्तियों में अपना कार्य करने के लिये भारतीय आदिम जातीय सेवा संघ ने सरकार से सहायता देने की प्रार्थना की है ;

(ख) क्या संघ ने प्रार्थना की गई सहायता राशि को व्यय करने के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ; तथा

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) . जी हां ।

(ग) तथा (घ). संघ द्वारा प्रस्तुत सभी योजनायें, जिनपर लगभग ५०,००० रुपये व्यय होंगे, सरकार ने स्वीकार कर ली है । २७ हजार रुपया तो दे भी दिया गया है तथा शेष धन वर्ष की समाप्ति पर विस्तृत लेखा दे देने के उपरान्त दिया जायगा ।

श्री के० पो० सिन्हा : क्या इस संघ को केन्द्र से वार्षिक अनुदान मिलता है, यदि हां तो कितना ?

श्री दातार : वार्षिक अनुदान मिलने का तो कोई प्रश्न नहीं है । इस चालू वर्ष के लिये अनुदान से ही उनका सम्बन्ध है ।

श्री तिम्मय्या : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सुधार के लिये जब केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है तो क्या राज्य सरकारों को उस मद के कार्य के सम्बन्ध में प्रतिवेदन भी देना पड़ता जिसके लिये कि यह धन दिया गया है ?

श्री दातार : इन जातियों के सुधार कार्य के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्य तथा व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकारें सदैव ही प्रतिवेदन दिया करती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के सम्बन्ध में भी ?

श्री दातार: किस प्रकार धन व्यय किया गया है इसके बारे में वे प्रतिवेदन दिया करती हैं ।

श्री नानादास: क्या इस संघ के सदस्यों को कोई भत्ता मिलता है, यदि हां तो कितना कितना ।

श्री दातार: भत्ता देने के सम्बन्ध में भारत सरकार कोई दायित्व नहीं मानती । जहां तक हमें ज्ञात है, सदस्यों को कोई भत्ता नहीं दिया जाता ।

औद्योगिक वित्त निगम

***४२४. श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा औद्योगिक संस्थानों को कितने कितने दीर्घ कालीन ऋण दिये गये थे ; तथा ।

(ख) इन में से कितने संस्थान ऐसे स्थानों में हैं जहां कि साधारण बैंकिंग सुविधायें अपर्याप्त हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) १ जुलाई १९५२ से ३० जून १९५३ तक, १४ ऋण, तथा १३ दिसम्बर १९५३ को समाप्त होने वाले अर्द्ध वर्ष में १६ ऋण औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिये गये हैं ;

(ख) उधार लेने वाली इन सभी ३० कम्पनियों के पंजीबद्ध कार्यालय उन स्थानों में हैं जहां कि साधारण बैंकिंग सुविधायें मिलती हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त: उन दो वर्षों में कितने औद्योगिक संस्थानों को ऋण देने से मना कर दिया गया, क्या ऐसे संस्थानों को भी मना किया गया है जिनके यहां साधारण बैंकिंग सुविधायें नहीं हैं ?

श्री ए० सी० गुहा: प्रश्न के पूर्वार्द्ध के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये । प्रश्न का उतरार्द्ध मैं नहीं समझ सका ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या ऐसे संस्थानों को ऋण नहीं दिया गया है जिनके क्षेत्र में बैंकिंग सुविधायें नहीं थीं ?

श्री ए० सी० गुहा: सम्भवत: माननीय सदस्य को अधिनियम की प्रस्तावना के कुछ शब्दों का ध्यान है जिनमें कहा गया है कि "उन स्थितियों में जहां कि साधारण बैंकिंग सुविधायें अपर्याप्त हैं" । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह संस्थान जहां कि वह स्थित है उस क्षेत्र में बंकिंग सुविधायें बिल्कुल भी नहीं हैं । इसका अभिप्राय तो केवल इतना ही है उस संस्थान को आवश्यक बैंकिंग सहायता नहीं मिल सकती । शायद ही कोई ऐसा संस्थान हो जो ऐसे क्षेत्र में स्थित हो जहां कि साधारण बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध न हों और उसे औद्योगिक वित्त निगम से सहायता मिली हो ।

श्री रघुरामय्या: क्या ऐसी कम्पनियों को भी जिसके संचालक अथवा भागीदार इस वित्त निगम के भी संचालक हैं, ऋण मिले हैं ?

श्री ए० सी० गुहा: अधिनियम के अनुसार तो इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु माननीय सदस्य को मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस निगम से ऐसे संस्थानों को सहायता देने के सम्बन्ध में अभी हाल ही में एक संकल्प द्वारा हमने कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये हैं । माननीय सदस्य वह संकल्प देख सकते हैं, यह पिछले सत्र में सदन म प्रस्तुत किया गया था ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या इनमें से किसी को ब्याज में कोई रियायत दी गई थी ?

श्री ए० सी० गुहा: उसके लिये भी मुझे सूचना की अपेक्षा है । ऋण तो गत वर्ष

ही दिये गये थे, अतः शायद अभी ब्याज के भुगतान का समय भी नहीं आया हो।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल (बालिका विभाग)

*४२५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय सेना क्षात्र दल के बालिका विभाग के लिये सामाजिक सेवा-शिविरों सम्बन्धी योजना पर अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि ऐसा है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) वर्ष १९५४-५५ में बालिकाओं की टुकड़ियों के वार्षिक शिविरों और केडर शिविरों दोनों में सामाजिक सेवा की व्यवस्था शामिल की जायेगी।

(ख) बालिका सेना छात्रों को उनके साधारण प्रशिक्षण के साथ साथ प्राथमिक चिकित्सा-सहायता और घरेलू परिचर्या भी सिखाई जाती है। उन्हें शिविरों में ऐसे अवसर देने का विचार है जिससे कि वे आस पास के ग्रामों का दौरा कर सकें और उन्होंने जो कुछ सीखा है उस पर अमल कर सकें। उन्हें हल्का शारीरिक कार्य भी दिया जायेगा।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय मंत्री ने जो 'हल्के शारीरिक कार्य' के प्रति निर्देश किया है वह किस प्रकार का होगा ?

श्री सतीश चन्द्र : जैसा कि मैंने कहा है अभी उस पर निर्णय किया जाना है। यह तो उन परिस्थितियों पर निर्भर होगा जिनमें ये लड़कियां काम करती हैं।

श्रीमती मायदेव : इस समय राष्ट्रीय सेना छात्र दल के कुल कितने बालिका विभाग हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : बालिका सेना छात्रों की कुल संख्या ६०० से भी अधिक है।

श्रीमती मायदेव : सरकार का पूना के महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेना छात्र दल का बालिका विभाग कब आरम्भ करने का विचार है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह सब तो बम्बई राज्य सरकार पर निर्भर है। यदि वह सहमत हो जाये कि किसी विशेष महाविद्यालय में बालिका विभाग खोलना चाहिये तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे।

श्रीमती जयश्री : इन लड़कियों को कैसे भर्ती किया जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र : वे सभी महाविद्यालय छात्रायें होती हैं जो किसी महाविद्यालय विशेष के राष्ट्रीय सेना छात्र दल में सम्मिलित हो जाती हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : इन शिविरों के लिये किस प्रकार का वातावरण चुना जायेगा—नगरीय, अर्धनगरीय या ग्रामीण ?

श्री सतीश चन्द्र : ये विस्तार की बातें तो अभी राज्य सरकारों से परामर्श कर के तय की जा रही हैं।

राष्ट्रीय सेना क्षात्र दल शिविर दुर्घटना

*४२६. **श्री नानादास** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय सेना छात्रदल के उस छात्र की दुखद मृत्यु की ओर आकर्षित किया गया है जो लुधियाना के निकट नहर खोदते समय हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस छात्र के माता-पिता को उचित रूप में प्रतिकर दिया जायगा इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; तथा

(ग) क्या यह भी तथ्य है कि जिस समय यह कार्य प्रगति पर था उस समय

घटना स्थल पर कोई भी इंजीनियर अथवा ओवरसियर नहीं था ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी हां, २ जनवरी १९५४ को जब राष्ट्रीय सेना छात्र दल लुधियाना की ३सरी पंजाब बटालियन, राज्य सरकार की अनुमति से समाज सेवा प्रशिक्षण के साधारण कार्यक्रम के अनुसार लुधियाना नगर के लिये वितरक नहर खोदने का कार्य कर रही थी तो बांध की चोटी से कुछ मिट्टी खिसक कर कार्य करने वाले सैनिक छात्रों पर गिरी और दुर्भाग्यवश सैनिक छात्र चत्तर सिंह की मृत्यु हो गई तथा दो छात्र घायल हो गये । तुरन्त ही घटनास्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की गई किन्तु अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही चतर सिंह की मृत्यु हो गई ।

(ख) राष्ट्रीय सैनिक छात्र दल एक ऐसा संगठन है जो स्वेच्छा से कार्य करता है और समाज सेवा का काम उस के साधारण प्रशिक्षण कार्यों में से एक कार्य है, अतः प्रशिक्षण शिविरों में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में तो शिक्षण संस्थायें तथा राज्य सरकारें उसी रूप में कार्यवाही करती हैं जिस प्रकार कि खेलों में होने वाली दुर्घटनाओं के साथ किया जाता है और जिनमें माता पिता को कोई प्रतिकर नहीं दिया जाता ।

(ग) राष्ट्रीय सैनिक छात्र दल के दो प्राधिकारी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो ओवरसियर जो उस काम की देख भाल कर रहे थे दुर्घटना के समय दुर्घटना-स्थल पर उपस्थित थे ।

श्री नानादास : इस दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय सैनिक छात्र दलों को सरकार ने किस प्रकार के आदेश दिये हैं ताकि इस प्रकार की घटनाओं का होना एक साधारण बात न हो जाय ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) प्रतिकर किस प्रकार इन दुर्घटनाओं को रोक सकता है ? यह बड़ी विचित्र बात है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस दुर्घटना के आधार पर सरकार ने क्या आदेश दिये हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न हों ?

श्री सतीश चन्द्र : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी । सदैव ही उचित सावधानी से कार्य लिया जाता रहा है तथा लिया जाता रहेगा ताकि इस प्रकार की दुर्घटनायें फिर न हों ।

सम्पदा शुल्क अधिनियम

*४२७. **श्री राम दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सम्पदा शुल्क अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये कर्मचारियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; तथा

(ख) क्या समूची भर्ती केवल आय-कर विभाग से ही की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) तथा (ख). सम्पदा शुल्क अधिनियम के प्रशासन का कार्य आय-कर विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है । सम्पदा शुल्क के प्रशासन कार्य हेतु कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में कोई विशेष नीति नहीं अपनाई जा रही है । सम्पदा शुल्क अधिनियम के प्रशासन सम्बन्धी अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिये आवश्यकतानुसार आयकर विभाग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाती है ।

श्री राम दास : क्या केन्द्रीय उत्पादन-कर विभाग से भी भर्ती करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री एम० सी० शाह : केन्द्रीय उत्पादन-कर विभाग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आयकर विभाग से हम भर्ती कर रहे हैं। आय-कर विभाग को यह कार्य दिया गया है अतः आयकर पदाधिकारी इस कार्य को भी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इस विभाग के लिये केन्द्रीय उत्पादन कर विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से सरकार भर्ती करेगी ?

श्री एम० सी० शाह : यह निश्चय अभी तक नहीं हुआ है। आय-कर पदाधिकारी तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लिये जायेंगे। अन्य कर्मचारियों के लिये—जैसे निरीक्षक, क्लर्क आदि—ये कर्मचारी भी प्रार्थी हो सकते हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या कोई प्राधिकारी प्रशिक्षण के लिये बाहर भी भेजा गया है अथवा कोई विशेषज्ञ यहां बुलाया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैं यह बता चुका हूं कि प्रशिक्षण कार्य के लिये तथा ब्रिटेन राजतंत्र में सम्पदा शुल्क के प्रशासन के सम्बन्ध में अनुभव प्राप्त करने के लिये छः प्राधिकारियों को इंगलैण्ड भेजना है। इस मंडली में आय कर के दो सहायक आयुक्त तथा श्रेणी १, वर्ग १ के चार आय-कर निरीक्षक होंगे।

श्री वेलायुधन : कर्मचारियों की भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित कोटा के बारे में क्या सरकार उचित विचार करेगी ?

श्री एम० सी० शाह : जी हां। संघ लोक सेवा आयोग सर्व प्रथम इसी पर विचार करता है। अनुसूचित जातियों के लिये कुछ भाग रक्षित हैं।

ब्रिटिश युद्ध ऋण

***४२८. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ब्रिटिश युद्ध ऋण के लिये भारतवर्ष का कुल दायित्व कितना है ; तथा

(ख) कितने समय तक इसके निलम्बित रहने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) १,५४,६६,९२८ पाउंड।

(ख) अनिश्चित काल के लिये।

श्री के० सी० सोधिया : भारत ने यह दायित्व कब लिया था ?

श्री बी० आर० भगत : मूलतः यह सन् १९१७ में लिया गया था; किन्तु नये प्रबन्ध के अनुसार सन् १९३१ में इसका नवीनीकरण कर दिया गया था।

श्री के० सी० सोधिया: क्या इस ऋण का कुछ भाग दे दिया गया है ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां, कुल ऋण १० करोड़ पाउंड था जिसमें से अब कुल लगभग १ करोड़ ५० लाख रह गया है।

श्री के० सी० सोधिया : इस ऋण का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री बी० आर० भगत : मैं प्रश्न ही नहीं समझ सका।

अध्यक्ष महलदय : यह ऋण अभी तक चालू है इसके क्या कारण हैं ?

श्री बी० आर० भगत: इसका ऐतहासिक महत्व है। यह तो उस समय के अमरीकी राष्ट्रपति की भुगतान निलम्बित करने की घोषणा का परिणाम है।

श्री आर० के० चौधरी : बाकी ऋण की राशि भारतीयमुद्रा में कितनी है ?

श्री बी० आर० भगत : यह भारतीय मुद्रा में नहीं अपितु पाउंड में दी गई है।

श्री आर० के० चौधरी : भारतीय मुद्रा में कितने के बराबर होगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो अब हिसाब की बात रह गई, सीधी सी बात है गुणा करके मालूम की जा सकती है।

उद्योगों में सरकारी पूंजी

*४२९. **श्री धूसिया :** क्या वित्त मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि विभिन्न उद्योगों में भारत सरकार की कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उचित समय में सदन पर रख दी जायेगी।

श्री टी० एन० सिंह : गैर सरकारी उद्योगों में जब भारत सरकार पूंजी लगाती है तो क्या किसी सिद्धान्त विशेष का आश्रय लिया जाता है ?

श्री एम० सी० शाह : प्रश्न तो यह नहीं है; प्रश्न तो यह पूछा गया है कि कितनी पूंजी लगी हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : जानकारी मिलने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये। अगला प्रश्न।

सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन मूल्यांकन कर्ता

*४३०. **श्री बी० के० दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सम्पदा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अधीन क्या अभी तक किन्हीं मूल्यांकन कर्ताओं की नियुक्ति हुई है ; तथा

(ख) क्या सम्पदाओं की विभिन्न श्रेणियों को विभिन्न मूल्यांकन कर्ताओं को देने का विचार किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) मूल्यांकन कर्ता के रूप में अभी तक किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई है। सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन मूल्यांकन कर्ताओं की नियुक्ति करने के लिये इस अधिनियम के लागू होने के अर्थात १५ अक्टूबर, १९५३ के बाद से १२ महीने का समय दिया गया है।

(ख) जी हां। विभिन्न प्रकार की सम्पदाओं के लिये अर्थात् मकान, शेयर बाजार, नामवरी आदि के लिये मूल्यांकन कर्ताओं की अलग अलग श्रेणी की नियुक्ति करने का विचार किया गया है।

श्री बी० के० दास : क्या मध्यस्थता के लिये अभी तक कोई मामला भेजा गया है ?

श्री एम० सी० शाह : अधिनियम के अधीन लेखा करने वाले व्यक्तियों को ६ महीने के भीतर लेखा सम्बन्धी विवरण पत्र भेजने को कहा गया है और वह समय १५ अप्रैल १९५४ को पूरा होगा। किन्तु माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास उन व्यक्तियों की सूची है जो शुल्क लगने वाली सम्पदा छोड़ कर मरे हैं।

श्री बी० के० दास : इन मूल्यांकन करने वालों की नियुक्ति के समय किस सिद्धान्त का अनुसरण किया जायगा ?

श्री एम० सी० शाह : इस सम्बन्ध में हम कुछ संस्थाओं, जैसे चार्टर्ड लेखपालों की संस्था, शेयर दलालों की संस्था, मकान विषयक दलालों की संस्था आदि आदि से परामर्श करेंगे, और यह मालूम करेंगे कि विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों का मूल्यांकन करने के लिये कौन उचित व्यक्ति हैं ?

श्री बी० के० दास : क्या उनका पारिश्रमिक का कोई क्रम निश्चित किया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : अभी तक यह निश्चित नहीं किया गया ।

हैदराबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला

*४३१. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान के लिए खोली गई केन्द्रीय प्रयोगशाला के निर्माण पर कुल कितना खर्च हुआ है ;

(ख) क्या यह खर्च केवल केन्द्रीय सरकार ने ही किया है या राज्य सरकार ने भी इस में हाथ बटाया है ; और

(ग) इस प्रयोगशाला में मुख्यतः किन विषयों पर अनुसन्धान किया जायगा ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ग) : हैदराबाद सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) क्यों कि यह प्रयोगशाला हैदराबाद सरकार द्वारा चलायी जाने वाली संस्था है इसलिए उसके निर्माण का व्यय राज्य सरकार ने किया । इसके निर्माण व्यय में अंशदान के रूप में भारत सरकार ने ५ लाख रुपए का अनावर्तक अनुदान दिया ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस प्रयोगशाला का कार्य आरम्भ हुआ है और यदि हां, तो क्या उसने अभी तक कुछ गवेषणा की है ?

डा० काटजू : मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री भागवत झा आजाद : इस संस्था का आवर्तक व्यय कौन चलाएगा ?

डा० काटजू : मेरे ख्याल में हैदराबाद सरकार ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या भारत के अन्य क्षेत्रों में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का भारत सरकार का विचार है और यदि हां, तो कहां ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रयोगशाला हैदराबाद सरकार द्वारा खोली गयी है ।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र भारत के अन्य क्षेत्रों के बारे में जानना चाहते हैं— सौराष्ट्र, मद्रास, बंगाल, अंडमान ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

सुवर्ण उत्पादन

*४३२. **श्री तिम्मय्या** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में कोलार सुवर्ण क्षेत्रों से कुल कितना सोना प्राप्त हुआ ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : २१११२२ औंस (अस्थायी) ।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार को विदित है कि जान टेलर एण्ड कम्पनी ने कम लागत में सोना प्राप्त करने के यंत्रों का आविष्कार किया है और यदि हां, तो क्या सरकार सुवर्ण उत्पादन पर आय-कर बढ़ा देगी ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे पता नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही का सुझाव है ।

श्री मुनिस्वामी : १९५३ के उत्पादन के आंकड़े पिछले वर्षों के उत्पादन आंकड़ों की अपेक्षा कैसे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : दुर्भाग्यवश इनमें कमी हुई है ।

मणिपुर में पहाड़ियों तथा मैदानों का उत्सव

*४३३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मणिपुर सरकार ने २४ से ३१ जनवरी, १९५४ तक इंफाल में एक पहाड़ियों तथा मैदानों का उत्सव मनाया था ;

(ख) यदि हां, तो इस उत्सव के सम्बन्ध में किये गये व्यय की राशि ;

(ग) क्या आदिमजाति कल्याण निधि से १०००० रुपये खर्च किये गये थे ; तथा

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर हां में हो, तो उसके कारण ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां ।

(ख) लगभग २५००० रुपए ।

(ग) हां ।

(घ) यह उत्सव मुख्यतः इस उद्देश्य से मनाया गया था कि मणिपुर के पहाड़ियों तथा घाटियों में रहने वाले लोगों के बीच भ्रातृभाव तथा सामंजस्य की वृद्धि हो । क्योंकि पहाड़ियों में रहने वाले लोग दूर दूर से आये थे, उनके वास्तव्य काल में उनके खाने तथा ठहराने का खर्च सरकार को उठाना पड़ा । यह उचित माना गया कि इस पर तथा मुख्य उत्सव पर जिसका उद्देश्य आदिमजाति सहित सारे मणिपुर के प्रजाजनों का कल्याण था, किया गया खर्च आदिमजाति कल्याण निधि से किया जाय।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार ऐसी निधि से इन पैसों का दिया जाना उचित समझती है ?

अध्यक्ष महोदय : 'उचित' से क्या अभिप्राय है ?

श्री रिशांग किशिंग : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आदिमजाति कल्याण निधि से इस प्रयोजन के लिए १०००० रुपयों का दिया जाना उचित समझती है ?

डा० काटजू : जी हां । क्या मैं और यह भी बता दूं कि आदिमजाति कल्याण निधि की कुल राशि ९ लाख रुपए है । अतः ९ लाख में से १०००० रुपए कुछ बड़ी भारी राशि नहीं है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच है कि आदिमजाति के लगभग ५०० कलाकारों को इंफाल में दो दिनों से अधिक नहीं रहने दिया गया ?

डा० काटजू : मुझे वास्तव में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री रिशांग किशिंग खड़े हुए--

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार . . . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या आदिमजाति के लोगों ने इंफाल में एक निषेध सभा की थी तथा सभा में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि सम्बन्धित मंत्री को भेजी थी ?

डा० काटजू : मुझे किसी प्रस्ताव की प्राप्ति का स्मरण नहीं है । किन्तु यदि मेरे माननीय मित्र कोई विशिष्ट प्रश्न पूछें तो मैं उसका निश्चित लिखित उत्तर दे सकूंगा।

श्री आर० के० चौधरी : क्या आदिमजाति कल्याण निधि इस प्रकार के उत्सवों के लिए निर्माण किया गया था ? क्या वह आदिमजातियों की केवल शैक्षणिक उन्नति के लिये नहीं था ?

डा० काटजू : इस निधि के उद्देश्य के बारे में मैं तत्काल कुछ कह देना नहीं चाहता। हो सकता है कि माननीय मित्र की बात सही

हो । किन्तु यह कोई बड़ी भारी राशि नहीं थी और सब लोगों की राय थी ९ लाख में से १०००० रुपए खर्च किये जा सकते हैं ।

श्री आर० के० चौधरी : आपने न्याय की शर्तों का उलंघन किया है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सच नहीं है कि दो कांग्रेसी सलाहकारों ने भी इस उत्सव का बहिष्कार किया ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सच है कि मणिपुर में दो कांग्रेसी सलाहकारों ने इस उत्सव में सम्मिलित होने से इन्कार किया ?

डा० काटजू : वास्तव में कह नहीं सकता ।

सेना द्वारा 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन

*४३५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सेना ने 'अधिक अन्न उपजाओ' कार्यक्रम के अधीन कितना अनाज तथा सब्जियां उगाई हैं ;

(ख) क्या 'अधिक अन्न उपजाओ' कार्यक्रम के अधीन सेना को कोई पदक आदि भी दिए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितने ; और

(घ) किन राज्यों में यह कार्यक्रम अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक सफल रहा है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) २०१० टन अनाज तथा १३७९७ टन सब्जियां ।

(ख) तथा (ग) । कोई पदक नहीं दिया जाता । १९५०-५१ से सेना का जो दल इस आन्दोलन के बारे में सबसे अधिक परिश्रम करता है उसे प्रतिवर्ष १००० रु० का नकदी इनाम दिया जाता है ।

(घ) राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । अलग अलग दल तथा विभाग अपने अपने कमानों की मार्फत प्रतिवेदन भेजते हैं और इन कमानों का क्षेत्राधिकार अनेक राज्यों तक होता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसमें हवाई अड्डों के स्थान भी शामिल हैं ?

सरदार मजीठिया : इसमें वह सारी भूमि शामिल है जहां खेती की जाती है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरे पूछने का अर्थ यह था कि इसमें हवाई अड्डों की जो बहुत सी ज़मीनें पड़ी हुई हैं वह भी शामिल हैं या नहीं सिर्फ हवाई अड्डों की ।

सरदार मजीठिया : यह तो स्पष्ट है कि जिस भूमि पर हवाई अड्डे हों उस पर खेती नहीं की जाती, किन्तु कृषियोग्य कोई टुकड़ा किसी युनिट को दिया जा सकता है ।

श्री नानादास : क्या सैनिक कर्मचारियों द्वारा कृषियोग्य बनायी गई भूमि पर निरंतर खेती की जाती है या कभी कभी बंजर रखी जाती है ?

सरदार मजीठिया : ये तो सेना दलों द्वारा स्वेच्छा से किये जाने वाले प्रयास हैं ; किसी भी हालत में ये सैनिक प्रशिक्षण के अंग नहीं हैं । इस बात का विवेक तो पूर्णतया उन्हीं पर छोड़ा जाता है कि इस प्रकार के कामों में वे कितना समय लगायें ।

श्री एन० एल० जोशी : प्रति एकड़ पैदावार कितनी है ?

सरदार मजीठिया : मुझे भय है कि मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं । मैंने कुल उत्पादित राशि बता दी है और मैं उन्हें कृष्य भूमि का क्षेत्र विस्तार भी बता सकता हूं, जो ८९३६ एकड़ है । वे अब औसत निकाल सकते हैं ।

मणिपुर में कोयला

*४३६. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मणिपुर घाटी में मोइरांग के निकट एक पहाड़ी में उच्च प्रति का कोयला पाया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मणिपुर सरकार ने बताया है कि इंफाल से ३२ १/२ मील की दूरी पर टिड्डिथम रोड पर तुरेलुइ में कोयले का एक छोटा निक्षेप पाया गया है । उक्त कोयले के गुणावगुणों के विषय में जानकारी नहीं मिली है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या मैं इस निक्षेप प्राप्त हो सकने वाले कोयले की मात्रा जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय: यह खबर तो हमें राज्य सरकार की मार्फत एक गैर-सरकारी सूत्र से मिली और हमारे पास इसके बारे में कोई अधिकृत प्रमाण नहीं हैं । हमारे पास जो खबर आई है वह इस प्रकार है कि यह क्षेत्र अत्यधिक छोटा है, वहां कुछ ५०००० टन कोयला निक्षिप्त होगा और वह कोयला भी किसी खास अच्छे दर्जे का नहीं है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या इस कोयले का परीक्षण करने के लिये केन्द्र द्वारा मणिपुर को कोई विशेषज्ञ भेजा गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : हमारे पास मणिपुर के सर्वेक्षण का एक कार्यक्रम है । किन्तु मेरे माननीय मित्र को उस इलाके की दुर्गमता विदित ही है । अनुसन्धान के हेतु एक शीघ्र सर्वेक्षण किया गया है और हमें कुछ खनिजों के बारे में पता चला है । जब अगले कार्यक्रम पर काम होगा तब हम इस कोयले के बारे में भी अनुसन्धान अवश्य करेंगे ।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स फ़ैक्टरी

*४३८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंगलौर में भारत इलैक्ट्रोनिक्स फैक्टरी कब तक स्थापित हो जायेगी और उत्पादन शुरु कर देगी ?

(ख) इस में सरकार का आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक विनियोजन कितना है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : भारत इलैक्ट्रोनिक्स फ़ैक्टरी १९५६ में थोड़ा उत्पादन शुरु कर देगी और १९५७ में पूरी तरह से उत्पादन करने लगेगी ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत इलेक्ट्रोनिक्स फ़ैक्टरी में ७ १/२ करोड़ रुपये तक की पूंजी लगाये जाने की आशा है । इसके अलाव वह कार्यवहन पूंजी के रूप में २ १/२ करोड़ रुपया और लगायेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इस सम्बन्ध में सरकार का कोई विदेशी विशेषज्ञ सहायता लेने का विचार है ? यदि हां, तो उन के इस सलहा मश्विरे के लिये क्या चुकाया जायेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : एक कम्पनी फ्रांस की है सी० एस० एफ० जिस से गवर्नमेन्ट ने कंट्रेक्ट किया है । वह टैकनिकल एडवाइस देगी । उस के मश्विरे से यह फैक्टरी बनाई जा रही है और हम को जिस वैज्ञानिक सहायता की जरूरत होगी वह हम उस से लेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इसके लिये क्या चुकाया जायेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : यह सब चीजें तो टर्म्स आफ ऐग्रिमेन्ट में दी गई हैं कि इतना उन की फैक्टरी के ले-आउट के लिये चुकाया जायेगा, इतना रुपया जो मदद वह मशीनरी के खरीदने के लिये देंगे उस लिये दिया जायेगा इस सब का अलग अलग हिसाब है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस फ़ैक्टरी के लिये प्लान्ट और मशीनरी मंगाने के लिये क्या आर्डर दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस देश से ?

श्री सतीश चन्द्र : हमारी फ़ैक्टरी के जो जनरल मैनेजर और टेकनिकल एडवाइज़र थे वह फ़्रांस और यूरोप के और मुल्कों में गये थे । उन्होंने मशीनों को देखा है और हमारे एडवाइज़र्स की सहायता से मशीनें छांट ली गई हैं । अब खरीदने आदि का काम हो रहा है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जानना चाहता था कि इन मशीनों के जो आर्डर दिये जा रहे हैं उन के लिये क्या यह सब बातें डाइरेक्टली जा कर के और बात कर के तय हो रही हैं या और जगहों से भी टेन्डर्स मंगा कर और कायदे से मशीनें खरीदी जा रही हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : आर्डर तो जितने दिये जायेंगे वह हमारे डाइरेक्टर जनरल आफ इंडिया स्टोर्स डिपार्टमेंट, जो लन्दन में रहते हैं, उन की मार्फत दिये जायेंगे । लेकिन मशीन कितनी और कहां मिल सकती है और किन किन मशीनों की जरूरत है यह सब हमारे एक्स्पर्टस ने जा कर देखा है उस के बाद अब खरीदने का कार्य डाइरेक्टर जनरल आफ इंडिया स्टोर्स डिपार्टमेन्ट करेंगे ।

सामाजिक तनाव

***४३९. श्री बहादुर सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३-५४ में, आदिम-जातियों और मैदानों में रहने वाले लोगों के बीच तनावपूर्ण सम्बन्धों का अध्ययन किया गया था ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इस अध्ययन की कोई रिपोर्ट तैयार की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री बहादुर सिंह : विभिन्न क्षेत्रों में कौन से दल काम कर रहे हैं और इसके लिये कितना रुपया नियत किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : इस समय, भारत के विभिन्न भागों में दस अलग अलग दल विश्वविद्यालयों के दस प्रतिष्ठित प्रोफ़ेसरों के अधीन काम कर रहे हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कुल ६७,३६७ रु० ८ आ० ९पा० खर्च किये गये हैं और अगले वर्ष के आय-व्ययक में ७५,००० रुपये की व्यवस्था की गई है ।

श्री बहादुर सिंह : क्या इन दलों ने कोई रिपोर्ट पेश की है ; यदि हां तो क्या सरकार ने उन की सिफ़ारिशों पर काम करना शुरु कर दिया है ।

डा० एम० एम० दास : कुछ दलों ने जिन्होंने दो या तीन वर्ष पहले काम शुरु किया था अपनी रिपोर्टें पेश कर दी हैं परन्त इन रिपोर्टों पर अभी विचार नहीं हुआ है । जब सारे दल अपना काम खत्म करके रिपोर्ट देंगे तो सरकार उन पर विचार करेगी और आगे कार्यवाही करने के लिये उनकी जांच करेगी ।

गवेषणा संस्थायें

***४४०. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा गवेषणा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने भारत की १८ गवेषणा संस्थाओं से कहा है कि उन के अधीन विकास के लिये जो परि-योजनायें हैं उनके बारे में वे अपनी रिपोर्टें भेजें ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे अब तक कोई उत्तर प्राप्त हुए हैं?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) अब तक १४ उत्तर प्राप्त हुए हैं।

श्रीमती रेण चक्रवर्ती : क्या राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम स्थापित हो गया है ? विचार यह था कि यह निगम इन योजनाओं का उपयोग करेगा और इन्हें जरूरतमंद उद्योगों को उपलब्ध करायेगा।

श्री के० डी० मालवीय : राष्ट्रीय विकास निगम स्थापित हो गया है। अभी वह उन योजनाओं की जांच कर रहा है जिन्हें उसने जांच के लिये मंगाया था।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस निगम के लिये वर्ष १९५३-५४ में ५ लाख रुपये की जो पूंजी जमा की जानी थी क्या वह इकठी हो गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार ने पूरी पूंजी दी है। यह पूर्ण रूप से सरकारी उपक्रम है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : बताया जाता है कि उद्योगपतियों को इस गवेषणा के परिणामों का बिना किसी शुल्क के उपयोग करने दिया जायगा। मैं जान सकती हूं कि गवेषणा के परिणाम इन्हें बिना शुल्क के कब तक दिये जायेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : निश्चय करने का अभी वह समय नहीं आया है। निगम द्वारा नियुक्त समिति उन सब योजनाओं की जांच कर रही है जिसे उसने विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थाओं से प्राप्त किया है। अभी प्रश्न इस बात की जांच करने का है कि ये योजनाएँ किस हद तक क्रियान्वित हो सकती हैं। एक बार इस चीज़ का पता लग जाये कि औद्योगिक दृष्टिकोण से कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित हो सकती हैं तब ही शुल्क और समय-सीमा का प्रश्न उठेगा।

आल इंडिया औरियन्टल कान्फ्रेंस

*४४१. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अहमदाबाद में हाल ही में आल इंडिया औरियन्टल कान्फ्रेंस (अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन) हुई थी ; तथा

(ख) क्या इस सम्मेलन ने सरकार से कोई सिफारिशें की हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख), जी हां।

श्री मुनिस्वामी : क्या इस सम्मेलन में सारे राज्यों के प्रतिनिधि थे ?

डा० एम० एम० दास : यह एक विशेष संगठन का सम्मेलन था।

संगीत नाटक अकादमी (अनुदान)

*४४२. **श्री केशवैयंगार** : क्या **शिक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी द्वारा अब तक कोई अनुदान दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस किस को और कितनी कितनी राशि के ; तथा

(ग) ये संस्कृतिक अकादमियां किन किन राज्यों में बनाई गई हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा वचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) संगीत नाटक अकादमी ने अब तक कोई अनुदान नहीं दिय हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) अब तक आसाम, बिहार, हैदराबाद, भोपाल, मध्य भारत और बिलासपुर में प्रादेशिक अकादमियां स्थापित की गई है

श्री केशवैगार : क्या इस अकादमी को कोई राशि दी गई है ; यदि हां तो कितनी ?

डा० एम० एम० दास : इस अकादमी की स्थापना के लिये चालू वर्ष के आयव्ययक में २,५०,००० रुपये की व्यवस्था है। इसमें से अकादमी को एक लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में मंजूर की जा चुकी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

देवनागरी लिपि

*४०८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि देवनागरी लिपि में इस समय अन्य स्थानीय भाषाओं में बोले जाने वाले कुछ स्वरों के लिये चिन्ह नहीं हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या लिपि में कोई सुधार किया जा रहा है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) यह बहुत से विशेषज्ञों का विचार है।

(ख) देवनागरी लिपि में सुधार करने का काम अभी भारत सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया है। किन्तु हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि में सुधार करने की समस्या पर विचार करने के लिये एक सम्मेलन बुलाया था।

राष्ट्रीय नमूना परिमाप

*४१५. **श्री बंसल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय नमूना परिमाप भारत में खाद्यान्न के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों के बारे में किसी अन्तिम परिणाम तक पहुंचा है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : अभी तक अन्तिम परिणामों तक नहीं पहुंचा है। स्थिति को समझते हुए एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखियें परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९]

सैनिक रसोइये तथा भिश्ती

*४१६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में जिन नागरिक रसोइयों और भिश्तियों को रखा जाता है क्या उनसे खाने के लिये रुपया लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितना रुपया ; तथा

(ग) क्या इस प्रकार जो रुपया प्राप्त होता है उसे सरकारी निधि में डाल दिया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग) तक। सेना में रखे जाने वाले नागरिक रसोइयों और भिश्तियों को साधारण शान्ति परिस्थितियों में मुफ्त में राशन नहीं दिया जाता है।

कुछ सैनिक यूनिटों में स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत नागरिक कर्मचारियों को खाना "लागत-मूल्य" पर दिया जाता है जो कि १५ से २० रुपये प्रति मास होता है।

फिर भी, जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों को मुफ्त में राशन दिया जाता है।

कलाकारों को छात्रवृत्ति

*४२३. **सेठ अचल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में विदेशी सरकारों तथा संस्थाओं द्वारा युवा भारतीय कलाकारों के लिये छात्रवृत्ति के कितने प्रस्ताव रखे गये ;

(ख) ऐसे चुनावों के लिये किस प्रक्रिया और नियमों का पालन किया गया ; तथा

(ग) विदेशी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये क्या कलाकार के पास डिगरी का होना आवश्यक समझा जाता है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) १९५३ में केवल कलाकारों के लिये अलग से कोई छात्रवृत्ति के प्रस्ताव नहीं रखे गये।

(ख) तथा (ग)। उत्पन्न नहीं होते।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल

*४३४. **श्री तुलसी दास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष भारत के विभिन्न केन्द्रों में राष्ट्रीय सेना छात्र दल में कुल कितने शीतकालीन कैम्प हुए ;

(ख) कितने केन्द्रों में छात्र सैनिकों को सामाजिक कार्य या सामुदायिक परियोजनाओं में भाग लेना पड़ा ; तथा

(ग) उन्होंने जो कार्य किये उसका ब्योरा क्या है तथा उनका रुपयों में अनुमानित मूल्य क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) पिछले नवम्बर से जनवरी तक राष्ट्रीय छात्र सेना यूनिटों के ९१ वार्षिक कैम्प हुए।

(ख) २६ कैम्पों में।

(ग) ये कैम्प देश के समस्त भागों में हुए थे तथा वार्षिक कैम्प सीजन केवल कुछ सप्ताहों पूर्व ही समाप्त हुआ है। प्रत्येक स्थान में किये गये कार्य का पूरा पूरा ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा परिसम्पत्त की घोषणा

*४४३. **श्री दाभी** : क्या गृह-कार्य मंत्री ४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६११ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा बतलायेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग की इस सिफारिश के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया है कि लोक कर्मचारियों को अपनी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में विवरण देने के अलावा प्रति वर्ष अपने आप तथा अपने निकट सम्बन्धियों द्वारा पिछले वर्ष अर्जित चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में विवरण देना चाहिये ; तथा

(ख) यदि हां, तो निश्चय क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख)। अखिल-भारतीय सेवाओं के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकारों के पास प्रारूप नियम भेज दिये हैं जिनमें निम्न व्यवस्था की गई है ;

(क) पूर्व सरकारी मंजूरी के बिना किसी भी अचल सम्पत्ति का क्रय करके या उपहार के रूप में अर्जन न किया जाना ;

(ख) सरकार को पूर्व सूचना दिये बिना एक निश्चित मूल्य से अधिक की चल या अचल सम्पत्ति का—सिवाय किसी नियमित दलाल द्वारा—न खरीदा जाना या बेचा जाना; तथा—

(ग) समस्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में सावधिक विवरण और यदि सरकार मांगे तो चल सम्पत्ति के बारे में—जिसमें बैंक सन्तुलन और विनियोजन भी शामिल हैं—किसी भी समय पूरे विवरण का दिया जाना और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें अर्जन करने के साधनों के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से संतोषजनक स्पष्टीकरण का दिया जाना।

राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों को लागू करने का विचार है और जैसा कि अखिल-भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ में उपबन्धित है ये नियम सदन पटल पर रखे जायेंगे तथा संसद् जो संशोधन चाहेगी कर सकेगी। इसके पश्चात् केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में भी ऐसे ही नियम बनाने का विचार है।

विदेशी सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल

*४४४. { **डा० राम सुभग सिंह :**
सेठ अचल सिंह :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में भारत में कुल कितने विदेशी सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल आये ; तथा

(ख) क्या उसी अवधि में कोई भारतीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल विदेश गया था ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) चार ।

(ख) जी हां ।

सहायक नियंत्रक

*४४५. **श्री गिडवानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने सम्पदा शुल्क अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये सहायक नियंत्रकों के पदों के लिए विज्ञापन किया है ;

(ख) वर्ग १ और वर्ग २ के ऐसे पदों की संख्या क्या है ; और

(ग) सरकार ऐसे पदाधिकारियों को कब नियुक्त करने का विचार रखती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) नहीं, श्रीमान् । परन्तु सरकार की प्रार्थना पर संघ लोक सेवा आयोग ने आय-कर पदाधिकारी वर्ग २ के पदों के लिये विज्ञापन किया है क्योंकि सम्पदा शुल्क की व्यवस्था आय-कर विभाग के पदाधिकारी ही चलायेंगे और आय-कर पदाधिकारी सम्पदा शुल्क सम्बन्धी सहायक नियंत्रकों के रूप में कार्य करेंगे ।

(ख) दिसम्बर १९५२ में आय-कर पदाधिकारी वर्ग २ के १७९ पदों का विज्ञापन किया गया था ।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों के इंटरव्यू मार्च के मध्य तक समाप्त होंगे और ज्यूं ही आयोग अन्तिम रूप से उन्हें चुन ले, उन को नियुक्त किया जायेगा ।

समाज कल्याण बोर्ड

*४४६. { **श्री राधारमण :**
डा० सत्यवादी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण बोर्ड ने थोड़ी आय वाले वर्ग के परिवारों की आय बढ़ाने की एक योजना तैयार कर ली है ;

(ख) इसे कब तक क्रियान्वित करने की आशा है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कौन से विभिन्न उद्योग आयेंगे ;

(घ) इस योजना के अधीन स्त्री श्रमिक की मासिक औसत आय क्या होगी ;

(ङ) सरकार ने इस योजना के लिये कितनी राशि मंजूर की है ; और

(च) दिल्ली राज्य के हिस्से में कितनी राशि आयेगी ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १९५४ के अन्त तक ।

(ग) इसके अन्तर्गत दिया सिलाई बनाने का उद्योग आयेगा ।

(घ) लगभग २२ रुपये प्रति मास ।

(ङ) सरकार ने इस प्रयोजन के लिये और सहकारी उद्योग समिति लिमिटेड् दिल्ली,

को २½ लाखरुपये का ऋण तथा ६०,००० रुपये का अनुदान देना मंजूर किया है ।

(च) राशि राज्यवार नहीं बांटी गई है ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल

***४४८. श्री डी० सी० शर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस वर्ष में भारत के भिन्न भागों से चुने हुए सीनियर डिवीज़न एन० सी० सी० पदाधिकारियों को नेशनल डिफेंस ऐकडेमी (राष्ट्रीय रक्षा अकादमी) देखने के लिये भेजने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना की विस्तृत बातें क्या हैं ?

रक्षा उप-मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विचार यह है कि चुने हुए सीनियर डिवीज़न एन० सी० सी० पदाधिकारियों को प्रति वर्ष कालेजों की छुट्टियों में थोड़ी अवधि के लिये नेशनल डिफेंस एकेडेमी, देहरादून, भेजा जाये ताकि वे वहां दिया जाने वाला प्रशिक्षण देखें और फिर अपने केन्द्रों का स्तर ऊचा कर लें ।

आंध्र के लिये ऋण

***४४९. श्री नानादास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंध्र सरकार ने कृष्णा नदी पर रोड रेगूलेटर पुल बनाने के लिये ऋण मांगा है ;

(ख) यदि ऐसा है तो कितनी राशि मांगी गई है ; और

(ग) इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री(श्री सी० डी० देशमुख): आन्ध्र सरकार ने अपनी पूंजी लेखे की योजनाओं पर, जिन में कृष्णा नदी पर रोड रेगूलेटर पुल बनाने की योजना भी सम्मिलित है, अर्ध वर्ष १९५३-५४ में व्यय करने के लिये और ३१ मार्च १९५४ को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के लिए अपने राजस्व आय-व्ययक के घाटे को पूरा करने के लिये, कुल ३.७५ करोड़ रुपये का ऋण मांगा गया है केन्द्रीय सरकार वह देने के लिए सहमत है, परन्तु अभी उस ने यह निर्णय नहीं किया कि किन विशेष योजनाओं के ऋण में से वित्तीय सहायता दी जाये। इस का निर्णय योजना आयोग के परामर्श से किया जायेगा ।

आय कर निरीक्षक

***४५०. श्री राम दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के निरीक्षकों तथा आय-कर विभाग के निरीक्षकों के वेतन-वर्ग में अंतर है ; और

(ख) यदि है, तो इस के क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हां, श्रीमान् । आय-कर निरीक्षक का वेतन-वर्ग इस प्रकार है :

साधारण वेतन-वर्ग	१२५-१२५ रुपये (परीक्षण काल) १६०-१०-३३० रुपये
विशेष वेतन-वर्ग	२५०-१५-४००-२०-५०० रुपये

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षकों का वेतन वर्ग इस प्रकार है :

साधारण वेतन-वर्ग	१०० रुपये (परीक्षण-काल) १२०-८-२००-१०/२-२२० रुपये
विशेष वेतन-वर्ग	२००-१०-३००. रुपये

आय-कर निरीक्षक और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निरीक्षक का सम्बन्ध दो भिन्न सेवाओं से है और कठिनाई तथा ज़िम्मेवारी की दृष्टि से उनके कृत्य भी कुछ हद तक भिन्न हैं ।

चोरी छिपे लाया ले जाया गया माल

*४५१. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चोरी छिपे ले जाये गये माल का कुल मूल्य जो १९५३-५४ में भारत की

(१) समुद्र सीमा, और

(२) स्थल सीमा

पर पकड़ा गया है ;

(ख) इस कार्य के लिये कितनी राशि के पुरस्कार यदि कोई हों, मंजूर किये गये हैं ; और

(ग) तस्कर व्यापार के रोकने वाले कर्मचारियों पर चालू वर्ष में अब तक कितना व्यय हुआ है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) से (ग)। जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सदन-पटल पर रखी जायेगी।

सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन नियंत्रक

*४५२. **श्री बी० के० दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सम्पदा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के आधीन अब तक नियुक्त किये गये नियंत्रकों की संख्या; तथा

(ख) क्या उन्होंने काम करना प्रारम्भ कर दिया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाहा) : (क) सम्पदा शुल्क अधिनियम आयकर विभाग अधिकारियों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। नियंत्रक में एक उपनियंत्रक तथा एक सह नियंत्रक सम्मिलित हैं। प्रत्येक आयकर आयुक्त, प्रत्येक आयकर-निरीक्षण सह आयुक्त, तथा प्रत्येक आयकर अधिकारी जो इस समय इस रूप में काम कर रहा है, क्रमशः सम्पदा शुल्क का नियंत्रक, उपनियंत्रक, तथा सह नियंत्रक नियुक्त किया गया है। आयकर तथा सम्पदा शुल्क दोनों कार्यों के लिये इतने अधिकारियों की मंजूरी प्राप्त है।

आयकर आयुक्त	१७
आयकर निरीक्षण-सह आयुक्त	५३
आयकर अधिकारी, श्रेणी १,	४८६
आय-कर अधिकारी, श्रेणी २,	५७६

(ख) जी हां।

यूनेस्को प्रदर्शिनी

*४५३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यूनेस्को प्रदर्शिनी भारत के किन किन नगरों में जायेगी ; और

(ख) इस प्रदर्शिनी के आयोजन पर हुआ खर्च कौन देगा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) :

(क) कलकत्ता, पटना, दिल्ली, जयपुर, राजकोट, बम्बई, नागपुर, हैदराबाद, मरकारा, वाल्टेयर और मद्रास।

(ख) राज्य सरकारें।

वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के भूतपूर्व सचिव की पदच्युति

*४५४. **श्री दाभी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९६ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के भूतपूर्व सचिव श्री एस० ए० वेंकटारमन के विरुद्ध अग्रेतर कानूनी कार्यवाही करने के प्रश्न पर निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय करने में कितनी देर लगेगी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ग) । सरकार ने श्री वेंकटारमन पर मुकद्दमा चलाने का निर्णय कर लिया है और उसके विरुद्ध पहले से मुकद्दमा दायर कर दिया गया है ।

भारतीय उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रन्थों का अनुवाद

*४५५. **श्री राधा रमण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यूनैस्को से भारतीय उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रन्थों के विदेशी भाषाओं में अनुवाद कराये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो जिन उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रन्थों का अनुवाद किया जायेगा, उन के नाम; तथा

(ग) किन किन भाषाओं में उनका अनुवाद किया जायेगा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद):

(क) जी, हां !

(ख) अस्थाई रूप से यह पुस्तकें चुनी गई हैं :

(१) गोदान ।
(२) कृष्णकांतेर विल ।
(३) कम्ब रामायणम
(४) ज्ञानेश्वरी ।
(५) तुकारामाचे अभंग ।
(६) कामायनी ।
(७) तिरुकुराल ।
(८) रामचरित मानस ।

(ग) (१) से (६) तक अंग्रेजी में और (७) से (८) तक फ्रेंच में ।

सहायक सेना छात्र दल

*४५६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक देश में सहायक सेना छात्र दल ने कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या बड़ौदा विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय ने, तथा दिल्ली राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य ने इस योजना को अपनाया है ; तथा

(ग) सहायक सेना छात्र दल की केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति के अपनी सातवीं बैठक में दिये गये सुझावों को दृष्टि में रखते हुए पाठ्यक्रम में क्या कोई संशोधन किये गये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) सहायक सेना छात्र दल ने अब तक बहुत अच्छी प्रगति की है । सन् १९५३ के प्रारम्भ में इसकी संख्या लगभग ८,००० थी और इसकी वर्तमान संख्या लगभग ८४,००० है ।

(ख) सहायक सेना छात्र दल बम्बई, कच्छ, सौराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पैप्सू, त्रिपुरा और कुर्ग के राज्यों में भी प्रारम्भ की गई हैं : शीघ्र ही बाकी राज्यों में से अधिकांश में इस योजना के जारी किये जाने की आशा की जाती है ।

(ग) जी, हां । सहायक सेना छात्र दल के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में इन विषयों को जोड़ दिया है ।

(१) आग बुझाना ।

(२) तैरना और डूबत का बचाना ।

(३) भीड़ नियंत्रण :

निवारक निरोध

*४५७. **श्री घूसिया :** (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चोर बाजारी और दूसरी समाज विरोधी कार्यवाहियों के लिये सन् १९५३ में उत्तर प्रदेश में निवारक निरोध अधिनियम के आधीन कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था ?

(ख) कितने व्यक्ति अभी भी जनर बन्द हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

अबदुल रहीम खान खाना का मजार

*४५८. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री एम० एल० द्विवेदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि निजामुद्दीन में अब्दुल रहीम खानखाना के मजार की मरम्मत की बहुत आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत के इस महान कवि के मजार की मरम्मत करायेगी ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

विधि मंत्रालय में पदों पर भरती

५४. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विधि मंत्रालय में अधिकारियों की भरती के लिये सरकार द्वारा अपनाई गई पद्धति ;

(ख) क्या सभी कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भरती किये जाते हैं, अथवा सीधे मंत्रालय द्वारा ;

(ग) सीधे मंत्रालय द्वारा तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भिन्न भिन्न राज्यों से भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या ;

(घ) आन्ध्र राज्य के बनने के पश्चात् उस राज्य से कितने व्यक्ति चुने गये ?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य-मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) तथा (ख)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०]

(ग) (१) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा १

(२) अन्य प्रकार से ५

(घ) कोई नहीं।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र

५५. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ में राज्यवार नैशनल सेविंगज सार्टिफिकेटों (राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों) के विक्रय से कितनी धन राशि प्राप्त की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : १-४-१९५३ से अक्टूबर १९५३ तक राज्यवार विक्रय के आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]।

शुक्रवार,
२६ फरवरी, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, २६ फरवरी, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

३ म० प०

स्थगन पस्ताव

दिल्ली में विमान दुर्घटना

अध्यक्ष महोदय : २५ फरवरी १९५४ को यमुना पुल के पास जो विमान दुर्घटना हुई है, उस के बारे में मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है । मैं उस के प्रस्तुत किये जान की अनुमति नहीं दे सकता ।

प्रशासनिक कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज की योजना समिति सम्बन्धी वक्तव्य

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : प्रशासनिक कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज की योजना समिति के सम्बन्ध में डा० अमीन द्वारा पूछे गये अनपूरक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि समिति ने अपनी रिपोर्ट १९५० में प्रस्तुत की थी । जिस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वह अखिल भारतीय टैक्निकल शिक्षा परिषद् केटैनकिल अध्ययन बोर्ड की संयुक्त समिति थी जिस ने प्रशासनिक कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज की स्थापना करने की सिपारिश की थी । उसी सिपारिश के अनुसार जून, १९५३ म प्रशासनिक कर्मचारी प्रशिक्षण कॉलेज की योजना समिति स्थापित की गई थी । इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

बार्सी लाइट रेलवे कम्पनी (हस्तान्तरित दायित्व) विधेयक

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बार्सी लाइट रेलव कम्पनी, लिमिटेड पर केन्द्रीय सरकार को कुछ भुगतान करने का दायित्व डालने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जैसा कि सदन को मालम है, बार्सी लाइट रेलवे कम्पनी स्टर्लिंग क्षेत्र से शासित होने वाली अन्तिम रेलवे है । ठेके के अन्तर्गत सरकार न दिसम्बर १९५२ में इस रेलवे को एक वर्ष का नोटिस दे कर खरीदने का निश्चय किया । नोटिस अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् सरकार ने पहिली जनवरी, १९५४ को इस रेलव का कार्य भार अपने हाथ में ले लिया और अब यह मध्य रेलवे का भाग है ।

सरकार यह चाहती थी कि इस रेलवे के खरीदने में इस के कमचारियों के सेवा

[श्री अलगेशन]

अधिकारों की रक्षा की जाये और उन्हें इस कम्पनी से जितना पैसा मिलना चाहिये उतना मिले। सामान्य रूप से इन कर्मचारियों को बार्सी लाइट रेलवे का शासन प्रबन्ध लिये जान के समय से सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले नये कर्मचारियों की तरह से माना जाना चाहिये था । इस से उन लोगों को कठिनाई होती है । इन कठिनाइयों को दूर करने तथा इन कर्मचारियों की नौकरियों को जारी रखने के लिये यह आवश्यक था कि कम्पनी सरकार को कुछ धन दे जिस से कि सरकार कमचारियों के उपदान या भविष्य निधि में विशेष अंशदान सम्बन्धी दायित्व को पूरा कर सके। कम्पनी ने अपने दायित्व को स्वीकार किया और क्रय मूल्य में इस राशि को कटवाने की बात मान ली । किन्तु इस में कुछ कानूनी कठिनाई थी । कम्पनी ने नवम्बर १९५३ में यह कहा कि चूंकि यह कम्पनी इंग्लैंड में रजिस्टर थी और इस पर इंग्लैण्ड का कानून लागू होता है, इसलिये कानूनी तौर से यह ऐसा नहीं कर सकती। उस कानून के अनुसार कम्पनी क्रय मूल्य में से कोई निर्मूल्य भुगतान नहीं कर सकती ।

इसलिये कम्पनी के कर्मचारियों के उपदान तथा अवकाश वेतन को पूरा करने के लिय कम्पनी की आस्तियों में से धन देना अनिवार्य हो इस निमित्त भारतीय विधान बनाना आवश्यक था। दिसम्बर, १९५३ में कम्पनी तथा अन्य प्राधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत को अन्तिम रूप से तय कर दिया गया था । चूंकि यह वैधानिक कार्य दिसम्बर, १९५३ की समाप्ति से पूर्व पूरा हो जाना चाहिय था इसलिये ३१ दिसम्बर, १९५३ को एक अध्यादेश जारी किया गया था । इसलिये यह आवश्यक है कि इस कम्पनी के लेखे को अन्तिम रूप से तय करने के समय तक इस विधान को जारी रखा जाय और इस विधेयक का यही उद्देश्य है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं समझता हूं कि यह विधेयक पूर्ण उत्साह से प्रस्तुत नहीं किया गया है । बार्सी लाइट रेलवे कम्पनी इंग्लैण्ड में ११ जुलाई, १८९५ को निगमित की गई थी । इस के समझौते की मूल शर्तों को देखने से पता लगता है कि इस के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था । इस कम्पनी की रेलवे लगभग २०२ मील तक चलती थी । इस कम्पनी ने अब तक इस में लगभग २ करोड़ और कुछ लाख रुपये विनियोजित किये हैं। इन पचास वर्षों में इस कम्पनी ने महाराष्ट्र वासियों का शोषण किया है । इस कम्पनी ने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया । इस रेलवे लाइन पर पंढरपुर एक तीर्थस्थान है जहां तक लोगों को ठेलों, माल के डिब्बों तथा अन्य प्रकार की गाड़ियों में ले जाया जाता था । पंढरपुर जाने वाले यात्रियों से इस कम्पनी ने बहुत धन कमाया और उन का शोषण किया । मूल समझौते के अनुसार भारत सरकार को इसका कार्य प्रबन्ध १९४४ में अपने हाथ में ले लेना चाहिये था । किन्तु वह अवधि बढ़ा दी गई थी । इस सम्बन्ध में मुख्य प्रश्न यह है कि इस की रक्षित निधि का क्या होगा और अपने कर्मचारियों को कुछ क्षतिपूर्ति देने का इस का जो दायित्व है उस का क्या होगा ? इस कम्पनी के संचालक तथा प्रबन्धक अंग्रेज थे । इस के निदेशालय के २४ अधिकारियों का वार्षिक वेतन २,१५,००० रुपये तक था जब कि अधीनस्थ पदों के १८५० कर्मचारियों का वेतन १,१९,००० रुपये तक

था । इस से ही मालूम पड़ जाता है किये विदेशी संचालक कितना शोषण करते थे । मजदूरों तथा यात्रियों के शोषण से इस कम्पनी ने ९२ लाख रुपये तक की रक्षितनिधि बना ली थी । यह सरकार उसे एक करोड़ और कुछ लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देगी। इस ने उसे १,९०,००,००० रुपय क्रय मूल्य के रूप में देना स्वीकार कर लिया है । किन्तु अब प्रश्न यह है कि उन १८,००० कर्मचारियों का क्या होगा ? इन कर्मचारियों ने अपना एक श्रम संघ बनाया है और उन्हों ने कंम्पनी से न्याय करने के लिये कहा । १९४७ में देश में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इस कम्पनी ने वेतन आयोग की वेतन श्रेणियों को लागू करने की बात मान ली ।

जब सरकार द्वारा इस कम्पनी का नियंत्रण अपने अधीन लेने के सम्बन्ध में बात-चीत चलाई गई तो कम्पनी के कर्मचारियों ने सरकार को इस बात के प्रार्थना पत्र भेजे कि कम्पनी रक्षित निधि तथा संचित निधि और उसे जो सरकार से क्रय मूल्य मिलेगा उन में से उनको भी हिस्सा मिलना चाहिये क्योंकि ये सब मज़दूरों के कठिन परिश्रम के कारण ही कम्पनी को उपलब्ध हुए हैं । किन्तु भारत सरकार ने उन की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया । निराश हो कर कर्मचारियों ने २४ अक्टूबर को कम्पनी को हड़ताल का नोटिस दिया । औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा २२ के अन्तर्गत सरकार को यह मामला न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर देना चाहिये था । महाराष्ट्र के संसद् सदस्यों ने भी श्रम मंत्री से इस मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिये कहा । किन्तु इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया । इस का क्या परिणाम हुआ ? अब कम्पनी इस की मालिक नहीं रही । सम्भवतः इस मामले में कानूनी कठिनाइयां पैदा हों । इस कम्पनी के खत्म हो जाने के बाद भी सरकार ने इस मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट नहीं किया और कर्मचारियों के पास कोई चारा नहीं रह गया ।

श्रम न्यायाधिकरणों न इस बात को माना है कि जब कोई कम्पनी अपना कार-बार बन्द कर देती है तो हिस्सेदारों के रूप में उस कम्पनी के कर्मचारियों को उस की रक्षित निधि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है । इस विधेयक द्वारा सरकार उस कम्पनी को इस बात के लिये बाध्य करना चाहती है कि वह उपदान और अन्य दावों के रूप में सरकार को कुछ धन दे । मैं यह चाहता हूं कि सरकार उस कम्पनी की रक्षित निधि में से धन प्राप्त कर के उसे सम्बद्ध कर्मचारियों में बांट दे । अतः मैंने इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत करने की सूचना दी है कि यह कम्पनी अपने कर्मचारियों को क्षतिपूरक बोनस दे । इसकी पूंजी में कुल अंशदान एक करोड़ रुपया है । इस के अंशधारियों ने इस में जितना मूल अंशदान किया था उन्हें लाभांश के रूप में इस से कई गुना अधिक दिया जा चुका है । यह बड़े खेद का विषय है कि इस कम्पनी के कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की गई हैं । उन्हों ने सम्बद्ध मंत्रियों तथा प्रधान मंत्री से लिखा पढ़ी की किन्तु उस का कोई परिणाम नहीं निकला । और ये कर्मचारी इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे । सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इन कर्मचारियों को सुविधायें दे जो कि अब सरकार की नौकरी में आ गये हैं । सरकार को कम्पनी के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिये ।

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्देशित--आंग्ल-भारतीय) : मैं ने अपन संशोधन को प्रस्तुत करने की सूचना दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संशोधन का अन्तिम भाग अनियमानुकूल है और जब यह प्रस्तुत किया जायेगा तब मैं इस के सम्बन्ध में कहूंगा ।

श्री फ्रैंक एंथनी : श्री मोरे का भाषण सुनने के बाद मैं यह समझता हूं कि इससे लोगों की मांगें पूरी नहीं होतीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सरकार से इस बात का अनुरोध कर सकते हैं कि उन कर्मचारियों की नौकरी की शर्तें कम लाभदायक नहीं होनी चाहियें । कम्पनी कर्मचारियों को सीधे ही भुगतान नहीं कर सकती क्योंकि अब उसका नियंत्रण समाप्त हो गया है । सरकार उस से धन वसूल कर के कर्मचारियों को देगी । रेलवे आय व्ययक के समय माननीय सदस्य सरकार से अन्य आवश्यक कार्य करने के लिये कह सकते हैं । श्री एस० एस० मोरे के भी कई संशोधन अनियमानुकूल हैं ।

श्री फ्रैंक एंथनी : किसी विशेष रेलवे का कार्य भार अपने हाथमें ले लेने पर सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उन्हें उन शर्तों पर नौकरी में रखे जिस से उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि यह सुझाव अच्छा है किन्तु यह विधेयक के कार्य क्षेत्र के बाहर है । इस विधेयक का सम्बन्ध उस कम्पनी से धन राशि ले कर उन अधिकारियों को देने से है ।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं चाहता हूं कि माननीय उपमंत्री इस बात का आश्वासन दें कि कम्पनी के अन्तर्गत इन कर्मचारियों की जो पदस्थिति थी और सेवा के भविष्य के बारे में जो आशा थी, वह सरकार के कार्य प्रबन्ध के अधीन भी वैसे ही रहेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये वैसे ही रखी गई हैं । कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है ।

श्री फ्रैंक एंथनी : किन्तु मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि कर्मचारियों को कम्पनी की सेवा के अधीन जो विशेषाधिकार और अधिकार प्राप्त थे, सरकार उन्हें किस हद तक मानेगी ।

मैं यह जानना चाहूंगा कि इस कम्पनी के कर्मचारी-वृन्द की कितनी श्रेणियां थीं और सरकार उन्हें अपने प्रशासन में किस तरह खपाएगी । उदाहरणतया मैं माननीय उपमंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या कम्पनी के अधीन पहली श्रेणी के कर्मचारी थे और यदि थे, तो सरकार उन्हें किस तरह खपाएगी । मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस कम्पनी के तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें उसी प्रकार की रखी जायेंगी, जिस प्रकार कि भारतीय रेलवे के इन्हीं प्रकार के कर्मचारियों की हैं।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : मुझे हर्ष है कि आधी शताब्दी के बाद इस निजी उपक्रम को, जिसे परिवहन का एकाधिकार प्राप्त था, सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और यात्रियों के बुरे दिन समाप्त हो गये हैं । इसे लेने में सरकार ने बड़ी उदारता दिखलाई है । यदि निजी उद्यम अपने हाथ में लेने के बारे में सरकार की नीति यही रही, तो मैं इस के परिणाम को सोच कर कांप उठता हूं । इस कम्पनी की पूंजी १ करोड़ रुपये थी । पिछले ५० वर्षों में इतनी राशि ६ बार अदा की जा चुकी है और १५० लाख रुपये का अवितरित लाभ अभी बाकी है । मैं नहीं जानता कि क्या माननीय उपमंत्री ने कभी इस रेलवे पर कुर्डुवाडी से पंढरपुर तक यात्रा की है और स्टेशनों तथा बैंचों की जो बुरी हालत है, वह देखी है । ये सब आस्तियां १७२ लाख रुपये

मानी गई हैं । मैं जानना चाहूंगा कि यह मूल्यांकन किन आधारों पर किया गया है । मेरे विचार में यदि इस की आम नीलामी की जाती, तो इस राशि का १/१० भाग भी न प्राप्त होता । रेलवे को अपने हाथ में लेने के पश्चात् मूल्यांकन में इतनी उदारता दिखलाने की क्या आवश्यकता । यह मूल्यांकन ज्ञात सिद्धान्तों के आधार पर क्यों न किया जाये क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह कम्पनी एकाधिकार के रूप में कार्य कर रही थी और सरकार ने इसे कुछ रियायतें भी दी थीं ।

मैं कम्पनी के १९०० कर्मचारियों के भविष्य के बारे में भी एक दो बातें कहना चाहूंगा । मैं चाहता हूं कि उन कर्मचारियों के साथ, जिन्हें खपाया जाना है, न्याय किया जाये ।

जहां तक इस रेलवे के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, १९४६ से पहले उन की स्थिति दयनीय थी । १९४७ में केन्द्रीय प्राधिकारियों की उपस्थिति में इस कम्पनी के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और संचालकों का एक सम्मेलन हुआ था, जिस के फलस्वरूप एक समझौता किया गया था । यदि उस समय एक निर्णय किया गया था, तो अब कुछ कर्मचारियों की पदावनति करने, उन के लिए अन्य पदों का प्रस्ताव करने और उन्हें १ जनवरी, १९५४ से पुनः नियुक्त किये जाने वाले नये कर्मचारी समझने का क्या औचित्य है ? मेरे विचार में सरकार अब भी इस सारे मामले पर पुनर्विचार कर सकती है, क्योंकि वह इन सब मामलों के सम्बन्ध में नये नियम बनायेगी । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि कार्यकुशलता के हेतु यह आवश्यक है कि न केवल वर्तमान कर्मचारियों अपितु उन के पिताओं की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिये ताकि वे इस परिवर्तन से असंतुष्ट नहीं वरन् संतुष्ट हो सकें ।

दूसरा विषय जिस का उल्लेख श्री मोरे ने भी किया है, बहुत महत्वपूर्ण है । वह यह है कि कम्पनी के बन्द या समाप्त हो जाने के बाद रक्षित निधियों के वितरण के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति क्या है और क्या कर्मचारियों को भी इन में से कुछ मिलने का अधिकार है या नहीं । मेरी राय में सब व्यय पूरा करने के बाद जो अतिरिक्त लाभ बच जाता है, वह श्रमिकों के श्रम के कारण ही होता है । यदि हम श्रमिकों के लिए सारी राशि का दावा न करें, तो उन्हें कम से कम इस का कुछ भाग मिलने का तो अवश्य अधिकार है । ये रक्षित निधियां कई प्रकार की हैं और इन में से मुख्य ये हैं : मोचनीय विऋण पत्रकों की निधि, अंश परिवर्त्तन और विनियोग के विक्रय से लाभ, अवक्षयण तथा नवीकरण निधि और कर निधि । इन सब निधियों में श्रमिकों या कर्मचारियों का भाग है । कुल रक्षित निधि को जो कि ७२ लाख रुपये है और अन्य अवितरित राशियों को अवितरित लाभ समझना चाहिए और इस में से श्रमिकों को अपना भाग मिलना चाहिए । इस सम्बन्ध में कर्मचारियों ने अपना दावा और प्रार्थना-पत्र सरकार को प्रस्तुत कर दिए हैं और मांग की है कि इस मामले को अधिनिर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जाये । मेरे विचार में सरकार को यह प्रार्थना स्वीकार कर लेनी चाहिये और यह विशिष्ट मामला एक अधिनिर्णेता को निर्दिष्ट कर देना चाहिए । मैं आश्वासन देता हूं कि कर्मचारी इस निर्णय को स्वीकार करेंगे ।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि इस रेलवे को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है । किन्तु साथ ही मुझे इस की आस्तियों के मूल्यांकन पर बहुत आपत्ति है । यदि यह धन अभी दिया नहीं गया है तो अब भी एक स्वतंत्र अभिकरण नियुक्त कर के यह मूल्यांकन किया जा सकता है । जिन लोगों ने कम्पनी की आस्तियों की जांच की है, उन की

य यह है कि जो मल्य लगाया गया है या

[श्री गाडगील]

लगाने का निश्चय किया गया है वह बहुत अधिक है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले का एक अधिनिर्णायक या औद्योगिक न्यायालय को निर्दिष्ट कर दे। इस अभिकरण के निर्णय करने तक रक्षित निधि तथा अन्य राशियों का कम से कम ५० प्रतिशत तक भुगतान रोक देना चाहिए।

श्री टी० बी० विट्ठल राव (खम्मम) : निजाम राज्य की सरकार तथा गायकवाड़ राज्य व अन्य राज्यों की रेलें लेने पर कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं की गई जब कि इस रेल को लेने के लिये १,८९,००,००० रु० की राशि दी जा रही है। यह है अंग्रेजों के प्रति हमारी सरकार की कमजोर नीति का ज्वलन्त उदाहरण। पचपन वर्ष में इस कम्पनी ने जाने कितना लाभ कमाया होगा।

इस कम्पनी ने सुविधायें ही क्या दीं जब कि रेल गाड़ी के डब्बों में जानवरों की तरह भर कर हमें यात्रा करनी पड़ी। सब से आश्चर्यजनक चीज़ तो यह है कि इस कम्पनी के पास ७२ लाख रुपये की रक्षित निधि है जो सरकार को नहीं दी जा रही है। इस राशि में और भी वृद्धि होती जा रही है। अतः आवश्यक है कि सरकार इस निधि को ले ले।

बोनस पहले भी दिया जा चुका है। अतः बोनस की मांग नई नहीं है। जब रेलें कम्पनियों की थीं तो मजदूरों का बड़ा शोषण किया गया था। अब १९४७ के बाद से उन की स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। यह मांग उचित है इस कारण इस की पूर्ति की जानी चाहिये।

अब इस रेलवे लाइन को ही देखिये। इस २०२ मील लम्बी लाइन को फिर से बनवाना पड़ेगा तब जा कर कार्य चल सकेगा।

यदि कम्पनी के सम्पूर्ण स्टाक का मूल्यांकन किया जाये तो यह राशि १,८९,००,००० रु० नहीं होगी। चूंकि अंग्रेजों ने हम को लूटा खसोटा है और हमारा शोषण किया है, अतः क्षतिपूर्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक अंगरेजी पूंजी को हम अपने देश से नहीं हटा सकेंगे। इस क्षेत्र में छोटी लाइन अथवा बड़ी लाइन बनवाने की मांग लोगों द्वारा की जा सकती है। इस कारण उस समय हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी।

जब कि सभी राज्यों की रेलवे लाइनें सरकार ने अपने अधिकार में ले ली थीं तो इस लाइन को क्यों नहीं ले लिया ? अन्य कम्पनियों को उपदान तथा भविष्य निधि के लिये उत्तरदायी ठहराया गया था जब कि यह कम्पनी अपने कर्मचारियों को ये सुविधायें देने से इन्कार करती है। इस कम्पनी ने और भी बहुत से विशेष लाभ उठाये हैं तथा मुनाफों पर आय कर तक नहीं दिया। सरकारी रेलें तीन पाई प्रति मील के हिसाब से किराया लेती थीं जब कि इस कम्पनी ने चार पाई प्रति मील वसूल किया। इस कम्पनी की अपनी रक्षित निधियां हैं। अतः वह सब निधि ले कर उस में से मजदूरों को बोनस दे देना चाहिये।

कर्मचारियों को जो सुविधायें तथा लाभ पहले मिलते थे, सरकार के रेलों को ले लेने से समाप्त नहीं हो जाने चाहियें। नौकरी बराबर चलती रहनी चाहिये। इस समय यह कहना उचित नहीं कि इन कर्मचारियों को १ जनवरी, १९५४ से पुनः सेवा नियोजित समझा जायेगा।

हाल में मिलाई गई राज्य की रेलों के कर्मचारियों के साथ जैसा व्यवहार किया गया है वैसा ही व्यवहार इस रेलवे के कर्मचारियों के साथ भी होना चाहिये। किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जानी चाहिये और उस

कम्पनी के कर्मचारियों को भी हटाया नहीं जाना चाहिये । रेलवे बोर्ड छंटनी करना चाहता है। अतः वे कह सकते हैं कि अन्य रेलों के अतिरिक्त कर्मचारियों को, इस रेलवे के कर्मचारियों को हटा कर होने वाले रिक्त स्थानों पर रख दिया जायेगा किन्तु ऐसा करना कम्पनी में लगे हुए कर्मचारियों के लिये उचित नहीं होगा ।

अन्य मिलाई गई रेलों में जैसा किया गया था अर्थात् इस रेलवे के कर्मचारियों की ज्येष्ठता की रक्षा की जानी चाहिये। एक सूत्र उन में बना लिया गया था जिस से ज्येष्ठता की सूची बनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि वह सूत्र सही था, किन्तु ज्येष्ठता निश्चित करने के लिये हम ने एक सूत्र बना लिया है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक कम्पनी मज़दूरों की भविष्य निधि उपदाय तथा बोनस आदि का सन्तोषजनक भुगतान नहीं कर देती तब तक हमें क्षतिपूर्ति नहीं करनी चाहिये ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब की ख़िदमत में केवल दो, तीन सुझाव रखना चाहता हूं । सब से पहली मांग तो मेरी यह है कि बारसी रेलवे लाइन पर जो हमारे भाई लोग वर्कर्स लोग काम करते हैं उन को पचास परसेंट बोनस मिलना चाहिए । यह बारसी रेलवे बहुत पुरानी है और गवर्नमेंट के कब्ज़े में आने से पहले अभी तक इस पर अंग्रेज़ लोगों का कब्ज़ा था । गवर्नमेंट ने इस अंग्रेजी कम्पनी बारसी लाइट रेलवे को इनकमटैक्स में काफ़ी छूट दे रखी थी और दूसरी सहूलियतें दे रखी थीं जो कि नहीं देनी चाहिए थीं । दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि बारसी रेलवे लाइन अभी तक छोटी लाइन है, और चूंकि इस लाइन से पूना, बिहार और मध्य प्रदेश के यात्री सफ़र करते हैं इसलिये इस रेलवे लाइन को मीटर गेज बनाने की बहुत आवश्यकता है । इस के अलावा जो रिजर्व फंड है उस में से मज़दूरों को बोनस ज्यादा मिलना चाहिये । उस रेलवे में बड़े बड़े अफ़सर तो आप रखे हुए हैं और हमारे गरीब मज़दूरों को रिट्रेंच करने की कोशिश हो रही है, यह तो बहुत अन्याय उन के साथ हो रहा है, आप ऐसे बड़े बड़े अफसरों की जिन की सर्विस काफ़ी हो चुकी है, उन को आप निकाल सकते हैं, लेकिन मज़दूरों को नहीं निकालना चाहिए । दूसरे उस रेलवे में हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के भाइयों का रिप्रेजेंटेशन ठीक ठीक होना चाहिये, गवर्नमेंट को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और बम्बई रेलवे पबलिक सर्विस कमीशन में भी उन को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस वार्ता के लिये यह संगत नहीं है। यह कार्यवाही केवल उपदान के वितरण तक ही सीमित है ।

श्री पी० एन० राजभोज : गाडगील साहिब ने भी तो इस का जिक्र किया था....

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि पहले के रेल कर्मचारियों ने कुछ उपदान कमाया है और भविष्य निधि में कुछ राशि जमा की है। यह राशि पहले वाली कम्पनी से प्राप्त कर के सरकार कर्मचारियों में वितरित कर देगी। इस विधेयक की बातें स्वतन्त्र रूप से भले ही बहुत अच्छी हों किन्तु इस वार्ता में संगत नहीं है ।

श्री नम्बियार : उन का विचार यह है कि अनुसूचित जाति को सम्मिलित कर सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिये ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं जानता हूं कि मेरे कम्युनिस्ट भाई को हमारे साथ सहानुभूति नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस रेलवे के पास जो बहुत सी ज़मीन पड़ी हुई है, वेस्ट लैंड पड़ा है वह ज़मीन गरीब लोगों को मिलनी चाहिये। इस के अलावा यह जो एक करोड़ और अस्सी लाख रुपये देना है, उस का ज्यादा से ज्यादा बंटवारा हमारे गरीब लोगों के लिए होना बहुत आवश्यक है और साथ ही यह भी बहुत ज़रूरी है के हमारे जो मज़दूर वर्कर्स हैं उन को रिट्रेंच नहीं करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि कर्मचारियों द्वारा कमाया गया उपदान उन को न दे कर अनुसूचित जाति के लोगों में वितरित कर दिया जाना चाहिये।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं ने तो सब वर्कर्स और मज़दूरों के लिए ऐसा कहा है। बस मैं और अधिक न कह कर समाप्त करता और उम्मीद है कि मिनिस्टर महोदय मेरे सुझावों को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मैं समझता हूं कि सरकार की नीति यह होनी चाहिये कि वह यथाशीघ्र सभी निजी रेलवे लाइनों को अपने अधिकार में ले ले। मुझे इस रेलवे के ले लिये जाने से कोई डाह नहीं किन्तु प्रश्न इस बात का है कि पश्चिमी बंगाल में जो निजी रेलें चल रही हैं, जिन का उल्लेख सदन भवन में किया जा चुका है, उन के विषय में क्या हुआ ? मैं सरकार द्वारा प्रसिद्ध टी० बी० रेलवे ले लिये जाने के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। मेरे एक माननीय मित्र ने शिकायत की थी कि इस रेलवे में यात्रियों को रेल डब्बों के बजाय मालगाड़ी के डब्बों में यात्रा करनी पड़ती थी, किन्तु मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हम तेज़पुर-बालीपाड़ा रेलवे को सहकारिता के ढंग पर चला रहे हैं जिस में यात्री भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस में यात्रियों को उतर कर गाड़ी में धक्का भी लगाना पड़ता है और मालगाड़ी के डब्बों में यात्रा करने की कोई भी शिकायत नहीं मिली है। मैं तेजपुर-बालीपाड़ा रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने किन शर्तों पर लिया है यह जानना चाहता हूं। क्या उन को अन्य रेलवे कर्मचारियों वाली सुविधायें दी गई हैं अथवा नहीं ?

दूसरी बात मुझे इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से यह कहनी है कि इस तेज़पुर-बालीपाड़ा रेलवे में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। हम लोगों को बड़ी बड़ी आशायें थीं इस रेलवे में सुधार की किन्तु जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक कोई भी सुधार सरकार ने नहीं किया है।

मुझे केवल माननीय मंत्री जी को यही परामर्श देना है कि इस रेलवे के तथा बारसी लाइट रेलवे के कर्मचारियों में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाना चाहिये। अतः सभी कर्मचारियों के साथ समान दृष्टि से समान व्यवहार होना चाहिये।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर--उत्तर): मैं अपने पूर्व वक्ताओं द्वारा रखी गई बातों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से सहानुभूति अवश्य रखता हूं किन्तु उन से पूर्णतया सहमत नहीं हूं। औद्योगिक न्यायालयों द्वारा कानपुर इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी तथा मद्रास ट्रामवेज़ कम्पनी को दिये गये पंचाट के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। किन्तु अन्य न्यायालयों ने ऐसे ही मामलों में रक्षित निधि में मज़दूरों को अंश देना अस्वीकार कर दिया है। माननीय सदस्य श्री एन० वी० गाडगिल ने यह सुझाव दिया है कि इस मामले का निर्देश किसी पंच अथवा औद्योगिक न्यायालय को किया जाना चाहिये। मुझे पता नहीं कि सरकार तथा कम्पनी में कहां तक बातचीत हो चुकी है किन्तु यदि माननीय सदस्य गाडगिल का

सुझाव अभी कार्यान्वित किया जा सकता है तो मैं चाहूंगा कि सरकार वैसा अवश्य करे। ऐसा न करने से हानि ही हो सकती है। यह मामला बड़ा आवश्यक है किन्तु इस सम्बन्ध में हमें कितनी कम सूचना मिल पाती है। रेलवे बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में भी इस पर केवल तीन-चार पंक्तियां ही देखने को मिलती हैं। इस सम्बन्ध में जो कुछ वार्ता हो रही है इस की सूचना सदन में आनी चाहिये थी जिस से यह पता लगता कि मूल्यांकन के आधार क्या हैं तथा करार की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं। मज़दूरों के हित तथा उन्नति के लिये जो कुछ भी हो सके अवश्य किया जाये किन्तु रक्षित निधि में अंश देने का जो सिद्धान्त वित्तीय कारणों से है, वह मेरे विचार से उचित नहीं।

श्री नम्बियार : विधेयक खण्ड ४ में जो यह कहा गया था कि पुनः सेवा नियोजित कर्मचारियों के भुगतान में केन्द्रीय सरकार को दी गई राशि लाई जायेगी। यहां तो पुनः सेवा नियोजित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन की तो सेवा बराबर चलती रही अतः उन्हें पहले वाली व्यवस्था वाले सभी लाभ मिलने चाहियें। किन्तु यह बात स्पष्ट नहीं होती। मैं माननीय मंत्री से इस का स्पष्टीकरण करवाना चाहूंगा कि वे निरन्तर सेवा में लगे रहेंगे और उसी के अनुसार उन्हें भविष्य निधि तथा अन्य लाभ भी मिलेंगे या नहीं ? यदि सरकार यह कहे कि पहले से हमें क्या मतलब हम तो इस समय की बात जानते हैं तो मैं इस से सहमत नहीं हूं।

नये मालिक को आस्तियों तथा दायित्वों सभी को ग्रहण करना पड़ेगा। बोनस तो कर्मचारियों को मिलना ही चाहिये क्योंकि कम्पनी लाभांश आदि स्वयं लेती रही है। जिन कर्मचारियों ने अधिक समय तक कार्य किया है उन्हें लाभ के कुछ अंश मिलना ही चाहिये, इसी को बोनस कहते हैं। उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में उपदान तथा भविष्य निधि की ही व्यवस्था की गई है; बोनस की नहीं। अतः बोनस के लिये भी व्यवस्था होनी आवश्यक है।

अब रक्षित निधि का प्रश्न आता है। भारत सरकार ने कम्पनी के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं। जब आस्तियां तथा दायित्व ले लिये गये हैं तो कम्पनी की सारी रक्षित निधि भी सरकार को ही मिलनी चाहिये। अतः रक्षित निधि पर अपना अधिकार छोड़ देना सरकार के लिये उचित नहीं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में जब कि लगातार शब्द जोड़ा गया है तो पुनः सेवा नियोजित शब्द खण्ड में क्यों जोड़ दिया गया है ?

श्री अलगेशन : मैं माननीय सदस्यों को इन के बहुमूल्य विचारों के लिये धन्यवाद देता हूं किन्तु मैं समझता हूं कि इस में बहुत कुछ विधेयक के बाहर की बात आ गई है।

जब मैं श्री मोरे का भाषण सुन रहा था तो मैं ने अनुभव किया था कि यह भाषण दिसम्बर, १९५२ से पहले दिया जाना चाहिये था। वह इस रेलवे का समर्थन कर रहे थे, जब उस की दशा इतनी खराब है कि सरकार को उसे अपने अधिकार में ले लेना चाहिये। श्री गाडगिल ने बराबर इस बात पर ज़ोर दिया है कि सरकार इस रेलवे लाइन को अपने हाथ में ले ले। करार के अनुसार नोटिस दे कर इस रेलवे को ले लिया गया है और १ जनवरी, १९५४ से हम इस को अब चला रहे हैं।

अपने अधिकार में लेने के पश्चात् से हम ने यह प्रयत्न किया है कि आने-जाने में जितनी सम्भव हो सके आराम पहुंचाई जाये।

[श्री अलगेशन]

हम ने विभिन्न रेलों से लगभग ५० डब्बे भेज दिये हैं जिन का उपयोग इस लाइन पर किया जा रहा है ।

यह बिन्दु उठाया गया था कि क्या बोनस तथा रक्षित निधि में से कम से कम कुछ अंश ही कर्मचारियों को दिया जाये अथवा नहीं, इन लोगों के परिश्रम स्वरूप जमा किया गया था । कुछ मिन्टों में इस पर अधिक नहीं बताया जा सकता । इस के सम्बन्ध में एक करार है ।

१–८–१८९५ के संविदा के खण्ड ४३ के अन्तर्गत् इंगलैण्ड की कम्पनी को स्टर्लिग में भुगतान किया जाने वाला क्रयमूल्य, समय समय पर स्वीकार किये गये पारस्परिक प्रबन्ध के अनुसार, उपक्रम पर सरकार की अनुमति से कम्पनी द्वारा स्टर्लिग में किये गये कुछ पूंजी-व्यय के बराबर होगा, तथा इस उद्देश्य के लिये रुपयों में हुए पूंजी व्यय को स्टर्लिग में परिवर्तित कर लेना होगा ।

श्री एस० एस० मोरे : चूंकि उन्हों ने करार का निर्देश किया है, तो क्या यह सदन पटल पर रखा जायेगा ?

श्री अलगेशन : इस करार के अनुसार कम्पनी की तरल आस्तियों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है । हमें क्रय मूल्य देना पड़ता है और अन्य आस्तियां लेनी पड़ती हैं । केवल इन्हीं पर हमारा अधिकार है ।

अन्य बातें, मैं समझता हूं, अधिक संगत नहीं हैं । यह कहा गया था कि यह.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन को करार की प्रतिलिपि दी जायेगी ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, अभी तक मेरे पास करार के खण्ड ४३ का पूर्ण विवरण है किन्तु उस की भाषा काननी होने के कारण उस को पढ़ कर सुना देने से कोई लाभ नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा तात्पर्य अभी पढ़कर सुनाने से नहीं है । इस की एक प्रतिलिपि पुस्तकालय में रख दी जाये जिस से जो भी माननीय सदस्य चाहे उसे पढ़ सके ।

श्री अलगेशन : अवश्य ही श्रीमान्, करार की प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी जा सकती है ।

इस सम्बन्ध में मैं एक आवश्यक बात और निवेदन करना चाहता हूं जो पूर्ण संगत है । यह हो सकता है कि हम कुशलतापूर्वक रेलें चला सकते हैं, इस में कोई कठिनाई नहीं है किन्तु फिर भी देश के औद्योगिक विकास में हम विदेशी पूंजी को भाग लेने के लिये आमंत्रित कर रहे हैं । उस दृष्टिकोण पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है । विशेषकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब कि माननीय सदस्य श्री गाडगिल जैसे व्यक्ति ने जिन को काफी अनुभव प्राप्त है, इस सुझाव पर उचित ध्यान नहीं दिया । इस अवस्था पर जब कि हम विदेशी पूंजी को आमंत्रित कर रहे हैं और उन की सहायता लेना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिस से उन के विश्वास में कोई अन्तर पड़ सके । (**श्री एस० एस० मोरे :** किस का विश्वास ?) संविदा सम्बन्धी आभारों का आदर करने में हमारी क्षमता । (**एक माननीय सदस्य**) : ब्रिटिश तथा अमरीकी साम्राज्यवाद का आदर) अनेक माननीय सदस्यों के प्रश्न का मेरा यही उत्तर होना चाहिये ।

मद्रास की ट्रामवे कम्पनी आदि का प्रश्न रखा गया था जैसा कि आप को ज्ञात है, श्रीमान्, अब वह कम्पनी ट्रट गई है । अब उस का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है ।

श्री गाडगील : इस कम्पनी का भी अब अस्तित्व नहीं रह गया है । आप पंच-निर्णय क्यों नहीं मान लेते हैं ?

श्री अलगेशन : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मद्रास की इस सेवा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है जब कि यह अभी चल रही है ।

श्री एस० एस० मोरे : कानपुर इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी के विषय मे क्या हुआ ?

श्री अलगेशन : श्रीमान, मुझे इस कम्पनी विशेष के विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

कर्मचारीगण का प्रश्न उठाया गया था । मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि लगभग सभी कर्मचारियों को लिया जा रहा है। एक समिति ने इन कर्मचारियों के प्रश्न की जांच की और उन सभी को विभिन्न ग्रेडों में रख दिया गया है । उन में से लगभग सभी को या तो पुनः सेवा नियोजित कर दिया गया है अथवा सेवा में रख लिया गया है । उस अर्थ में उन की निरन्तर सेवा में कोई अन्तर नहीं पड़ने पाया है । इस से एक प्रश्न स्वाभावतः यह उत्पन्न होता है कि मान लीजिये कि इस वर्ष के प्रथम दिन उन कर्मचारियों की सेवायें समाप्त हो गई होतीं, तो कम्पनी को इन विभिन्न मदों के अनुसार कितनी राशि, उपदान तथा एवजी आदि देनी पड़ती । कम्पनी से वह हम वसूल कर रहे हैं । एक प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या कम्पनी आय-कर देती रही थी । निश्चय ही वह देती रही थी और पिछले वर्ष ५ लाख रुपये की राशि का भुगतान कम्पनी ने किया था ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : हम जानना यह चाहते हैं कि पचास वर्षों में कुल उन्होंने कितना भुगतान किया था ?

श्री अलगेशन : मैं अर्द्ध-शताब्दी के आंकड़े नहीं जानता । मेरे पास पिछले वर्ष के ही आंकड़े हैं और मैं सदन को केवल उसी की सूचना दे सकता हूं ।

मैं चाहता हूं कि यह विधेयक आज पारित कर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि बारसी लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड पर केन्द्रीय सरकार को कुछ भुगतान करने का दायित्व डालने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—परिभाषा

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्डों को लूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—(कम्पनी द्वारा केन्द्रीय सरकार को भुगतान)

उपाध्यक्ष महोदय : उपदान तथा भविष्य निधि दो ही मद इस में हैं । इस विधेयक में बोनस नहीं आता है । अतः इस संशोधन को पुरःस्थापित करना क्या संगत होगा ?

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बंधी के समिति के प्रथम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन दूसरे विषय पर विचार करेगा । श्री आल्तेकर द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था कि सदन गैर सरकारी विधेयक समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (बसीरहाट) : प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की गई हैं वे वास्तव में संविधान तथा संविधान में दिये गये अधिकारों आदि के विरुद्ध हैं। संविधान के अनुच्छेद ३६८ के अनुसार प्रत्येक सदस्य को संविधान म संशोधन करने का अधिकार है और संविधान द्वारा केवल जो सीमा निर्धारित की गई है वह यह है कि सदन के दो तिहाई सदस्य उपस्थित हों तथा मतदान लिया जाये। इस के अतिरिक्त अन्य कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। इसी के आधार पर प्रक्रिया के नियम बनाये गये हैं। समिति के कार्य यह हैं। प्रथम है संविधान में संशोधन करने वाले प्रत्येक विधेयक की जांच करनी। इस के पश्चात् जैसा कि प्रक्रिया में दिया हुआ है अन्य सदस्यों को वाद-विवाद करने के लिए बुलाया जा सकता है वे वाद-विवाद करने के पश्चात् अपनी राय उन को बता सकते हैं किन्तु अन्तिम अधिकार उस सदस्य विशेष का रहता है कि वह संसद् में विधेयक पुरःस्थापित करना चाहता है अथवा नहीं। समिति सदन से कोई भी सिफारिश इस सम्बन्ध में नहीं कर सकती कि सदस्य विधेयक को पुरःस्थापित न करे। अतः मेरे विचार से समिति द्वारा की गई सिफारिशें सही नहीं हैं और उन पर मत नहीं दिये जा सकते।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि संसद् सदस्यों को दिये गये विशेषाधिकार तथा कुछ शक्तियों के सम्बन्ध में भी जो सिफारिशें की गई हैं वे उस अनुच्छेद के प्रतिकूल ही हैं। यह समिति के अधिकार के क्षेत्र के बाहर की चीज है। अतः इस प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। नियम ४४ के उपखण्ड (ग) में जो कुछ बताया गया है वह प्रक्रिया के नियमों के अधिकार क्षेत्र तथा शक्ति में पूर्णतया आता है। इस से प्रक्रिया में सहायता मिलती है और संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारों का उचित रूप से पालन करने में भी उचित रूप से सहायता मिलती है। उपखण्ड (ङ) के द्वारा भी सिफारिश करने के अधिकार दिये गये हैं। इस के अतिरिक्त अन्य दिये गये अधिकार जांच सम्बन्धी अधिकार हैं, कोई भी सिफारिश करने के नहीं जिन पर सदन में मत लिया जायेगा। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं और यह चाहती हूं कि इस का विशेषतः प्रथम भाग सदन के समक्ष न रखा जाये और उस पर मतदान का कोई प्रश्न न उठाया जाये।

हम संविधान के निर्माता नहीं हैं। हम उस में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी द्वारा रखे गये विधेयक के अनुसार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिये अथवा उन का निर्वाचन होना चाहिये। इस पर अन्त में यही निर्णय किया गया था कि राज्यपालों की नियुक्ति की जानी चाहिये। अब हम चाहें तो निर्वाचन सिद्धान्त को लागू करने का प्रश्न सदन के सम्मुख रख सकते हैं। राज्यपाल को यथासम्भव दलबन्दी तथा स्थानीय रजनीति से अलग रहना चाहिये। विरोधी पक्ष के सदस्य यह कह सकते हैं कि राज्यपाल नियुक्त होते ही वे दल के व्यक्ति नहीं रहते हैं। मैं यह बात मानने को तैयार नहीं हूं। अतः ऐसे खण्डों को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। समिति श्री एस० वी० रामस्वामी के विधेयक को अनावश्यक बता सकती थी किन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इसे अत्यन्त आवश्यक भी बताते हैं। इस अधिकार को कोई भी नहीं मिटा सकता और न उस पर प्रतिबन्ध ही लगा सकता है।

विधेयक के लिये समय निर्धारित करने का कार्य समिति के अधिकार में है। इस समय को चार घंटे निर्धारित किया गया है। मेरे

विचार से जो विधेयक आवश्यक होते हैं उन के लिये अधिक समय देना चाहिये । अतः इस प्रकार का समय निर्धारण करना उचित नहीं होगा । इस में कुछ और समय देने की व्यवस्था होनी चाहिये । हम लोगों को समिति के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिये, मैं यह अपना प्रस्ताव रखती हूं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान् .....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने कोई संशोधन प्रस्तुत किया है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जी नहीं; मेरा एक विधेयक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सब से पहले हमें इस मामले का क्षेत्र समझने का प्रयत्न करना चाहिए । मैं संक्षेप में इसे बतलाने का प्रयत्न करूंगा । श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि इस से सदन के अधिकार कम होते हैं । मैं समझता हूं कि वास्तविकता में ऐसा नहीं है । जहां तक संविधान में संशोधन करने वाले गैर-सरकारी विधेयकों का प्रश्न है, उन पर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति विचार करती है और सदन को अपनी सिफारिश भेजती है । यह सिफारिश वास्तव में यह होती है कि विधेयक को सदन में पुरः-स्थापित न किया जाए । किन्तु, उसी नियम के अनुसार, यदि सम्बन्धित माननीय सदस्य की यह धारणा है कि वह विधेयक पुरःस्थापित किया जाना चाहिए, तो वह इस का कारण देते हुए कि उस की पुरःस्थापना वह क्यों आवश्यक समझते हैं, संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं । दूसरा पक्ष इस का विरोध कर सकता है । जहां तक माननीय सदस्यों के अधिकारों का प्रश्न है, सम्बन्धित माननीय सदस्यों को समिति में आमंत्रित किया जाता है, उन के तर्क सुने जाते हैं और अंततोगत्वा वे स्वयं महसूस कर सकते हैं कि विधेयक का पुरःस्थापन आवश्यक नहीं है, और ऐसी दशा में वे संशोधन प्रस्तुत नहीं करेंगे । जब कि वे समिति की राय से सहमत न हों तो वे संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं । संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य अपने कारण बतलाते हैं और यह पुरःस्थापन प्रक्रम होता है । तब संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य से अपनी बात कहने को कहा जाता है और दूसरे पक्ष से उस के पुरःस्थापन का विरोध करने के कारण देने को कहा जाता है । उस के शीघ्र पश्चात् उस पर सदन का मतदान लिया जाता है । अतः इस प्रक्रिया से सदन के सदस्यों के अधिकार किस प्रकार कम होते हैं ।

श्री गुरुपादस्वामी ने कोई संशोधन नहीं प्रस्तुत किया है, बावजूद इस के कि वह विधेयक को पुरः स्थापित करना चाहते थे किन्तु प्रक्रिया के अनुसार इस का यही अर्थ होता है कि वह विधेयक को पुरःस्थापित नहीं करना चाहते इसलिए श्री गुरुपादस्वामी बोलने के हक-दार नहीं हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सामान्य प्रथा यह है कि सदस्यों को अपने विधेयक पुरः-स्थापित करने की अनुमति रहती है । पुरः-स्थापन का विरोध सरकार अथवा विरोधी दल द्वारा सामान्यतः नहीं किया जाता । अभी तक एक भी मामले में ऐसा नहीं हुआ कि पुरःस्थापन प्रक्रम पर किसी गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक का विरोध किया गया हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कई बार हुआ है । कार्यालय से मैं ऐसे विधेयकों की सूची देने को कह सकता हूं । श्री कामत का विधेयक जिस में कि वह आत्महत्या का अधिकार चाहते थे, पुरःस्थापन के प्रक्रम पर ही समाप्त हो गया था । निवारक निरोध विधेयक का पुरःस्थापन के प्रक्रम पर विरोध किया गया था । इसलिए यह सोचना सही नहीं है कि कोई विधेयक स्वतः ही पुरःस्थापित हो जाता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

समिति द्वारा केवल सिफारिश की जाती है। इसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है।

डा० कृष्णस्वामी : विधेयक को पुरः-स्थापित करते समय सम्बन्धित माननीय सदस्य से वक्तव्य देने की आशा नहीं की जाती। इसलिए यदि समिति की सिफारिश यह हो कि विधेयक को पुरःस्थापित न किया जाए किन्तु सम्बन्धित सदस्य उसे पुरः-स्थापित करना आवश्यक समझे तो क्या उसे इस सम्बन्ध में अपनी बात का स्पष्टीकरण देने का हक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन नये नियमों के बावजूद भी, जब कि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का विरोध किया जाता है तो सम्बन्धित सदस्य से अपने कारण देने को कहा जाता है। तत्पश्चात् विरोध करने वाले व्यक्ति से अपने कारण देने को कहा जाता है। और तब तत्काल ही यह सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत किया जाता है। यहां केवल मात्र अन्तर यह है कि सदन के पास समिति की सिफारिश मौजूद होती है। सदन इसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस बात पर मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि प्रत्येक सदस्य को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का बुनियादी अधिकार है। उसे स्वीकार किया जाय, या नहीं, यह दूसरी बात है। किन्तु गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति क्या किसी ऐसे विधान पर गुणावगुण का निर्णय दे सकती है जिसे कोई सदस्य पुरःस्थापित करना चाहता हो ? यदि मैं ने संविधान में संशोधन करने के किसी विधेयक की सूचना दी है और मुझे प्रारम्भ में ही समिति की सिफारिश द्वारा रोक दिया जाता है तो उस सिफारिश से सदन में एक प्रकार की पक्षपात की भावना आ जाती है, और मैं कहूंगा कि इस प्रकार समिति अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाती है। समिति को विधेयक के गुणावगुण पर निर्णय देने का कोई काम नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदन चाहे तो स्वयं को विशिष्ट मामलों पर परामर्श देने के लिये एक समिति की स्थापना कर सकता है। हम यह मान कर चलेंगे कि कोई माननीय सदस्य विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध कर रहा है तथा वे सब कारण दे रहा है जोकि समिति ने दिये हैं। आखिर यह किसी न्यायालय का निर्णय तो है नहीं। हम आखिरी वक्त तक अपना निर्णय बदल सकते हैं। महज इसलिये कि समिति ने ऐसी सिफारिश की है किसी को इस पर चर्चा करने से नहीं रोका जाता। विधेयक के पुरःस्थापन के मामले में कोई बाधा नहीं पड़ती। विधेयक प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य संशोधन पेश कर सकते हैं कि "मैं अपने विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहता हूं। मैं समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं हूं।" तब वह विधेयक को पुरःस्थापित करते हैं और सदन उस पर अपना निर्णय करता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा निवेदन यह है कि मान लीजिये कि कल मैं संविधान को संशोधित करने वाले किसी विधेयक की सूचना देता हूं और उक्त समिति यह निर्णय करती है कि इस विधेयक को सदन में पुरः-स्थापित नहीं करना चाहिए तो, यदि हम सदन में आज प्रस्तुत प्रतिवेदन को स्वीकार कर लें, परिणाम यह होगा कि मैं अपने इस अधिकार से वंचित हो जाता हूं जो मुझे

संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को किसी भी समय प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में है; क्यों कि इस पर एक ऐसी समिति द्वारा निर्णय किया जाना है जो कि वर्तमान परिस्थितियों में एक विशिष्ट स्वरूप की होगी। अतएव यह गैर सरकारी सदस्यों के अधिकारों का एक गम्भीर अतिक्रमण है, विशेषकर विरोधी दल के सदस्यों का और सदन के बहुमत से भेद रखने वाले स्वतंत्र सदस्यों का।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): इसके एक विशेष पहलू पर मैं सदन के सामन कुछ कहना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र, कम्युनिस्ट पार्टी के उपनेता ने अभी अभी कहा है कि, विधेयक पेश करना सदन के प्रत्येक सदस्य का बुनियादी अधिकार है। इसका प्रतिवाद कोई नहीं करता है। मैं तो सदन से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सदन इसका भी विचार करे कि इस समय परिस्थिति कैसी है अर्थात्, सदन के पास कार्य बहुत अधिक है, प्रगति हो नहीं रही है, विधायन कार्य रुका हुआ ह। हम सामान्य आय व्ययक पर, रेलवे आय व्ययक पर, अनुदानों की मागों आदि पर वाद विवाद करने वाले हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि हम, समिति की प्रक्रिया द्वारा, सदन में विस्तार सम्बन्धी वाद विवाद को अधिक से अधिक घटाने का प्रयत्न करें। आपके व्याख्यान से मैंने समझा है कि इस समिति का इरादा यह नहीं है कि, अन्तिम रूप से तै कर दे कि कोई भी विधेयक पुरःस्थापित न किया जाये। सम्भवतः समिति का विचार यह है कि वे परस्पर विस्तारपूर्ण वाद विवाद करेंगे जिसके पश्चात् वे अपनी सिफ़ारिशें देंगे। यदि वे कहेंगे कि अमुक विधेयक सदन के सामने रखा जा सकता है तो वह विधेयक पुरःस्थापित कर दिया जायेगा। यदि किसी विधेयक के सम्बन्ध में उन का मत है कि इस को पुरःस्थापित नहीं करना चाहिये और उस विधेयक को लाने वाला इस सिफारिश से सहमत नहीं है तो वह सदन के सामने एक प्रस्ताव रख सकता है तथा कह सकता है कि: "मुझे समिति का मत स्वीकार्य नहीं है मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं तथा मैं अपने विधेयक को सदन के सामने रखना चाहता हूं" दो तीन मिनट में अपना आशय समझाने के बाद उन के प्रस्ताव का निपटारा हो जाता है। उसके बाद मत विभाजन होता है तथा वाद विवाद समाप्त हो जाता है।

इस प्रश्न पर मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हम कोई न कोई ऐसी प्रक्रिया जिससे मध्याह्न भोजन के पूर्व जब सदन का सत्र होता रहे तो बहुत सी प्रवर समितियां या अन्य समितियां, इन विधेयकों के प्रत्येक उपबंध पर विस्तारपूर्वक विचार करती रहें जिससे मध्याह्नोपरान्त जब सदन में वाद विवाद हो तो वाद विवाद को किसी विधान के मौलिक सिद्धान्तों तक ही सीमित रक्खा जा सके। अन्यथा हम कोई प्रगति न कर पायेंगे। प्रतिदिन हमारे सामने हर प्रकार के बड़े बड़े सवाल जैसे वैदेशिक नीति, आर्थिक नीति आते रहते हैं, साथ ही साथ स्थगन प्रस्ताव भी रोज़ ही आते रहते हैं। इसलिये जब तक हम इस प्रकार की किसी समिति की प्रक्रिया का उपयोग नहीं करेंगे, हम विधायन कार्य में कोई भी प्रगति नहीं कर सकेंगे। इस में न तो व्यक्तिगत रूप से किसी सदस्य के अधिकारों पर कोई आंच आने वाली है और न सामूहिक रूप से सदन के ही अधिकारों को कोई धक्का पहुंचने वाला है। समिति किसी न किसी रूप में सदन के विचारों का ही प्रतिनिधित्व करती है और जहां तक मेरी समझ में आया है यह समिति केवल इतना चाहती है कि सदन में होने वाले वाद विवाद को कम किया जा सके। अस्तु, मेरा सुझाव

[डा० काटजू]

है कि इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया जाय । इसके द्वारा प्रत्येक सदस्य के विधेयक प्रस्तुत करने के अधिकार की रक्षा होती है तथा साथ ही साथ सदन को लाभ यह ह कि सदन में होने वाले वाद विवाद को घटाया जा सकता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह तो विरोधी पक्ष के सदस्यों पर एक प्रकार का प्रहार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, मैंने माननीय सदस्या को कितनी ही बार बोलने का अवसर दिया है । अभी कितनी बार और उनको बोलने का अवसर देना होगा ? माननीय सदस्या को सम्भवतः कोई सनक सवार है । माननीय गृहकार्य मंत्री ने जो कुछ कहा है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रहार निहित नहीं है । चूंकि इस प्रकार का प्रतिवेदन सदन के सामने सबसे पहले उपस्थित किया गया है मैं माननीय सदस्यों का सामान्य विचार जानना चाहता था, इसलिय मैंने आध घंटे तक वार्ता चलने दी । माननीय सदस्या एक बार अपनी बात कह चुकी हैं । फिर भी हालांकि मैं अन्य माननीय सदस्यों को बुलाता हूं वे मिनट मिनट पर खड़ी हो जाती हैं । अब मैं श्री एम० एस० गरुपादस्वामी को बोलने का अवसर दूंगा । क्योंकि उन्होंने अपने नाम से एक विधेयक की सूचना दी है । इसी अवसर पर वे माननीय सदस्य भी अपनी बात कह सकते हैं जिन्होंने संविधान में परिवर्तन करने के लिये विधेयक रखने की सूचना दी है । जिसने मूल प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करने की सूचना दी हैं वह भी अपनी बात समझा सकता है तथा सदन की स्वीकृति से अपना विधेयक पुरःस्थापित करा सकता है । नियमावली में और कुछ नहीं है । साधारणतया जब माननीय सदस्य अपने विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगते थे तो वह केवल मुख्य मुख्य बातें ही कह सकते थे परन्तु अब वे तथा उक्त विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करने वाले दोनों ही अपनी बात विस्तार से समझा सकते ह । पहले माननीय सदस्यों के लिये यह सम्भव नहीं था कि वे विधेयकों के उपबन्धों पर विस्तार से विचार कर स परन्तु अब उनके पास एक ऐसी समिति क प्रतिवेदन है जिसने विस्तारपूर्वक सारे उप बन्धों पर विचार किया है । वाद विवाद के पश्चात् मत विभाजन होगा । समिति की सिफ़ारिशें या उसका प्रतिवेदन तो केवल परामर्श के रूप में है इसलिये ऐसा कोई भय नहीं होना चाहिये कि सदस्यों के अधिकारों पर किसी प्रकार की आंच आ सकेगी ।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : क्या सरकारी विधेयकों के लिये भी इसी प्रकार की कोई समिति बनाई गई है जिसमें इस सदन के माननीय सदस्य भाग ले सकते हों ? मैं इस सम्बन्ध में सूचना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस समिति के बनाये जाने का प्रश्न है तो यह तो केवल ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये बनाई गई हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं सदव्यवहार सम्बन्धी प्रश्न उठाता हूं—चाहे औचित्य प्रश्न न सही । मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग, साधारणतः तथा न्यायोचित रूप से, सदन के दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति करते हैं, उसका प्रयोग आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिये । इसीलिये मैं प्रश्न करता हूं कि क्या आपके लिय इस सदन के एक सदस्य के प्रति, ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित था—'माननीय सदस्या को सम्भवतः कोई सनक सवार है ।' यही बात यदि डा० काटजू ने कही होती तो हम इस पर

कोई ध्यान नहीं देते। परन्तु यदि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें आप से यह पूछने का अधिकार है कि यह कहां तक सदव्यवहार के उन नियमों के अनुकूल है, जिनके अनुसार इस सदन की कार्यवाही को चलाने की आप से आशा की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि मैं माननीय सदस्यों पर कोई आक्षेप नहीं कहना चाहता था। मेरा तो विचार केवल इतना था कि माननीय सदस्या के दिमाग में कोई और बात है क्योंकि वे बराबर खड़ी हो जाती थीं और शायद उन्होंने सोचा हो कि यह सम्भवतः बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिये आगे चल कर इसके बहुत भारी परिणाम हो सकते हैं। मैं तो केवल यही प्रकट करना चाहता था और कुछ नहीं। मुझे बड़ा खेद है कि माननीय सदस्य को ऐसा प्रतीत हुआ। यदि मैं जानता कि इससे किसी के मान को धक्का पहुंचेगा तो मैं इस वाक्य का प्रयोग न करता।

विधेयकों का पुरःस्थापन होने वाला है। पहले मैं उन लोगों को अवसर दूंगा जिन्होंने मूल प्रस्ताव में संशोधन रखने की सूचना दी है। मैं अन्य लोगों को भी, जिन्होंने किसी संशोधन को रखने की सूचना नहीं दी है,बोलने का अवसर दूंगा। पहले मैं श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी को अपनी स्थिति के स्पष्टीकरण करने का अवसर दूंगा हालांकि संशोधन रखने का अधिकार रखते हुए भी उन्होंने किसी संशोधन की सूचना नहीं दी है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के सम्बन्ध में जो समिति बनाई गई है उस समिति की सिफारिश इस विधेयक के बारे में बिल्कुल भी सन्तोषजनक नहीं हैं। इस सदन के प्रत्येक सदस्य का यह मूलभूत अधिकार है कि संविधान में संशोधन करने के लिए वह विधेयक प्रस्तुत कर सके। इस समिति का विचार है कि संविधान एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें आसानी से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और इस पवित्र ग्रन्थ म संशोधन करने से पूर्व गैर सरकारी सदस्यों को सोच विचार करना चाहिए। मैं मानता हूं कि संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ है और इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए तथा इसे कम महत्व नहीं देना चाहिए, किन्तु समिति को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि एक सदस्य जो संशोधन प्रस्तुत कर रहा है वह संविधान को महत्वपूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। समिति को तो यह देखना है कि प्रस्तुत संशोधन कम महत्व का है अथवा महत्वपूर्ण। मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सम्बन्ध संविधान के मौलिक रूप से है ; मेरा सुझाव यह ह कि राज्यपालों का अब निर्वाचन होना चाहिए। अब तक इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति को मंत्रालय द्वारा परामर्श दिया जाता है और यह मंत्रालय कांग्रेस दल द्वारा नियंत्रित होता है। तात्पर्य यह है कि ये राज्यपाल कांग्रेस दल के नाम निर्देशित व्यक्ति होते हैं अतः वे उस दल के बाहर के व्यक्ति नहीं होते। समिति का कहना है कि यदि राज्यपाल के पद की निर्वाचन द्वारा पूर्ति की जाय तो वह पद निष्पक्ष नहीं रह जायगा। किन्तु आजकल भी तो शासन करने वाले दल की वह कठपुतली हैं और उस दल द्वारा निर्धारित नीति के पालन करने की आशा उनसे की जाती है। अतः वह दलबन्दी से मुक्त नहीं है। और वह दल का ही एक व्यक्ति है। ये राज्यपाल उसी दल के व्यक्ति हैं। राज्यपालों का नाम निर्देशन करना बहुत ही अलोकतन्त्रात्मक है। अतः उनकी नियुक्ति निर्वाचन द्वारा की जानी चाहिए और यह निर्वाचन लोकतन्त्रात्मक पद्धति के द्वारा होना चाहिए। और ऐसा करने से संविधान

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

को हम स्वतः लोकतन्त्रात्मक बनायेंगे । मेरा विचार है कि समिति न मेरे संशोधन की सिफारिश न करके भूल की है ।

मैं जानता हूं कि इस समिति के केवल कांग्रेस सदस्य यह नहीं चाहते थे कि यह विधेयक सदन म प्रस्तुत किया जाय अपितु विरोधी दल के सदस्य इसे प्रस्तुत करने के पक्ष में थे । अतः समिति में भी मतभेद है और समिति के सदस्यों न एक राय होकर इसकी सिफारिश नहीं की है । चूंकि इस समिति के अध्यक्ष इसे नहीं चाहतें थे अतएव उन्होंने विमति टिप्पणी की आज्ञा तक नहीं दी । यदि समिति हमारे संशोधनों से सहमत नहीं थी तो कोई बात नहीं है, किन्तु मैं यह चाहता हूं कि सदन हमारी बात सुने उन पर चर्चा करे ताकि सदन का मत हम जान सकें । इस सम्बन्ध में समिति सदन के अधिकार नहीं ले सकती, और सदन के किसी भी सदस्य की स्वतन्त्रता कम नहीं कर सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा तो कोई भी नहीं करता । इस बारे में मैं सदन की राय लूंगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लोकतन्त्रात्मक उपबन्ध है । मैं चाहता हूं कि इसे प्रस्तुत करने की सदन अनुमति दे और राज्यपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्वाचन पद्धति अपनाई जाय ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने के लिये जो समिति बनाई गई है वह इसी सदन की है और इस सदन की भावनाओं को व्यक्त करती है । इस समिति में सभी दलों के सदस्य हैं अतः यह सभी दलों की है । विरोधी दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी इस समिति में है ।

यदि कोई सदस्य संविधान के सम्बन्ध में कोई संशोधन रखना चाहते हैं तो इस समिति ने उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली है । संविधान के अनुच्छेद ३६८ के अनुसार सदन के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार दिया गया है; और इस प्रकार के संशोधन की सूचना वह दे सकता है । नियमानुसार यह व्यवस्था की गई है—केवल एक समिति होगी जो इस मामले की अच्छी तरह जांच करेगी, सदस्यों के विचार सुनेगी उन पर विचार करेगी और उसके बाद सदन को सिफारिश भेज सकती है । अतः इस समिति के बन जाने से संशोधनों के गुणावगुण के आधार पर वाद विवाद करने के लिए काफ़ी अवसर मिल गया है, और सदन को सिफारिश करने से पूर्व इन बातों पर विचार करने के लिए काफी अवसर दिया जाता है न कि कोई प्रतिबन्ध लगाया जाता है । और संशोधन की सभी बातों पर पूरा पूरा विचार होता है । अतः मेरा निवेदन है कि सदन के समक्ष संशोधन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सदस्य के अधिकारों को इस प्रकार बढ़ाया गया है न कि उस पर प्रतिबन्ध लगाया है ।

एक महिला सदस्य ने कहा है कि यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद १०५ के अनुसार दिये गये अधिकारों का उल्लंघन करता है; किन्तु मेरा निवेदन है कि उनका विचार एकदम विषयांतर है । इस अनुच्छेद का सम्बन्ध सुरक्षा तथा संसद् में वाक्-स्वातन्त्र्य से है । जिस अनुच्छेद का उन्होंने उल्लेख किया है उसमें बताया है कि संसद् में कही हुई किसी बात अथवा दिये हुए किसी मत के विषय में संसद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी । अतः संविधान के बारे में संशोधन प्रस्तुत करने में यह अनुच्छेद कोई बाधा नहीं

पहुंचाता । अतएव मेरा निवेदन यह है कि जो बात कही गई है वह असंगत है ।

इन प्रस्तुत विधेयकों के बारे में सभी प्रकार से अच्छी तरह विचार किया गया है । राज्यपालों की नियुक्ति निर्वाचन के अनुसार हो इस बात पर संविधान सभा में अच्छी तरह विचार किया गया था और उसके बाद ही यह वर्तमान प्रणाली अपनाई गई है । गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के विचारार्थ समिति की सिफारिशों का सिद्धान्त एक ठोस सिद्धान्त है । यह सदन की इच्छा पर है कि वह इसे स्वीकार करे अथवा अस्वीकार । किन्तु इतना सत्य अवश्य है कि सदन के समक्ष संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार यह समिति नहीं छीनती । अतः समिति द्वारा की गई सिफारिशों को विरोधी दल के सदस्य जिस दृष्टिकोण से देखते हैं वह ठीक नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि यह निवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए । माननीय मित्र श्री मुकर्जी का कहना है कि समिति की ये सिफारिशें सदस्यों के परम्परागत अधिकार छीनती हैं किन्तु ऐसी बात नहीं है । अतएव मेरा यही निवेदन है कि इन सिफारिशों को उसी भावना से देखना चाहिए जिस भावना को लेकर कि ये सिफारिशें की गई हैं और इनसे इस सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सदन के किसी भी अधिकार का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं होता ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : मतदान किस प्रकार होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मतदान के लिए प्रस्ताव सम्बन्धी संशोधन सबसे पहले रखूंगा और उसके बाद प्रस्ताव ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव से सम्बन्धित तीन संशोधन मुझे मिले हैं जिन में से एक संशोधन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का है । चूंकि यह संशोधन मूल प्रस्ताव के विपरीत है और इसके बारे में जो भी निर्णय मतदान के अनुसार होगा वह मूल प्रस्ताव के विरुद्ध होगा ।

श्री के० के० बसु : यह संविधान के अनुच्छेद ११८ के विरुद्ध है । यह समिति सदन के संकल्प द्वारा नियुक्त नहीं है, अपितु अध्यक्ष महोदय द्वारा नियुक्त समिति है । यहां लिखा है कि समिति की सिफारिश के बिना संविधान विषयक कोई भी संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए । इसी कारण मैं पूछ रहा था । यदि प्रत्येक विधेयक पर अलग अलग मत लें तो वह बात दूसरी है किन्तु यदि आप इन सब को मिला कर एक साधारण प्रस्ताव के रूप में लेते हैं तो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित तथा नियुक्त समिति जो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के विचारार्थ बनाई गई है उसकी सिफारिश के बिना कि अमुक अमुक विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, सदस्यों को कुछ भी करने का अधिकार नहीं है । अतएव मेरा निवेदन है कि यह संविधान के अनुच्छेद ११८ का, जिसमें कहा गया है कि हमारे नियम ऐसे नहीं होने चाहिएं कि वे अनुच्छेद ३६८ के विपरीत हों, उल्लंघन करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया हमने अपनाई है वह इसके विपरीत नहीं है ।

प्रतिवेदन में चारों विधेयकों के सम्बन्ध में सिफारिशें की गई हैं । यदि चारों माननीय सदस्य चाहते हैं तो वे ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं कि "यह प्रतिवेदन गलत है । अतः मेरे विधेयक पर विचार किया जाय ।" और ऐसी स्थिति में मैं प्रत्येक विधेयक को सदन में प्रस्तुत करूंगा और प्रारम्भिक अवस्था में भी सदन की राय उस पर ली जा सकती है और उसको प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है । यदि कोई सदस्य इसके बारे में

[उपाध्यक्ष महोदय]

आग्रह नहीं करते हैं तो यह उनकी इच्छा है, इसकी स्थिति यही होगी मानो कि उन्होंने विधेयक प्रस्तुत ही नहीं किया । अतः यदि सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं तो नियमों के विरुद्ध कुछ भी नहीं रह जाता । दूसरे मामलों में जब माननीय सदस्य यह सूचना देते हैं कि उनका विचार है कि विधेयक स्वीकार किया जाना चाहिए; तो उसे प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है । अतः मैं तो नहीं समझता कि नियम तथा संविधान के बीच मुल रूप से कोई असंगति है । कई अवसरों पर अध्यक्ष द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है कि सब बातों का अंतिम निर्णय तो सदन के हाथ में है । अब मैं इसे प्रस्तुत करूंगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : एक औचित्य प्रश्न है । वह कौनसा नियम है जिसके अनुसार प्रस्ताव के बारे में मुझे संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : नियम ४७ । इस नियम में तीन स्थितियों का उल्लेख है — सहमत हो सकता है, अथवा संशोधन के साथ सहमत हो सकता है, अथवा सहमत नहीं हो सकता । अतएव यदि किसी विधेयक के बारे में कोई संशोधन है तो प्रतिवेदन में रूपान्तर होगा, अथवा वह विशेष विधेयक प्रतिवेदन में से निकाल दिया जायगा, तब उस संशोधन को मतदान के लिए मैं सदन में प्रस्तुत करूंगा ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या इसका अभिप्राय यह नहीं होगा कि यदि मुख्य प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो सदन में अनुमति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा मुझे नहीं मिलेगी, और प्रत्यक्षतः सदन की आज्ञा नहीं मिलेगी ? प्रतिवेदन में इस प्रकार की सिफारिश होगी कि श्री मोरे के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और सदन का मत जानने के लिए यह सदन को भेजा जायगा । मुझे संशोधन प्रस्तुत करना होगा कि मेरी पूर्व सूचना स्वीकार कर लेनी चाहिए । यदि मेरा संशोधन रद्द हो गया तो विधेयक प्रस्तुत करने के अधिकार से मैं वंचित हो जाऊंगा । अतः बाधा उत्पन्न करने का यह दूसरा ढंग है जो संविधान के विरुद्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बाधा कहां है ? प्रतिवेदन मिलने के बाद संशोधन के द्वारा वह सदन को यह बताये कि अपने द्वारा दी गई पूर्व सूचना के बारे में वह अब भी आग्रह करते हैं । मेरा आदेश तो यही है ।

श्री एस० एस० मोरे : दुर्भाग्यवश, आप इस समिति के सदस्य हैं और इस के साथ ही आप इस समय यहां पीठासीन भी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं । आप मेरी आलोचना कर सकते हैं जैसे कि कई सदस्यों ने की है । यह बात किसी माननीय सदस्य को अपने अधिकार से वंचित नहीं करती है, अपितु इस से इस सदन को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सुविधा मिलती है । पूर्व नियम कुछ छिपे हुए थे । उन के अनुसार कोई सदस्य, जिस का कोई विधेयक पुरःस्थापन अवस्था पर ही रोका गया होता, यह स्पष्ट नहीं कर सकता था कि उस के विधेयक का वास्तविक स्वरूप क्या था । परन्तु अब यह समिति इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करती है । श्री मोरे केवल यह चाहते हैं कि उन्हें पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करने का एक और अवसर दिया जाये । समिति की रिपोर्ट के बाद माननीय सदस्य जिस ने मूल प्रस्ताव रखा होगा, सन्तुष्ट हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता । यदि उन्हें संतोष नहीं हुआ होगा तो वह सदन को सूचना देंगे कि वह समिति की रिपोर्ट से सहमत नहीं तथा वह इसे पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान् मैं और थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । मान लीजिये कि रिपोर्ट पेश होती है तथा इस में मेरे संशोधन की सूचना भी दी गई होती है । तो क्या मैं सदन में खड़ा हो कर यह कह सकता हूं कि मुझे इसे सदन में पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ? क्या उस दशा में मुझे पुर:स्थापन की अनुमति प्राप्त करने का अवसर मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन तो दिया गया है ।

श्री एस० एस० मोरे : तो बहुमत इसे पुर:स्थापित करने को अनुमति देने न देने का फैसला करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुमत से ही किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है; इस की उपेक्षा नहीं की जा सकती । यदि आप समिति की रिपोर्ट स्वीकार करते हैं तो संशोधन की सूचना नहीं देनी चाहिये और यदि आप इसे रद्द करेंगे तो आप संशोधन की सूचना दे सकते हैं ।

मैं अब श्री रामस्वामी के संशोधन को मतदान के लिए सदन के समक्ष रखता हूं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं इस पर आग्रह नहीं कर रहा हूं ।

श्री नाम्बयार : श्री गुरुपादस्वामी ने भी एक संशोधन की सूचना दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस की अनुमति नहीं दूंगा । जब तक कि कोई संशोधन दिया न गया हो, तब तक मैं इसे मतदान के लिए सदन के समक्ष रखने के लिए तैयार नहीं हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से, जो कि ९ दिसम्बर, १९५३ को सदन में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं ।"

'हां' करने वालों का बहुमत रहा ।

श्री नम्बियार : 'ना' करने वालों का बहुमत रहा । श्रीमान्, यह एक महत्वपूर्ण विषय है । हम इस पर नियमित रूप से मत-विभाजन चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : विभाजन घंटी बजने के बाद सदन में आये माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सदन के सामने यह प्रश्न है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति के प्रथम प्रतिवेदन को, जिसे कि ९ दिसम्बर, १९५३ को सदन में प्रस्तुत किया गया था, स्वीकार किया जाये । इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में तीन संशोधन प्रस्तुत हुए हैं । एक श्री खूब चन्द सोधिया का, दूसरा श्री रामस्वामी का तथा तीसरा श्रीमती रेणुचक्रवर्ती का, जो कि मूल प्रस्ताव का नकारात्मक रूप है ।

जहां तक श्री खूब चन्द सोधिया के संशोधन का सम्बन्ध है, उन्हों ने इस की सूचना दी है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हों ने इसे प्रस्तुत नहीं किया है । वह इस सदन में भी उपस्थित नहीं हैं । इसलिए मैं उन के संशोधन को मतदान के लिए सदन के समक्ष नहीं रखता हूं ।

श्री रामस्वामी का संशोधन सदन के समक्ष रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का संशोधन यह है कि इस प्रतिवेदन को अस्वीकृत किया जाये । इस का निर्णय मूल प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से ही होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया ।

सदन में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में १४७ तथा विपक्ष में ३९ मत आये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक

(धारा ७१ क, ७१ ख का लोप तथा धारा ७१ ग, ७१ घ, आदि का संशोधन)

श्री नम्बियार (मयूरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री नम्बियार : मैं विधेयक को पुरः-स्थापित करता हूं ।

भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक

(नई धारा १५ क की निविष्टि)

श्री नम्बियार (मयूरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री नम्बियार : मैं विधेयक को पुरः-स्थापित करता हूं ।

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (ज़िला गढ़-वाल--पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर--उत्तर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि महिलाओं तथा बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं के विनियमन तथा अनुज्ञापन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक संख्या ८ तथा ९ पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन का स्वरूप पुरःस्थापित किये जा चुके एक विधेयक के ही समान है ।

अनैतिक पण्य तथा वैश्यागृह दमन विधेयक

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (ज़िला गढ़वाल--पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला विजनौर--उत्तर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि स्त्रियों के अनैतिक पण्य तथा वैश्यागृह-दमन से सम्बन्धित विधि का उपबन्ध तथा एकीकरण करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

सभापति महोदया द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

सभापति महोदय : श्री बी० दास अनु-पस्थित हैं । चूंकि विधेयक संख्या १२ तथा १३ समान स्वरूप के हैं अतः इन पर विचार नहीं किया जा सकता । श्री ए० के० गोपालन अनु-पस्थित हैं ।

ढोर वध निषेध विधेयक

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के दुधारू तथा वाहक ढोरों के परिरक्षण की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदया द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक

(धारा ३ का संशोधन)

श्री झूलन सिन्हा (सारन उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय वयस्कता अधिनियम, १८७५ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदया द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री झूलन सिन्हा : मैं विधेयक को पुरः-स्थापित करता हूं ।

जाति भेद उन्मूलन विधेयक

श्री दाभी (कैरा उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दुओं में जातिभेद की सरकारी मान्यता खत्म करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदया द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री दाभी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक

(धारा ३, ५ तथा ८ आदि का संशोधन)

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, १९३३ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदया द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक---जारी

सभापति महोदय : सदन अब २७ नवम्बर, १९५३ को सेठ गोविन्द दास द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा कि देश में दुधारू तथा वाहक ढोरों के परिरक्षण की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : अध्यक्षा महोदया, यह जो प्रश्न हमारे मित्र सेठ गोविन्द दास ने इस विधेयक के रूप में इस सदन के सामने उपस्थित किया है, यह सदियों से लटक रहा है, त्रिशंकु के समान न जमीन का है और न आसमान का है, बीच में लटक रहा है । इस की पार्श्वभूमि यह है कि जब यहां पर मुसलमानों का राज्य आया, हम जब परतंत्र हुए, मुसलमानों ने हम को जीत लिया, उस वक्त से यहां पर गोहत्या की प्रथा जारी हो गयी, कुछ खुराक के लिए और कुछ कुर्बानी के लिए, लेकिन यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों ने भी इस प्रश्न की उपक्षा बहुत नहीं की और मुसलमानी शासन

[डा० एन० बी० खरे]

काल का इतिहास हमें बतलाता है कि बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर आदि बादशाहों ने वक्तन फ़वक्तन (समय-समय पर) गो हत्या निषेध के फ़रमान निकाले हैं। बादशाह शाहआलम ने भी इस प्रकार के फ़ मान निकाले, लेकिन उस के लिए कहा जा सकता है कि वह महादाजी सिन्धिया के जेरे असर था, उन की पावर में था, लेकिन उस के पहले जो मुसलमान बादशाह गुजरे, उन के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। फिर उस के बाद यह दूसरी बात है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों पराभूत हो गये और अंग्रेजों के राज्य ने यहां अपने क़दम जमाये। अंग्रेज़ चाहते थे कि इस देश के ऊपर वह हमेशा के लिये राज्य करें, इस वास्ते इस देश में जो दो कौमें हिन्दू और मुसलमान बसती हैं, उन में मतभेद और फूट पैदा करने के हेतु अंग्रेज़ों का सदा प्रयत्न रहा और यह सब को विदित है कि उन का प्रयत्न यह था कि इस गोवध के ऊपर उन में झगड़ा पैदा किया जाय। अंग्रज़ों ने यह झगड़ा यहां दो सौ वर्ष तक कायम रखा। जब अंग्रेज़ों का राज्य गया और कांग्रेस का राज्य आया तो उम्मीद यह थी कि कांग्रेस का राज्य आते ही यह गोवध प्रथा क़ायदे से बन्द कर दी जायगी और गोवध निषेध आज्ञा कांग्रस सरकार जारी करेगी, लेकिन दुर्भाग्य वश दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। और मुझे बड़ दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश में जो ८५ प्रतिशत हिन्दू रहते हैं उन के दिल में हमेशा यह ठेस कायम रही। मैं इस तरफ़ भी इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कांग्रेस ने जब आन्दोलन शुरू किया तो उस समय खुद कांग्रेस का ही पहलू गोहत्या निषेध था। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक के वक्तव्य हैं, उन को दोहरा कर मैं सदन का समय व्यर्थ व्यतीत नहीं करना चाहता। यह देश एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में बैलों का और उस की माता गाय का बड़ा उपयोग है। इस के बारे में यहां किसी बहस मुबाहसे की जरूरत नहीं है। आजकल इस देश में ट्रैक्टर ला कर खेती करने की चेष्टा की जा रही है। लेकिन इस देश में सदियों तक भी ट्रेक्टर का काम यशस्वी नहीं होगा और बैल को लेना ही पड़ेगा मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस बैल को आप ने चुनाव में अपना चिन्ह माना है, उस की माता गाय की हत्या करने से हमारी कोई तरक्की नहीं हो सकती।

कहते हैं कि गाय की उपयोगिता बहुत है, दूध देती है, उस के दही, मक्खन, घी और गोबर तक की बड़ी उपयोगिता है। खेती के काम में गाय और बैल दोनों आते हैं। वेदों तक में गाय को अघ्न्या (अहन्य) कहा है जिस का हनन नहीं हो सकता, जो मारा नहीं जा सकता। लेकिन म इस वाल के धार्मिक, आर्थिक या और जो किसी किस्म का उपयोग है, उस में नहीं जाना चाहता क्योंकि इस से सदन का समय नष्ट होगा। मेरा सिर्फ एक ही दृष्टिकोण है जिस पर जोर देना चाहता हूं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो हिन्दू इस देश में ८५ प्रतिशत हैं, गाय उन का मानबिन्दु है, हिन्दू इस के लिये अपना जीवन तक कुर्बान करन को हर समय तैयार रहता है और हमारा इतिहास यह साबित करता है कि शिवा जी तक, जिन को हम पूज्य मानते हैं भले ही कुछ लोग उन को मिसगाइडेड पेट्रियट (पथभ्रष्ट देशभक्त) मानते हों, वह गाय की रक्षा के लिये सदा तत्पर रहते थे। उन के पिता शाह जी महाराज आदिलशाही दरबार में वजीरआजमु थे, ऐसे ही कर्नुमकर्नुमन्यथा कर्नुम् थे जैसे कि आज कल पंडित नेहरू हैं।

शिवा जी को एक बार एक मुसलमान ने ललकार दिया कि म गाय को मारता हूं, है कोई हिन्दू जो इस को बचा सके । हमारे छत्रपति शिवाजी आगे आये और उन्होंने उस मुसलमान का सिर उतार लिया । उन को सजा नहीं मिली क्यों कि वह वजीर आजम के पुत्र थे । आप जानते हैं कि इस चीज से हिन्दुओं को कितनी ठस लगाई जा रही है । मैं नहीं कहता कि आज भी कोई ऐसे किसी का सिर उतार ले, म तो केवल इतिहास की एक घटना हाउस के सामने रखना चाहता हूं । इसी लिये शिवा जी को गौ और ब्राह्मण पालक की पदवी दी गई थी ।

अंगरेजों के राज्य में क्या हुआ ? एक तो उन्होंने हिन्दू और मुसलमान का फर्क डालने के वास्ते इस प्रश्न को बार बार हल करने से रोक कर रक्खा और दूसरे व्यापार की दृष्टि से गोहत्या जारी रखी । उन को मालूम हुआ कि बैलों के मांस और चमड़े के बिजिनेस से परदेशों में से लाखों करोड़ों रुपया हिन्दुस्तान में आता है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अंगरेजों के जाने के बाद जो कांग्रस सरकार आई उस का भी व्यापार का ख्याल है और इसी लिये वह गोहत्या बन्द करना नहीं चाहती । मैं इस बात को बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं ।

बात ऐसी है कि, भ्रम से कहें या किसी भी तरह से, हिन्दू गाय को माता मानते हैं, कैसे भी मानते हों, लाक्षणिक या एक्चुअल, लेकिन मानते हैं, इस में उन की भूल है या नहीं, मैं इस में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा होता है । आज देश में हिन्दुओं की मैजारिटी है और कहा जाता है कि यहां पर डिमाक्रेसी है तो जो बहुमत की राय हो उस को मान लेना चाहिये और उसी पर चलना चाहिये । लोग अगर डिमाक्रसी को मानते होते तो जरूर ही गोहत्या को बन्द कर देते । अगर में डिमाक्रेसी को हिन्दिआइज कर दूं तो डिमाक्रेसी का दीमकराशि बन जाता है, जिस की अगर अंगरेजी की जाय तो हो जायेगा "ए हीप आफ व्हाइट ऐंट्स" । इस तरीके से इस डिमाक्रेसी से हिन्दुओं को दास बनाते ह । जब भी हिन्दू कोई बात कहते हैं तो उस में बाधा आती है हमारे सेकुलरिज्म की, जिस को कि मैं शखुलरिज्म कहता हूं जान बूझ कर । यह एक ऐसा सवाल है जिस के बारे में म सब लोगों के दिल का हाल जानता हूं, कांग्रेस वालों के दिल का भी । यहां नहीं लेकिन लाबी में वह इस गोवध निषध के बिल्कुल पक्ष में हैं, लेकिन वह इसे पास नहीं होने देंगे । यह है हमारे यहां की डिमाक्रसी जिस को कि मैं दीमकराशि कहता हूं । सेकुलरिज्म का मतलब क्या है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि हिन्दुओं के विश्वास को इस की आड़ में दबाया जाता है । यह कहा जा सकता है कि अगर हिन्दू गाय को माता मानते हैं तो कांग्रेस या शायद कांग्र इसलाम को अपना पिता मानते हैं, इस वास्ते वह एसा करना चाहते हैं । मुझे परशुराम की बात याद आती है जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का वध किया । कांग्रेस शायद आज इस भ्रम में है कि वह महा पराक्रमी वीर परशुराम के पथ पर चल रही है और पिता को खुश करने के वास्ते माता का वध करवा रही है ।

जो हमारे कांस्टिट्यूशन का आर्टिकल ४८ है उस में न नहीं जाना चाहता लेकिन मैं ने वह रिपोर्ट पढ़ी है जिस में कहा गया है कि इस देश में ६० फीसदी जो ढोर हैं वे बेकार हैं और उन का कत्ल करना बहुत जरूरी है ताकि इस देश में अन्न का प्रश्न भी हल हो जाय जिस का अर्थ है इन्डाइरेक्टली कि गोमांस खाया जाय, ठीक नहीं दिया है । इसलिये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस चीज़ का

[डा० एन० बी० खरे]

सख्त विरोध करता हूं । मैं जानता हूं कि हमारे गोविन्द दास जी सरीखे जितने भी लोग इस समय हैं वे कितना ही प्रयत्नशील रहें कभी भी सफल नहीं होंगे जब तक कि यह राज्य कायम है । मैं उन को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन के दिल को इस चीज़ से जरा भी ठस लगी है तो उन को हमारे पास आना चाहिये ।

सेठ गोविन्द दास : मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने ही गोहत्या बन्द की है ?

डा० एन० बी० खरे : यह भी जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने बहुत सी प्रान्तीय सरकारों को यह आदेश दिये है कि इसे बन्द न किया जाय और मध्य प्रदेश में कसाईखाने खुलने की चर्चा चल रही है ।

सेठ गोविन्द दास : जिस सर्कुलर की आप बात कर रहे हैं वह विदड्रा कर लिया गया है, यह आप को मालूम होना चाहिये । **(अन्तवधिाएं)**

डा० एन० बी० खरे : बहुत अच्छा, धन्यवाद । जो कांग्रेस आज हमारे ऊपर राज्य कर रही है अगर उस का इस से कोई विरोध नहीं है तो हमारी उस से दरख्वास्त है कि वह इसे बन्द करे । लेकिन वह इस पालिसी पर चलेगी नहीं क्योंकि वह इस पर तुली हुई है कि जो जो भी चीजें हिन्दुओं की मानबिन्दु हैं उन का नाश किया जाय । यह कांग्रेस का ध्येय है अपने सेकुलरिज्म की वजह से । कांग्रेस का तो वही हाल है जैसा कि इस छोटी सी कविता में कहा गया है :

"सिर पर है गांधी टोपी, पैजामें में चूड़ियां,
हिन्दू गरीब जान लगाती है जूतियां ।"

यह हिन्दुओं का देश है लेकिन कांग्रेस इस बात पर दृष्टि नहीं करती है । वह कभी इस काम को नहीं करेगी । बाहर वाले यहां आते हैं और हम को सर्टिफिकेट दे जाते हैं कि इस देश का कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है । सभी जगह हमारा बोलबाला है । यह बात कहां तक ठीक है यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश की बहुमत वाली जनता जानती है कि उन के मन की बात नहीं हो रही है । आज यही कहा जा रहा है कि हमारी जवाहर सरकार है । जवाहर याने डायमण्ड ज्युवेल यह सरकार है जरूर लेकिन वह परदेशियों के वास्ते है क्योंकि वह यहां से सर्टिफिकेट पाती है, देश के वास्ते तो मैं यही कह सकता हूं कि अगर जवाहर में से 'वा' निकाल दिया तो जो बचता है अर्थात् जहर वही वह रह गया है ।

यह कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन मुझे डर है कि यह बिल पास नहीं होगा ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल--पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर--उत्तर): हम सब जानते हैं कि ढोरों के साथ आजकल कैसा व्यवहार किया जा रहा है । साधारणतया लोगों पर ही उन की देखभाल न करने का आरोप लगाया जा सकता है । गरीब किसान को इस के लिये दोषी नहीं कहा जा सकता, वह इन के साथ सन्तान-तुल्य व्यवहार करता है । आधुनिक नागरिक और ढोरों के स्वार्थी मालिक ही उन के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं । वे उन के प्रयोग अथवा उन के उत्पाद की बिक्री से लाभ उठाते हैं और जब वे पशु उपयोगी नहीं रहते हैं तब उन्हें गलियों में छोड़ देते हैं अथवा कसाई के हाथों बेच देते हैं ।

मेरा विश्वास है कि पशुओं के प्रति कुछ भी भावना रखने वाला और देश की

भलाई के लिये विचार रखने वाला व्यक्ति मेरी बात से पूर्णतया सहमत होगा कि देश में गौहत्या पर प्रतिबन्ध न लगा कर हम संविधान के अनुच्छेद ४८ की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर रहे हैं ।

कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि स्वतंत्रता के बाद से देश में गौ-हत्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई है । यह हमारे लिये लज्जाजनक है । हम अपनी परम्पराओं पर हंसते हैं । इस की कोई परवाह नहीं कि हम कितने ही आधुनिक हो गये हों; लेकिन हम प्रकृति के नियमों का पालन करने पर ही उन्नति कर सकते हैं । भले ही यह विचार हास्यास्पद प्रतीत होता हो, हमारी समृद्धि का रहस्य उन पशुओं की रक्षा में ही है जो हमारे जीवन में इतनी अधिक सहायता देते हैं ।

मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि भारत गोसेवक समाज के महामंत्री द्वारा दिये गये आंकड़े गलत हैं । महामंत्री ने बताया है कि अकेले मुरादाबाद में रोज़ाना चार सौ अच्छी नस्ल की जवान गायें कटती हैं; रोहतक और हिसार जिला बोर्डों और पंजाब कांग्रेस की प्रार्थनाओं की ओर ध्यान न दे कर उत्तर प्रदेश सरकार इसे बराबर प्रोत्साहन दे रही है । गोसेवक समाज के महामंत्री ने बताया है कि दूध देने वाली हज़ारों गायें प्रति वर्ष कलकत्ता भेजी जाती हैं और वहां पहले उन के बच्चे कराल काल के शिकार बनते हैं और दूध सूख जाने के बाद उन की मातायें भी उसी पथ की गामिनी बन जाती हैं । इस का अर्थ यह है कि हम इस निधि से स्वयं को वंचित कर कितने अदूरदर्शी हो गये हैं । जिन देशों में गोमांस का भक्षण किया जाता है, उन में दूध देने वाली तथा जिन का दूध सूख गया है उन गायों की हत्या पर प्रतिबन्ध है । बर्मा के प्रधान मंत्री सदृश व्यक्ति भी जो अन्य धर्मावलम्बी व्यक्ति हैं, गोहत्या बन्द करने का अत्यधिक प्रयत्न कर रहे हैं जबकि स्वतंत्रता के बाद यह हमारे देश में दुगनी हो गई है । हम केवल गोमांस का निर्यात कर उस से होने वाली आय की ओर ही देखते हैं । यह भी कहा जाता है कि जवान तथा नये ढोरों की जगह बनाने के लिये हमें लगभग एक करोड़ बूढ़े और बेकार ढोरों से छुटकारा पाना है । इन निरर्थक बहानों का उत्तर हम स्वयं अपने हृदय में ढूंढ सकते हैं । भारत में और भारत के बाहर विदेशों में गौ मांस भक्षियों को केवल जवान और स्वस्थ ढोरों का मांस ही स्वीकार हो सकता है । मैं किसी भी व्यक्ति को उस वक्तव्य में संशोधन करने के लिये चुनौती देती हूं । यदि आमदनी की ओर ही ध्यान दिया जाता है तो दूसरे कार्यों में इस के लिये काफ़ी गुंजायश है । कलकत्ता में पचास हज़ार कम्बलें सड़ रही हैं । १९४९ के आयव्यय-लेखा प्रतिवेदन में साढ़े तीन करोड़ के घाटे को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया गया है । मनुष्यों की गाढ़ी कमाई को बचाने के लिये इस प्रकार के अनेक स्थान हैं । देश को धनी बनाने के लिये गोहत्या से होने वाली आमदनी ही एक मात्र उपाय नहीं है ।

यह बड़े दुःख की बात है कि पशु हमारी अवर्णनीय सेवा करते हैं । जन्म से ले कर मृत्यु तक वे हमारी सेवा में रत रहते हैं । क्या सदन इस बात से इन्कार कर सकता है कि पशु हमारे हितकर्ता, सहयोगी एवं मित्र हैं । हमारे वैज्ञानिक पेड़-पौधों से वे दूध और मक्खन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह निरा मज़ाक है । क्या हम डालडा और अन्य वनस्पति तेलों के सेवन से अधिक स्वस्थ बन रहे हैं ? हम में से अधिकांश व्यक्तियों में कोई शक्ति, स्फूर्ति और मान-

[श्रीमती कमलेन्दुमति शाह]

सिक तथा शारीरिक शक्ति नहीं है । कुछ धनी व्यक्तियों को छोड़ कर अधिकांश व्यक्ति भूखों मर कर हड्डियों के ढांचे मात्र रह गये हैं । इस बात में कोई सन्देह नहीं कि किसी दिन हमारे घर पोषक तत्वों के अभाव में बीमारी के डेरे बन जायेंगे । हमारा उद्देश्य केवल रुपया अर्जित करना रह गया है । इस के लिये हम अपने अनन्य सखा को भी दुखी करने से नहीं चूकते हैं । मैं सदन से पूछती हूं कि स्वतंत्रता से हमारी जीत हुई है या हमारी पराजय ?

भले ही विज्ञान की सहायता से मनुष्यों की उम्र में वृद्धि हो जाये लेकिन यह कोई सान्त्वना नहीं है, क्योंकि जीवन केवल भार स्वरूप हो जायगा । हम आये दिन आत्म-हत्या की कितनी घटनाओं के सम्बन्ध में सुनते रहते हैं ।

अन्त में, मैं आशा प्रकट करती हूं कि हम अवश्य ही अच्छे मार्ग का आश्रय लेंगे । देश की धर्म निरपेक्ष नीति से प्रभावित हो कर हमें गोहत्या का प्रोत्साहन तथा समर्थन नहीं करना चाहिये, नहीं तो चारों ओर से हमारी निन्दा होगी ।

सभापति महोदय : सरदार ए० एस० सहगल । मेरी यह प्रार्थना है कि माननीय सदस्य केवल १० मिनट लें क्योंकि बहुत से अन्य सदस्यों को भी बोलना है ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : सभानेत्री जी, जो प्रस्ताव माननीय सेठ गोविन्द दास जी लाये हैं मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

इस प्रस्ताव के ज़रिये से जो हमारे यहां की गायें हैं और जो हमारे जानवर हैं उन की हम अपने देश में रक्षा कर सकते हैं । हमारा जो देश है वह एक कृषिप्रधान देश है और इसलिये हमारे जो चौपाये हैं उन की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है । हमारे देश में गाय को लक्ष्मी का रूप दिया गया है । आप किसी हिन्दू के यहां चले जाइये जो हमारे देश में रहता है, आप पायेंगे कि जिस वक्त शाम को उस की गाय उस के मकान पर आती है तो उस की आरती उतारी जाती है और उस के बाद उस के चरणों पर पानी डाल देते हैं । इसी तरह से जब हमारे यहां का कोई काश्तकार बैल खरीदता है तो वह समझता है कि हमारे यहां एक लक्ष्मी आई है । अतः हमारे देश में गाय को वह स्थान दिया जाता है जोकि लक्ष्मी को दिया जाता है । ऐसी स्थिति में हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उन की जितनी भी रक्षा कर सकते हैं करें । अब जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और हमारी सरकार कार्य करने वाली है, तो हमारी सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह इस तरह का कोई कानून बनाये ताकि हिन्दुस्तान में यह जो चारों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं वह बन्द हों ।

सभानेत्री महोदया, हमारे एक माननीय सदस्य हिन्दू महासभा के भूतपूर्व सभापति ने यह कहा कि यह जो कांग्रेस वाले हैं यह उन दूसरे लोगों को जोकि यहां पर रहते हैं पिता के तुल्य मानते हैं । मैं तो उन से कहता हूं कि उन को शर्म मालूम होनी चाहिए । यदि हम लोग उन को पिता समझते हैं तो आखिर आप भी यहां पैदा हुए हैं और यहां पर रहते हैं; तो आप अपने को क्या समझते हैं । क्या वे आप के पिता नहीं ह । इस तरह के लांछन कांग्रस वालों पर लगाना ठीक नहीं है । मैं समझता हूं कि वह बुजुर्ग हैं, बड़े ह और वह एक प्रान्त के प्रधान मंत्री रह चके हैं । पर यहां पर आने के

बाद उन की अक्ल में इस तरह की कमी हो गई है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है । मैं तो कहूंगा कि इस तरह की बातों पर उन को ख्याल रखना चाहिये और यदि कोई उचित सुझाव हो तो उस को सरकार के सामने लाना चाहिये । सरकार से गलतियां होती हैं यह मैं मानता हूं । कोई भी पार्टी आयेगी उस से कोई न कोई गलती ज़रूर होगी । कोई भी आदमी या कोई भी पार्टी जो यहां पर आ जाती है वह एक दस सीख कर और पक्की हो कर नहीं आती । खामियां रहती ही हैं । उन को दूर करना हमारा और हमारे जो और भाई इस हाउस में हैं उन का कर्तव्य हो जाता है । खाली टीका और टिप्पणी करने से कोई कार्य नहीं चल सकता । फ़ी ज़माने में जबकि हम सब मिल कर प्रजातंत्र के सिद्धान्त पर काम करने के लिये आगे हुए हैं तो हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि हम यह देखें कि देश की वृद्धि कैसे हो सकती है ।

यह जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के विषय में मैं तो अपने यहां के जो माननीय मंत्री महोदय हैं, उन से अर्ज़ करूंगा कि आप इस में विलम्ब न करें और जल्दी से जल्दी एक बिल लावें ताकि इस तरह का वातावरण कहीं देश में तैयार न हो जिस से कि हमें और हमारे देश को नुक़सान पहुंचे, इस से पहले ही एक इस तरह का बिल लायें जिस से कि हमारे यहां जो चौपाए हैं, गायें हैं, बछड़े हैं, और बैल हैं, उन की अच्छी तरह से परवरिश हो सके । जितने गोसदन हैं, जहां गौओं की सेवा की जाती है, उन की प्रान्तीय सरकारों से कह कर ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्थापना करायें । इस के लिये अपने बजट में भी सरकार कुछ थोड़ी रक़म ज़रूर रखे और प्रान्ती सरकारों को दे, जिस से कि वहां उन की रक्षा हो सके । यदि प्रान्तीय सरकारें गोसदन नहीं बनाती हैं तो उन को आगाह करें कि तुम को यह काम करना पड़ेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का जो हमारे माननीय सदस्य सेठ गोविन्द दास जी लाये हैं, उस का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : विवाद को जारी रखन से पहले मैं सदन को बतलाना चाहती हूं कि यहां गणपूर्ति नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : गणपूर्ति की घंटी बजाई जाय ।

सभापति महोदय : मैं अभी नहीं बजाऊंगी । आशा है कि अगले सदस्य के भाषण में ही गणपूर्ति होगी ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, प्रारम्भ से पूर्व एक शब्द कह देना उचित है । यद्यपि मैं किसी भी माननीय सदस्य की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, किन्तु गौ के सम्बन्ध में, विशेष कर के जबकि दोनों ओर से, कांग्रेसी पक्ष से और विरोधी दल से, सभी व्यक्ति गोहत्या बन्द हो, ऐसा कहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इस को किसी पार्टी का या किसी पक्ष का प्रश्न बनाना उचित नहीं है । यद्यपि स्वयं मेरा अपना बिल उपस्थित है और जब भी हो वह सदन के सामने आ सकता है, फिर भी मैं ने स्वयं इस बात का निश्चय कर लिया था कि यद्यपि मेरी समझ से श्री माननीय सेठ गोविन्द दास जी के बिल से मुझे पूर्ण सन्तोष नहीं, वह मेरी व्यक्तिगत भावना के अनुकूल नहीं आता, फिर भी यदि कांग्रेस सरकार और हमारा यह सदन इस बिल को स्वीकार करे तो मुझे उस समय अपना बिल लौटा लेने में कोई खेद नहीं होगा । उस का कारण यह है । आज सब से बड़ी वस्तु देश के सामने यह है कि भारत के एक कोने से ले कर दूसरे कोन

[श्री नन्द लाल शर्मा]

तक जनता इस गोहत्या की मानसिक पीड़ा से तड़प रही है और जनता की यह बड़ी भारी मांग है कि गोहत्या बन्द हो । एतावत मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि कोई भी वैधानिक अड़चनें डाल कर, इस में कृषि का विषय लगा कर, यह कह देना कि यह प्रान्तों में जाना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह अनुचित है । मुझे सेठ गोविन्द दास जी क्षमा करेंगे जब मैं यह कहता हूं कि उन्हों ने "इंडियन कैटल प्रिज़र्वेशन" शब्द रखे हैं तो इन के रखने में उन की जो कांग्रेसी भावना थी वह थोड़ी कमज़ोरी लाती थी, कि कहीं गाय का नाम आ जाने से देश की सांस्कृतिक भावना उठ न जाय और देश की सास्कृतिक भावना उटने से कोई दूसरे व्यक्ति इस से रुष्ट न हो जायें । मैं जानता हूं कि उन के हृदय में गाय के लिये कितना दर्द है और वह उस का कितना आदर करते हैं और वह चाहते हैं कि गोहत्या बन्द हो । किन्तु गो-हत्या न कह कर किसी भी प्रकार से गाय को ला कर उस की हत्या बन्द हो जाय, तो यह जो उन की भावना है उस का मैं समर्थन करता हूं ।

एतावत अब इस में केवल कृषि के दृष्टिकोण को आप डाल देंगे, जैसे कि हमारे मियां साहब, श्री किदवई साहब ने कहा था कि इस संसद् में इस पर बहस करना निष्फल हो जायगा और यह प्रान्तों में जायगा, तो मैं समझता हूं कि हमारे उद्देश्य को ही निष्फल बनाना होगा । इसलिये हम को उस का सांस्कृतिक, उस का धार्मिक और उस के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, जो इस प्रश्न का स्वरूप है, जो इस दृष्टिकोण से लाभ है, उस प्रकार गौ का प्रश्न प्रत्यक्ष रखना पड़ेगा । हम समझते हैं कि और कुछ नहीं तो लोक-तंत्र की दृष्टि से हम को गौहत्या बन्द करना स्पष्ट आवश्यक है । आज हमारी सरकार डिमाक्रेटिक अर्थात् लोकतंत्रात्मक सरकार कहलाती है । और जनमत अधिकाधिक संख्या में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक इस की मांग कर रहा है कि गोहत्या बन्द हो । हम यदि उस को बन्द नहीं करते और हम में से कोई खड़ा हो कर, कोई भी नेता खड़ा हो कर यह कहता है कि जनता मूर्ख है, समझती नहीं, तो मैं कहता हूं कि वह लोकतंत्र के नाम पर लात मारता है और कलंक लगाता है । हम को इस बात का ध्यान होना चाहिये कि लोकतंत्र का विचार रखते हुए गोहत्या का बन्द होना परम् आवश्यक है ।

हम को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे भारतवर्ष के अन्दर बड़े बड़े राजर्षि और धर्मात्मा पुरुष हो गये हैं । राजर्षि दिलीप ने अपने शरीर को मांस के एक लोथड़े की तरह शेर के आगे फेंक दिया और कह दिया कि मेरे शरीर को खा जावो, लेकिन गौ को छोड़ दो । यह कहना कि बूढ़ी गायों को, निष्फल गायों को मार देना चाहिये, क्योंकि वह हमारा अन्न खा जाती हैं, पिछले आप के अधिवेशन में आंकड़े दे कर इस बात को सिद्ध कर दिया जा चुका है कि गऊ बूढ़ी हो कर भी, जर्जरित और निरिन्द्रिय हो कर भी, गोबर और गोमूत्र के द्वारा जितनी खाद देती है, जितना ईंधन देती है, वह भी उस के चारे से कहीं अधिक होता है । ऐसी गायों को कोई भी अनाज नहीं देता है । इसलिये यह कहना कि वह हमारा अनाज खा जायेंगी, दूसरे पशुओं का अनाज खा जायेंगी, यह कहना भी झूठ है । मुझे माननीय सहगल साहब क्षमा करेंगे जब मैं यह कहूं कि उन्हों ने "चौपाये" शब्द का प्रयोग किया । हम समझते हैं कि यह कहना कि जनता गौ का जो पूजन करती है वही हत्या करती है, यह झूठी भावना है । यह हमारे राष्ट्र के मानबिन्दु का परित्याग करना है । उसी

तरह की यह भावना है । [redacted] यहां आ जाते और चाहते वह ले जाते, कोई रुकावट डालते कि इतना ले जावो, इतना मत ले जावो । आप ने हम को क्लोरोफार्म सुंघा कर के और खुला कर के छोड़ दिया और हम चल नहीं सकते । अब हमारी जेब को कोई भी काट सकता है, कोई भी गला काट सकता है । इस तरह जंजीर तोड़ने से और क्लोरोफार्म सुंघाने से क्या होता है । इसलिये इस तरह की प्रतिकूल भावना रखने से और अपने मानबिन्दु का परित्याग करने से और अपनी संस्कृति का नाश करने के लिये तैयार रहना, यही राष्ट्र के नाश के और राष्ट्र के पतन के कारण हैं । केवल पर्वतों का नाम, नदियों का नाम लेने से ही राष्ट्र नहीं होता । राष्ट्र की जो संस्कृति है, जो राष्ट्र का मानबिन्दु है, उस को बीच में से हटा दिया जाय तो राष्ट्रवाद ही ख़त्म हो जाता है । एतावत राष्ट्रवाद के नाम से, प्रजातंत्रात्मक सरकार के नाम से और जनता की आवाज के नाम से, आप को इस भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीन विभूति, जिस के लिये कहा गया है कि हम को यह अमरत्व देती है, यह हम को अमर बनाने वाली है, इसलिये "हे मनुष्य, इस की हत्या न करना", आप को इस की हत्या बन्द करनी पड़ेगी । कहा है कि इस की हत्या से तुम दिति के पुत्र बनोगे, मृत्यु को प्राप्त होगे। दिति क्या है? मृत्यु। तुम निरन्तर मृत्यु के गाल में चले जाओगे

इसलिये मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए, इतना ही निवेदन करता हूं कि गोपाल कृष्ण की पवित्र भूमि में, जहां भगवान् कृष्ण, अखिल ब्रह्माण्डनायक भगवान् की सारी सृष्टि की रचना हुई है ? जहां गौ की सेवा के लिये भगवान् कृष्ण नंगे घूमे हैं, जहां वह कहते हैं कि गऊ के चरणों से जो धूल निकलती है, उठती है, उस के कण से मेरा शरीर पवित्र होता है, इस प्रकार के जिस देश में घी और दूध की नदियां जहां पहले बहती हों और जहां आज खून की नदियां बह रही हों, वहां यह हमारा दुर्भाग्य ही इस का कारण है । मेरा स्पष्ट भाव है कि यही क्रम रहा तो हमारा देश नाश की ओर जायगा और हमारे शत्रु बलवान होंगे । जिस देश में पूजा करने योग्य देवता का पूजन नहीं होगा, अपूज्य देवताओं का सम्मान बढ़ेगा, उस में तीन दोष सदा रहेंगे । उस में अकाल बढ़ेगा, अनाज नष्ट होगा और मरण होगा । वहां अकाल मृत्यु होगी, छोटे छोटे बच्चे मरेंगे और सदा ही शत्रु के जोर का, उस की शक्ति का भय रहेगा । इन तीन दोषों से यदि बचना है तो आप को गो-हत्या शीघ्रातिशीघ्र बन्द करनी होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी द्वारा समापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

समापन प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि सेठ गोविन्द दास उत्तर देंगे ।

सरदार ए० एस० सहगल : इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष रखने का एक प्रस्ताव है ।

सभापति महोदय : पहले प्रस्तावक को ही उत्तर देने का अधिकार है ।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर—दक्षिण) : अध्यक्षा महोदया, जहां तक मेरे इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत बातें इस के पहले कह चुका हूं । २७ नवम्बर को मैं ने इसे उपस्थित किया था और ११ दिसम्बर को भी यह इस सदन

[सेठ गोविन्द दास]

के सम्मुख आया था। उन दो दिनों में मैं ने कोई दो घंटे के भाषण में इस विषय पर जितना भी प्रकाश डाला जा सकता है, उतना डालने का प्रयत्न किया था। बहस का उत्तर तो मुझे तब देना होता जब इस विधेयक का विरोध किया जाता, परन्तु आप ने देखा होगा कि २७ नवम्बर को मेरा भाषण पूरा नहीं हुआ था, ११ दिसम्बर को जब मेरा भाषण पूरा हो गया उस के बाद जिस ने भी इस विधेयक पर कुछ कहा, उस ने मेरे समर्थन में कहा, यहां तक कि हमारे कृषि मंत्री श्री रफ़ी अहमद क़िदवई ने भी इस विधेयक का विरोध नहीं किया। उन्हों ने पटने के अपने एक भाषण में इस बात को कहा था कि यदि इस देश का बहुमत गोवध बन्द चाहता है, तो गोवध बन्द होना चाहिये और जब मैं ने उन्हें उस भाषण का स्मरण दिलाया तब उन्हों ने फिर ११ तारीख़ को इस बात को दुहराया कि जो बात उन्हों ने पटने में कही थी, उस पर वह आज भी कायम हैं और उस सम्बन्ध में वह कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। तो यह सरकारी मत था। उन्हों ने यह ज़रूर कहा था कि यह विषय प्रान्तीय विषय है, परन्तु सभानेत्री महोदया, आप यह जानती हैं कि जब यह आवाज़ उठाई गई कि यह प्रान्तीय विषय है, उस समय हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने इस बात पर अपनी रूलिंग दी और उन्हों ने कहा कि वह इस विषय को प्रान्तीय विषय मान कर अलग नहीं करना चाहते और इस को इस संदन के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं, तब अब यह प्रश्न उठाना कि सरकार इस का विरोध तो नहीं करती, लेकिन यह प्रान्तीय विषय है, मैं समझता हूं कुछ उपयुक्त बात नहीं होगी। यह बात हुई ११ दिसम्बर को जब इस विधेयक पर कुछ भाषण हुए और आज आप ने देखा कि इस विधेयक पर जितने भी भाषण हुए, सबों ने उस का समर्थन किया, किसी ने भी उस का विरोध नहीं किया। हिन्दू सभा की ओर से डाक्टर खरे साहब बोले, रामराज्य परिषद् की ओर से श्री नन्दलाल शर्मा बोले। इस के अलावा हमारा जो एक दूसरा दल यहां पर स्थापित हुआ है, उस की ओर से हमारी राजमाता टिहरी बोलीं, कांग्रेस की ओर से हमारे सरदार सहगल बोले और वह सिक्ख भी हैं। इस तरह आप ने देखा कि किसी दल का भी इस से विरोध नहीं है।

कांग्रेस के सम्बन्ध में जो बातें आप से कही जाती हैं, वे बातें बहुत हद तक ग़लत हैं। जब डाक्टर खरे बोल रहे थे तो उन्हों ने कहा कि कांग्रेस सरकार इस के समर्थन में नहीं है, कांग्रेस वाले इस के समर्थन में नहीं हैं और यह कभी पास होने वाला नहीं है। मैं ने उन को स्मरण दिलाया कि मध्यप्रदेश में जहां यह विधेयक रक्खा गया और पास हुआ, वहां आख़िर कांग्रेस की ही सरकार तो है, कोई दूसरे की तो सरकार नहीं है। वहां यह विधेयक सरकार की ओर से रक्खा गया और पास हुआ। अभी आप ने सुना होगा कि भूपाल में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां भी यह विधेयक रक्खा गया और भूपाल में भी यह पास हुआ। शायद आप जानती होंगी कि बिहार प्रान्त में भी इस प्रकार का एक विधेयक वहां की विधान सभा में उपस्थित है, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। वह विधेयक एक सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया गया है। मैं अभी बिहार गया था और मुझे यह मालूम हुआ कि शायद बिहार विधान सभा के अगले अधिवेशन में वह पास हो जायगा। इसलिये यह कहना कि कांग्रेस सरकारें और कांग्रेस वाले इस के विपक्ष में हैं, जनता को एक ग़लत बात कहनी है। मैं ने आप के सामने इतने दृष्टान्त दिये। आप जानते हैं कि मैं कांग्रेस दल का

सदस्य हूं, कांग्रेस दल में आज शामिल हुआ हूं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस में मैं सन् १९२० से शामिल हूं, आज भी मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस के बड़े जिम्मेदारी के पदों पर मैं रह चुका हूं। अपनी प्रान्तीय कांग्रेस का मैं सभापति हूं और इतने समय से सभापति हूं, जितने समय तक शायद कोई भी किसी प्रान्त का सभापति न रहा होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मैं मेम्बर रह चुका हूं और त्रिपुरा कांग्रेस की स्वागत समिति का मैं अध्यक्ष था। आप के इस सदन का तीस वर्षों से सदस्य हूं और कांग्रेस की ओर से मैं सदस्य हूं, तब यह कहना कि कांग्रेस इस के विरुद्ध है, ठीक नहीं है।

श्री वी० जी० देशपांडे : आप की सरकार क्या कर रही है ?

सेठ गोविन्द दास : अगर कांग्रेस इस के विरुद्ध होती तो मैं कांग्रेस दल के अन्दर रहते हुए यह विधेयक पेश नहीं कर सकता था, मुझे विप्प (सचेतक) द्वारा कोई इस प्रकार का आदेश नहीं मिला कि मैं इस विधेयक को सदन में पेश न करूं, तब यह कहना कि कांग्रेस सरकारें या कांग्रेस दल इस के विरुद्ध है, लोगों को भुलावे में डालना है।

श्री वी० जी० देशपांडे : कांग्रेस सरकार यह बिल क्यों नहीं ला रही है ?

सेठ गोविन्द दास : पर मैं एक चीज़ बिल्कुल साफ़ कर दूं कि मैं इस विषय में राजनीति को बिल्कुल नहीं लाना चाहता मेरे कुछ मित्र राजनीति को दृष्टि में रख कर इस विषय पर बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि यह या भूमिदान का जो विषय है, इस प्रकार के निर्माण करने के जो विषय हैं, उन में यह राजनीति को न आने दें और सब दल मिल कर उन कामों को करें। मेरा शुरू से यह मत रहा है और आज भी मेरा यही मत है। इसलिये जहां तक गोरक्षा का विषय है मैं इस में राजनीति को नहीं आने देना चाहता। राजनीति को पृथक् रख कर मैं इस विषय को आप के सामने उपस्थित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस विधेयक को पास करें। जैसा कि हमारे श्री नन्दलाल शर्मा ने कहा मैं एक बात सरकार को ज़रूर कहना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में यह आपत्ति उपस्थित कर के कि यह प्रान्तीय विषय है, इस का विरोध न करे। उपाध्यक्ष महोदया ने इस विषय को इस सदन के ऊपर छोड़ा था। अगर थोड़ी देर के लिये यह समझ भी लिया जाय कि यह विधेयक क़ानून के विरुद्ध है, इतने पर भी अगर यह सदन इस को पास कर देता है तो सदन को इस बात का हक़ है। उस वक्त हम इस विषय को एक दूसरी तरह से देखेंगे और यहां से उस के पास हो जाने के बाद दूसरी प्रान्तीय सरकारों को तो एक रास्ता मिलेगा, उन के सामने हम जायेंगे और कहेंगे कि देखिये केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए जिस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, कांग्रेस दल का बहुमत रहते हुए इस विषय पर मतभेद रहते हुए भी कि यह विषय केन्द्र का है या प्रान्त का है, केन्द्र ने इस को पास किया और अगर केन्द्र ने इस को पास कर दिया है तो प्रत्येक प्रान्त का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह इस को पास करे।

श्री नन्द लाल शर्मा : संविधान का संशोधन तो हो सकता है।

सेठ गोविन्द दास : इस के यहां पास होने से हम को एक बहुत बडा बल मिलेगा।

एक बात और कह दूं। यदि आप केन्द्र और प्रान्तों के विषयों को देखें तो आप को मालूम होगा कि अगर कोई दो प्रान्तीय सरकारें केन्द्र को यह लिखें कि अमुक अमुक प्रकार का विधेयक पास होना चाहिये तो

[सेठ गोविन्द दास]

प्रान्तीय विषय रहते हुए भी केन्द्र उस को कर सकता है। आज इतने प्रान्तों में कांग्रेस की सरकारें हैं, और कोई भी प्रान्त, खास कर मेरा प्रान्त तो सब से पहले इस बात के लिए राज़ी होगा कि वह केन्द्र को लिखे कि केन्द्र ऐसा विधेयक पास करे।

मैं चाहता हूं कि जैसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था उस के अनुसार यह विषय सदन पर छोड़ दिया जाय कि वह इस को पास करे। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, क्लोज़र मोशन आ गया है, और सात बजने के पहले इस को समाप्त करना है। जो कुछ मुझे कहना था वह मैं ने २७ नवम्बर और ११ दिसम्बर को कह दिया है। उन भाषणों को यदि आप देखने का प्रयत्न करेंगे तो आप को मालूम होगा कि सब बातें कही जा चुकी हैं और अब जबकि यहां पर किसी दल के द्वारा या सरकार के द्वारा इस का विरोध नहीं हुआ है तो मुझे उत्तर देने की कोई बात नहीं दिखाई देती। मैं चाहता हूं कि यह सदन इस विधेयक को पास कर दे

सभापति महोदय : ऐसा प्रस्ताव है कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये। मैं पहले प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगी।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इस विषय में कोई मत नहीं है।

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री को केवल पांच मिनट का समय दूंगी।

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : विधेयक पर ?

सभापति महोदय : हां, विधेयक पर।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : संसद् के पिछले सत्र में खाद्य तथा कृषि मंत्री, श्री किदवई विधेयक पर बोले थे और उन्हों ने स्पष्ट कह दिया था कि यह विधेयक शक्ति परस्तात् है। संविधान के अनुच्छेद २४६ (३) के अधीन भाग क अथवा भाग ख राज्य के विधान मण्डल राज्य सूची में वर्णित विषयों के सम्बन्ध में विधि निर्मित करने के एकमात्र विशेषाधिकारी हैं। विधेयक की ग्राह्यता के अतिरिक्त यह असामयिक है। इस में भारत में गोहत्या सर्वथा समाप्त करने का विचार रखा गया है। बेकार और अनुपजाऊ ढोरों की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाना पशुधन के रक्षण और विकास के हित में नहीं है। मैं आप की भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखता हूं लेकिन बेकार पशुओं की व्यवस्था के लिये उपयुक्त उपबन्ध अनिवार्य हैं। गोसदन स्थापित करने के लिये हमें विपुल धनराशि की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा १९४९ में नियुक्त पशु-रक्षण तथा विकास समिति ने, जिस के एक सदस्य सेठ गोविन्ददास भी थे, हिसाब लगाया था कि इस कार्य के लिये २४.४ करोड़ रुपये अनावर्त्तक और १२.८ करोड़ रुपये आवर्त्तक खर्च की आवश्यकता है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : क्या यह सब सम्बन्धित बातें हैं ? यहां गोसदन की स्थापना का प्रश्न नहीं है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : देश के डेढ़ करोड़ बेकार ढोरों का हम क्या करेंगे। हमें यह मालूम होना चाहिये कि उन का रक्षण तथा पोषण किस प्रकार होगा। और इस कार्य के लिये गोसदनों की आवश्यकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं जानना चाहता हूं कि डेढ़ करोड़ के यह आंकड़े कहां

से प्राप्त किये गये हैं। यह सरकारी सांख्यकी में नहीं हैं। इन की संख्या बहुत कम है। यह संख्या गलत है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमारी सांख्यकी के अनुसार देश में २० करोड़ पशु हैं। इन में १५ करोड़ गायें और बैल हैं तथा ५ करोड़ भैंसें हैं। इन का दस प्रतिशत भाग अर्थात् लगभग १॥ करोड़ पशु बेकार हैं ।

सभापति महोदया, मैं इस देश में गाय के महत्व पर अधिक जोर नहीं देना चाहता हूं । मैं स्वयं एक कृषक हूं और गोधन के महत्व एवं गौरव से पूर्णतया परिचित हूं ।

श्री नन्द लाल शर्मा : एक औचित्य प्रश्न है । सदस्य लोग सदन छोड़ कर जा रहे हैं ताकि गणपूर्ति न हो सके ।

सभापति महोदय : इस में औचित्य प्रश्न नहीं है । यदि गणपूर्ति नहीं होगी तो मुझे सभा स्थगित करनी पड़ेगी ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : एक गो-संवर्द्धन समिति है जिस के सदस्य सेठ गोविंद दास भी हैं। उन्हों ने सारे देश में परिचालित करने के लिये एक विधयक का प्रारूप भी तैयार किया है । विधेयक समस्त राज्यों में भेजा गया है और सेठ गोविंद दास इस बात पर सहमत हो गये हैं कि गोहत्या बन्द करने के सम्बन्ध में विधि निर्माण करना केन्द्र के क्षेत्राधिकार में नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : श्रीमती, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के प्रश्न के सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । उन्हें भाषण पूरा करने दीजिये ।

सेठ गोविन्द दास : मैं ने यह कभी नहीं कहा कि हम को तो उस वक्त तक सन्तोष नहीं हो सकता जब तक कि गाय के खून की एक बून्द भी इस पुण्यमयी भारतभूमि पर गिरती है। मैं ने केवल यह कहा था कि अगर सरकार अभी इतना करने को तैयार नहीं है, तो कम से कम एक माडल बिल पास कर दे। इस का मतलब यह नहीं है कि मैं उस से सहमत हूं। मैं तो सम्पूर्ण गोहत्या बन्द करने के पक्ष में हूं। आज ३३ वर्षों से वरन् जब से मैं ने होश संभाला है, तब से मैं इस के पक्ष में हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस विधेयक को कार्यान्वित करने के इच्छुक हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां । इसी लिये समिति ने विधेयक परिचालित किया है ।

श्री एन० राचय्या (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमती, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : गणपूर्ति होते हुए भी यह स्थगित होगा क्योंकि अब समय समाप्त हो चुका है ।

इसके पश्चात् सभा शनिवार, २७ फरवरी १९५४ क दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

GIPD H. S. 737—P. S. D.—28-5-54—285